सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

राष्ट्रीय महिला आयोग

वार्षिक रिपोर्ट
2018–19

राष्ट्रीय महिला आयोग

प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया–110025, नई दिल्ली

http:\\www.ncw.nic.in

विषय सूची

		पृष्ठ
	प्राक्कथन	i-iii
अध्याय–1	प्रस्तावना	1-4
अध्याय–2	शिकायत एवं जांच (सी एण्ड आई) प्रकोष्ठ	5-14
अध्याय–3	अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुद्दे	15-19
अध्याय–4	स्वप्रेरणा से घटनाओं /मामलों का संज्ञान	20-22
अध्याय–5	नीति, निगरानी और अनुसंधान	23-25
अध्याय–6	महिला कल्याण, सुरक्षा और लिंग संवेदनशीलता	26-28
अध्याय–7	पूर्वोत्तर (एन.ई.) में पहलें	29-30
अध्याय–8	विधिक मुद्दों पर संमत्रणा	31-39
अध्याय–9	जेल, अभिरक्षा गृह और मनोरोग संस्थाओं का निरीक्षण	40-42
अध्याय–10	सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग	43
अध्याय–11	सूचना का अधिकार	44-45
अध्याय–12	लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया	46
अध्याय–13	हिंदी का प्रगामी उपयोग	47
अध्याय–14	मीडिया और पहुंच कार्यक्रम	48
अध्याय–15	वार्षिक लेखा 2018–19	49-87
अध्याय–16	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	88-93
अध्याय–17	लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई	94-97
	उपाबंध	
उपाबंध–I	आयोग की संरचना	99
उपाबंध–II	आयोग का संगठनात्मक चार्ट	100
उपाबंध–III	2018–19 के दौरान आयोग द्वारा विचार किए गए विषय जिसमें परिचालन माध्यम भी शामिल है	101-105
उपाबंध–IV	2018–19 के लिए अनुमोदित सेमिनारों के ब्यौरे और 2018–19 के लिए निर्मोचित की गई निधि	106-109
उपाबंध–V	अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन के ब्यौरे जिनके लिए 2018–19 के लिए निधि निर्मोचित की गई	110-111
	झलकियां	112-117

भारत सरकार
राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लाट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया
एफ.सी.–33, नई दिल्ली–110 025
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
PLOT NO. 21, FC-33, JASOLA
INSTITUTIONAL AREA, NEW DELHI-110 025
Website : www.ncw.nic.in
E-mail : chairperson-ncw@nic.in
sharma.rekha@gov.in

सत्यमेव जयते

Rekha Sharma
Chairperson

Tel. : 011-26944808
Fax : 011-26944771

प्राक्कथन

मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 में यथापरिकल्पित राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने पूर्व वर्ष के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाया और महिलाओं को सशक्त करने के लिए लिंग मुद्दों, महिलाओं से संबंधित विधियों में संशोधन का सुझाव देने, स्वाधार गृह के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा तैयार करने, महिलाओं के विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने, महिलाओं से संबंधित विधियों के संबंध में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के लिए प्रतियोगिता आयोजित करने, महिला शिकायतकर्ताओं की परिवेदनाओं का निवारण करने और व्यथित महिलाओं की सहायता करने के उद्देश्य से महिलाओं के विरूद्ध कारित अत्याचार की घटनाओं का स्व प्रेरणा से संज्ञान लेने से संबंधित मुद्दों को उठाया और इनके लिए निरंतर रूप से कार्य किया। आयोग ने राज्य महिला आयोगों और अन्य सहयोगियों के सहयोग से सेमिनार और महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर, जिसमें अनिवासी भारतीय पत्नी द्वारा महिलाओं के अभित्यजन के संबंध में आर्थिक पुनर्वास के लिए संभव उपाय भी शामिल है, परामर्श आयोजित किए।

आयोग के अधिदेश के अनुसार आयोग ने ''महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और महिलाओं के संपत्ति अधिकारों'' से संबंधित विधियों का पुनर्विलोकन किया।

आयोग को व्यथित महिलाओं से काफी बड़ी संख्या में शिकायत प्राप्त होती है। इन शिकायतों का संबंध, घर पर, कार्यस्थल पर उनके द्वारा अपने जीवन में दिन प्रतिदिन सामना करने वाली समस्याओं और अन्य जगहों पर जहां गरिमा के साथ जीवनयापन न करने के परिणामस्वरूप वे जिन समस्याओं का सामना करती हैं, से है। आयोग ने शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण करने, कार्यवाही करने और समाधान करने की कार्यात्मक ऑनलाइन पद्धति पूर्ण रूप से विकसित की है। आयोग राज्य में संबंधित प्राधिकारियों के साथ और सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र में नियोजकों के साथ सक्रिय रूप से शिकायतों का अनुसरण भी करता है।

अपने इन सक्रिय प्रयासों के कारण आयोग बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतों का समाधान करने में सफल रहा है। महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव और अत्याचारों के विनिर्दिष्ट मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए आयोग द्वारा घटनास्थलों का दौरा किया गया है और जांच भी की है।

आयोग ने काफी बड़ी संख्या में ऐसी घटनाओं का निरंतर रूप से स्व प्रेरणा से संज्ञान लिया है जिनमें महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने और उनके विरूद्ध किए गए जघन्य अपराध अन्तर्ग्रस्त हैं। आयोग के प्रयासों से शीघ्रतापूर्वक जांच पड़ताल हुई और ऐसे अपराधों को करने वाले अपराधियों का अभियोजन भी किया गया है। आयोग निरंतर रूप से विदेश मंत्रालय, विदेश में हमारे दूतावासों और राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए सहायता भी प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान आयोग ने राज्य पुलिस विभागों के सहयोग से पुलिस अधिकारियों के लिए लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए। अधिकतर पीडित महिलाएं सबसे पहले पुलिस से संपर्क करती है इसलिए महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का निवारण करने में पुलिस की भूमिका और उनके द्वारा की गई कार्यवाही अधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि पुलिस सबसे पहले कार्यवाही करती है इसलिए पुलिस से यह प्रत्याशा की जाती है कि वे सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करेगी। लिंग संवेदनशीलता कार्यशाला का उद्देश्य लिंग हिंसा से संबंधित मामलों में पुलिस की भूमिका से संबंधित मुद्दों के बारे में पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाना है।

आयोग ने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जागरूकता सर्जित करने और उद्यमशीलता में महिलाओं को सम्मिलित करने के अपने प्रयास में दिल्ली, शिलौंग और गैंगटोक में ''उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण'' विषय पर एक पैनल विचार–विमर्श आयोजित किया। पूरे विश्व में सशक्त महिलाओं की प्रगति की उपलब्धियां उजागर है। हमें सकारात्मक आदर्श भूमिका की शक्ति के बारे में पता है; बड़ी होती लड़कियां किसी सशक्त महिला की सफलता और अनुभव से प्रोत्साहित होती है और उन्हें प्रेरणा मिलती है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष वार्षिक दिवस के अवसर पर कुछ सफल महिला उद्यमियों के सफलता के अनुभवों को इस कार्यक्रम में सांझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कई अनुंसधान अध्ययन और सेमिनार भी प्रायोजित किए।

आयोग ने देश में कारागारों का निरीक्षण करने के अपने प्रयास को बनाए रखा और इस प्रयोजन के लिए उपयोग होने वाले प्रोफार्मा को तैयार किया। आयोग ने निरीक्षणों पर आधारित एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में अच्छी कार्यप्रणाली के अलावा महिला संवासियों द्वारा जिन सामान्य समस्याओं का सामना किया जा रहा है उनकी भी पहचान की गई है।

आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा तैयार किए गए एक व्यापक प्रोफार्मा का उपयोग करके मनोरोग संस्थाओं का निरीक्षण आरंभ किया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और वित्तीय स्वतंत्रता का संवर्धन करने के लिए कई कदम उठाए है और इस संबंध में सस्ती दर पर घर पर रूकने की व्यवस्था के माध्यम से पर्यटन उद्योग से आय अर्जित करने के लिए एआईआरबीएनबी के साथ भागीदारी की है। उद्यमशीलता का संवर्धन करने के लिए एआईआरबीएनबी के सहयोग से विभिन्न राज्यों से चयनित महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

मैं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न राज्य सरकारों और राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय महिला आयोग के मेरे सहयोगियों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त करती हूं। इन सबके सामूहिक प्रयासों और प्रतिबद्धता के कारण हम चालू वर्ष में अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे।

रेखा शर्मा

(रेखा शर्मा)

अध्याय-1

प्रस्तावना

1.1 भारत के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी क्षमता को सिद्ध करने सशक्त किया गया है। इसमें प्रत्येक नागरिक के लिए एक ऐसा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक वातावरण तैयार करने का भी उपबंध किया गया है, जो सभी क्रियाकलापों में उनकी क्षमता के लिए सहायक हो। अन्य बातों के अलावा संविधान लिंग के आधार पर भेदभाव होते हुए भी लैंगिक समानता और समान अवसर की उपलब्धता की गारंटी देता है।

1.2 देश के विकास के लिए सभी आर्थिक क्रियाकलापों में पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। यह ध्यान में रखते हुए कि जब तक असमानता विद्यमान रहेगी तब तक कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है संसद् द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम 31 जनवरी, 1992 को प्रवृत्त हुआ और तद्नुसार आयोग स्थापित किया गया। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 में आयोग के कृत्यों को सूचीबद्ध किया गया है। संक्षेप में, आयोग निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी है :–

i. महिलाओं के लिए उपबंधित सांविधानिक और विधिक रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन और अनुवीक्षण करना;

ii. विद्यमान विधानों की समीक्षा करना और जहां आवश्यक हो, संशोधनों का सुझाव देना;

iii. महिला अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों के बारे में शिकायतों की जांच पड़ताल और स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना जिससे निःसहाय महिलाओं को कानूनी अथवा अन्य सहायता प्रदान की जा सके;

iv. महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियमित सभी विधानों के समुचित कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना, जिससे महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता और राष्ट्र के विकास में समान भागीदारी निभाने के लिए समर्थ बनाया जा सके; और

v. संवर्धन और शैक्षिक अनुसंधान कराना और महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना और उस संबंध में सलाह देना।

1.3 आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य–सचिव शामिल है।आयोग की संरचना **उपाबंध–I** पर दी गई है। अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम कार्यावधि तीन वर्ष तक है। आयोग की सहायता एक सचिवालय द्वारा की जाती है। इसके अलावा अनुभाग/इकाइयां प्रशासनिक विषयों के संबंध

में कार्यवाही करते हैं जिसमें सूचना के अधिकार से संबंधित मुद्दों, आई.टी., राजभाषा, जन सपंर्क आदि शामिल है। आयोग द्वारा दिन प्रतिदिन के कृत्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं:

(i) शिकायत और अन्वेषण

(ii) अनिवासी भारतीय

(iii) नीति, अनुवीक्षण और अनुसंधान

(iv) क्षमता निर्माण

(v) महिला सुरक्षा

(vi) स्वप्रेरणा

(vii) पूर्वोत्तर

(viii) महिला कल्याण

(ix) मनोरोग गृह/संरक्षण सुधार गृह

(x) विधिक प्रकोष्ठ

1.4 इस समय प्रकोष्ठों में वृत्तिक रखे गए हैं, जिनमें से अधिकांश संविदागत बाह्य स्रोत आधार पर नियोजित हैं, कुछ कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी नियुक्त किया गया हैं। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **उपाबंध–II** में दिया गया है।

1.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग की 11 बैठकें हुई। आयोग की बैठकों और उसमें लिए गए प्रमुख निर्णयों का विवरण **उपाबंध–III** में दिया गया है।

1.6 राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 31 जनवरी, 2019 को अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने के समारोह इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने, जिनमें नवयुवतियां, उच्चतर शिक्षा के विभिन्न महाविद्यालयों और राजधानी में विधि के विद्यार्थी शामिल थे, देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ सफल महिला उद्यमियों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। इस कार्यक्रम में ''उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण'' विषय पर एक पैनल विचार–विमर्श भी शामिल था जिसमें दर्शकों ने काफी रूचि दिखाई सक्रियता से भाग लिया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य उद्यमशीलता के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के रास्ते में लिंग बाधाओं पर विजय पाने की प्रक्रिया को उजागर करना था और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का संवर्धन करने के लिए सरकारी उपायों पर विचार करना था।

1.7 जेलों और अन्य संरक्षण गृहों में महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करने और अत्यधिक मानवीय हालत बनाने की दृष्टि से आयोग ने जेलों की हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा तैयार किया है। जेल निरीक्षण के इस प्रोफार्मा को कारागार प्राधिकारियों और राज्य महिला आयोगों के साथ भी साझा किया गया है। अब इस प्रोफार्मा का उपयोग ऐसे संरक्षण गृहों के निरीक्षण और प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के विश्लेषण के द्वारा त्रुटियों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। आयोग ने केंद्रीय जेलों का निरीक्षण आरंभ कर दिया है। राज्य महिला आयोगों द्वारा जिला और अन्य जेलों का निरीक्षण किया जा रहा है। राज्य महिला आयोगों से यह अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रोफार्मा का उपयोग करें। आयोग के निष्कर्ष और सिफारिशों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ साझा किया जाता है और उस पर की गई कार्रवाइयों का अनुवीक्षण किया जाता है।

1.8 आयोग ने महिलाओं से संबंधित सुसंगत मुद्दों पर वर्ष 2018–19 के दौरान 21 संगठनों/शोधकर्ताओं को निधि प्रदान करने का अनुमोदन किया है। इसी प्रकार विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 52 सेमिनारों के लिए निधि प्रदान की है।

1.9 आयोग ने वर्ष 2018–19 के दौरान पुलिस कर्मचारियों के लिए कुल 16 लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस वर्ष के दौरान आयोग ने महिलाओं से संबंधित विधियों के संबंध में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता भी आरंभ की है। 2018–19 के दौरान इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए कुला मिलाकर 256 महाविद्यालयों/संस्थाओं की प्रतिपूर्ति की गई।

1.10 आयोग ने, अपने अधिदेश के अनुसार, देश के विभिन्न भागों से प्राप्त महिलाओं की बहुत सारी

शिकायतों से संबंधित मामलों का अन्वेषण किया है। आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों से उन शिकायतों पर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए संपर्क करके अनेक मामलों में शिकायतों का निपटारा कराने में सहायता की है। वर्ष 2018—19 के दौरान 19279 शिकायतों का पंजीकरण किया गया। इनमें ऐसी अन्य शिकायतें शामिल नहीं हैं जो आयोग के अधिदेश के अंतर्गत नहीं आती है। आयोग ने अनेक मामलों में, विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित शिकायतों और विधियों के अकार्यान्वयन के आधार पर और पीड़ितों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्वप्रेरणा से संज्ञान भी लिया। आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों के साथ ऐसे मामलों का अनुसरण करता है और उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्टें भी मंगाता है। गंभीर मामलों में, आयोग ने आयोग के सदस्यों की अध्यक्षता में जांच समितियों का गठन भी किया। आयोग ने इस दौरान जन सुनवाई भी की और इस बाबत पुलिस और जनता की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक थी। आयोग ने स्पष्टता, पारदर्शिता और जवाबदेही और आयोग द्वारा जिन प्रशासन और अन्य विषयों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है का संवर्धन करने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत अधिक से अधिक जानकारी को सार्वजनिक क्षेत्र में डालना भी है।

1.11 आयोग ने वर्ष 2018—19 के दौरान संबंधित अन्य साझेदारों की भागीदारी के साथ डिजीटल साक्षरता का कार्यक्रम महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया है इसमें महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट/सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग भी शामिल है।

1.12 कुल मिलाकर इस वर्ष के दौरान आयोग द्वारा अपने अधिदेश को अग्रसर करने के लिए कई क्रियाकलाप आयोजित किए गए हैं।

****

अध्याय-2

शिकायत एवं जांच

2.1 महिलाओं के और उनके अधिकारों के रक्षोपाय के लिए अधिनियमित कानूनी अधिकारों से वंचित करने और अक्रियान्वयन से संबंधित परिवेदना और शिकायतों का निवारण करना आयोग द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में से एक है। व्यक्ति विशेष की चिन्ता को दूर करके जमीनी स्तर पर, संवैधानिक और महिलाओं के विधिक अधिकारों की वास्तविक पहुंच सुनिश्चित करने में बहुत योगदान मिलता है। कानून, अधिकार, हकदारी, योजनाएं, कार्यक्रम, परियोजनाएं तब ही अच्छी है, जब इनका क्रियान्वयन अच्छा होता है। इन सबका परिणाम एक तरफ शिकायतों की संख्या में कमी करना और दूसरी तरफ परिणामस्वरूप कम हुई शिकायतों का त्वरित निवारण होना चाहिए।

2.2 शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ पूरे देश से प्राप्त महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने/कानूनों का अक्रियान्वयन आदि से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करता है। यह प्रकोष्ठ शिकायतों को लिखित या ऑनलाइन www.ncw.nic.in के माध्यम से प्राप्त करता है।

2.3 आयोग शिकायतों पर कार्रवाई/कार्यवाही करते समय राज्य पुलिस प्राधिकारियों, राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के साथ तालमेल बनाए रखता है। आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और अन्य आयोगों के भी साथ क्रियाकलापों में समन्वय बिठाया जाता है।

2.4 आयोग शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के क्षेत्र में अग्रणीय रहा है। आयोग ने आयोग की वेबसाइट www.ncw.nic.in के माध्यम से शिकायतों के शीघ्र और सरल पंजीकरण के लिए वर्ष 2005 में ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया। इस सॉफ्टवेयर में निरन्तर सुधार किया जा रहा है जिससे कि वह परिवर्तित हो रही आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उपयोक्ता अनुकुल हो। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप शिकायतों के पंजीकरण और पावती जारी करने में तेजी आई है। जिस भी व्यक्ति को कोई शिकायत है वह कहीं से भी उक्त साइट पर लॉगइन करके अपनी शिकायत पंजीकृत कर सकता/सकती है। उक्त शिकायत को पंजीकरण संख्या दी जाती है। तत्पश्चात् उस शिकायत का निपटान भी डाक द्वारा/दस्ती प्राप्त होने वाली शिकायतों आदि की तरह ही किया जाता है। इस प्रणाली से शिकायत के पंजीकरण के समय उन्हें दी गई विशिष्ट प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके शिकायतकर्ता अपने मामले की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

2.5 आयोग ने शिकायतों की गंभीरता और गोपनीयता को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिकायतों के संबंध में कार्यवाहियां करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रोटोकाल तैयार किया है। इसके भागरूप आयोग ने शिकायतों को ''गैर–अधिदेश'' और ''अधिदेश'' में वर्गीकृत किया है। आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें निम्नलिखित वर्गों के अधीन आती है:

i. पुलिस की उदासीनता/निष्क्रियता संबंधी शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को मामले का समय पर और उचित अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित किया जाता है। उनसे शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ए.टी.आर.) मंगायी जाती है और उसकी परीक्षा की जाती है। आयोग वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ मामले के संबंध में फोन पर या लिखित रूप में संपर्क बनाए रखता है और व्यक्तिगत शिकायतों की प्रगति को तब तक मानीटर करता है, जब तक उनका तर्कपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकलता है;

ii. पारिवारिक/वैवाहिक विवादों को, जहां संभव हो, परामर्श के माध्यम से हल किया जाता है। आयोग विवाद का समाधान करने के लिए पक्षकारों के साथ कम से कम एक बार उन्हें परामर्श देने का प्रयास करता है। बाहर के दम्पतियों/परिवारों के मामले में स्थानीय प्राधिकारियों/राज्य महिला आयोगों/एस.एल.एस.ए./डी.एल.एस.ए./संरक्षण अधिकारियों से सहायता भी ली जाती है। शीघ्रतापूर्वक मामलों का समाधान करने की दृष्टि से किसी राज्य से संबंधित मामलों को जन सुनवाई के दौरान भी उठाया जाता है वहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, अन्य अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी शामिल है, मौजूद रहते हैं।

iii. गंभीर अपराधों की दशा में आयोग जांच समिति गठित करता है। ऐसी समिति घटनास्थल पर जाकर जांच करती है, विभिन्न साक्षियों की परीक्षा करती है, साक्ष्य संगृहीत करती है और आयोग को अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसे अन्वेषण से हिंसा और अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को तुरन्त राहत और न्याय प्रदान करने में सहायता मिलती है। आयोग जांच समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करता है और न्यायालय में आरोपपत्र फाइल होने तक राज्य सरकारों/प्राधिकारियों के साथ ऐसे मामलों में अनुकरण करता रहता है या जहां शिकायत किए गए अभिकथन अन्वेषण के पश्चात् साबित नहीं होते हैं वहां मामले को बंद कर दिया जाता है।

iv. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की बाबत आयोग संबंधित संगठन/विभाग/प्राधिकरण को ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार आन्तरिक समिति गठित करने की सलाह देता है। ऐसे सभी संगठनों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे आंतरिक समिति की रिपोर्ट की प्रति आयोग को उसके परिशीलन के लिए प्रस्तुत करें। आयोग मीडिया/ कार्यशालाओं/सेमिनारों के माध्यम से अधिनियम के उपबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सक्रिय कदम भी उठाता है।

v. आयोग, ऐसी शिकायतों को जो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने से संबंधित नहीं हैं उन्हें राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग तथा तत्संबंधी राज्य आयोगों को समुचित कार्रवाई के लिए प्रेषित करता है। अन्य मामलों में शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों को कार्रवाई के लिए, यथोचित, प्रेषित किया जाता है।

2.6 सामान्यतः निम्नलिखित प्रकृति की शिकायतों/मामलों को ग्रहण नहीं किया जाता है, तथापि, ऐसे मामलों को जहां आयोग अधिकारों का अतिलंघन पाता है वहां विधि और प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्दिष्ट करता है।

i. अपठनीय या अस्पष्ट, अनाम या छदम नाम वाली शिकायतें;

ii. जब उठाया गया मुद्दा पक्षकारों के बीच संविदात्मक अधिकारों, बाध्यताओं आदि जैसे सिविल विवादों से संबंधित हो;

iii. जब उठाए गए विवाद्यक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर सेवा संबंधी मामलों से जुड़े हों;

iv. जब उठाया गया मुद्दा महिलाओं को अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर श्रम संबंधी/औद्योगिक मुद्दे से जुड़ा हो;

v. जब मामला न्यायाधीन हो;

vi. ऐसे मामले जो किसी राज्य आयोग या किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो;

vii. जब आयोग ने मामले में विनिश्चय पहले ही कर दिया हो;

viii. जब मामला किसी अन्य आधार पर आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हो;

ix. संपत्ति विवाद से संबंधित मुद्दे।

2.7 दिसंबर, 2018 तक शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में पंजीकृत अधिदिष्ट शिकायतों को 19 व्यापक वर्गों के अधीन, जिसमें 7 उपवर्ग भी शामिल हैं, पंजीकृत किया जाता था। शिकायतों का और आगे वर्गीकरण का पुनरीक्षण करने के पश्चात् जनवरी, 2019 से आगे विनिर्दिष्ट वर्गों के में अलग–अलग किया गया है। इस समय आयोग में प्राप्त अधिदिष्ट शिकायतों की निम्नलिखित 23 वर्गों के अधीन पंजीकृत किया जाता है:

i. बलात्संग/ बलात्संग का प्रयास

ii. एसिड हमला

iii. लैंगिक हमला

iv. लैंगिक उत्पीड़न

v. पीछा करना/दृश्यरतिकता

vi. महिलाओं का दुर्व्यापार/ वेश्यावृत्ति

vii. महिलाओं की लज्जा भंग करना/उत्पीडित करना

viii. महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध

ix. महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता

x. विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न

xi. दहेज मृत्यु

xii. द्विविवाह/बहुविवाह

xiii. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण

xiv. महिलाओं का बालकों की अभिरक्षा/विवाह—विच्छेद का अधिकार

xv. विवाह/प्रतिष्ठा अपराधों में चयन का प्रयोग करने का अधिकार

xvi. गरिमा के साथ जीने का अधिकार

xvii. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न

xviii. महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधाएं देने से इन्कार करना

xix. लिंग भेदभाव, जिसमें शिक्षा एवं कार्य का समान अधिकार शामिल है।

xx. स्त्री का अशिष्ट रूपण चित्रण

xxi. लिंग चयनित गर्भपातय मादा भ्रूण हत्या/गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच

xxii. महिला अधिकारों के प्रति अपमानजनक परंपरागत प्रथाएं अर्थात् सती प्रथा, देवदासी प्रथा और चुड़ैल हत्या करना

xxiii. महिलाओं के लिए निःशुल्क विधिक सहायता

2.8 वर्ष 2018—19 के दौरान अधिदेश के अन्तर्गत लगभग 19,279 शिकायतों/मामलों को पंजीकृत किया गया। वर्ष 2018—19 दौरान आयोग द्वारा जिन शिकायतों को पंजीकृत किया गया था उनका प्रकृति—वार और राज्य—वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष 2018—2019 के दौरान प्राप्त शिकायतों की प्रकृति—वार सूची

क्र. सं.	प्रकृति	कुल
1	द्विविवाह/बहुविवाह	160
2	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	402
3	दहेज उत्पीड़न/ दहेज हत्या	2584
4	महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता	348
5	लैंगिक भेदभाव, जिसमें शिक्षा एवं कार्य का समान अधिकार शामिल है	58
6	स्त्री का अशिष्ट रूपण चित्रण	98

क्र. सं.	प्रकृति	कुल
7	महिलाओं की लज्जा भंग करना	1128
8	महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता	2734
9	महिलाओं की निजता और इससे संबंधित अधिकार	127
10	महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य का अधिकार	74
11	विवाह में विकल्प देने का अधिकार	369
12	गरिमा के साथ जीवनयापन का अधिकार	6792
13	लिंग चयनित गर्भपात/मादा भ्रूण हत्या/गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच	50
14	लैंगिक उत्पीड़न जिसमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न भी शामिल है	750
15	पीछा करना/रतिदर्शन	142
16	महिला अधिकारों के प्रति अपमानजनक परंपरागत प्रथाएं अर्थात् सती प्रथा, देवदासी प्रथा, चुड़ैल हत्या करना	17
17	महिलाओं का दुर्व्यापार/ वेश्यावृत्ति	101
18	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा	1636
19	विवाह–विच्छेद की दशा में बच्चों की अभिरक्षा का महिलाओं का अधिकार	51
20	एसिड हमला	8
21	महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधाएं देने से इन्कार करना	26
22	दहेज मृत्यु	52
23	विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न	610
24	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण	462
25	बलात्संग/बलात्संग का प्रयास	209
26	विवाह/प्रतिष्ठा अपराधों में चयन करने का प्रयोग करने का अधिकार	105
27	लैंगिक हमला	35
28	लैंगिक उत्पीड़न	62
29	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न	88
	कुल	**19279**

- जनवरी, 2019 से और आगे के लिए क्रम सं. 20–29 के विनिर्दिष्ट वर्गों को शामिल किया गया है

वर्ष 2018–2019 के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्य–वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	कुल
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	4
2	आन्ध्र प्रदेश	137
3	अरूणाचल प्रदेश	2
4	असम	49
5	बिहार	754
6	चंडीगढ़	49
7	छत्तीसगढ़	87
8	दादरा और नागर हवेली	3
9	दमन और दीव	-
10	दिल्ली	1733
11	गोवा	15
12	गुजरात	124
13	हरियाणा	1181
14	हिमाचल प्रदेश	47
15	जम्मू और कश्मीर	35
16	झारखंड	201
17	कर्नाटक	271
18	केरल	100
19	मध्य प्रदेश	533
20	महाराष्ट्र	591
21	मणिपुर	3
22	मेघालय	5
23.	मिजोरम	1
24	नागालैंड	1
25	ओडिशा	79
26	पुडुचेरी	13
27	पंजाब	279
28	राजस्थान	733
29	सिक्किम	3
30	तमिलनाडु	256

31	तेलंगाना	107
32	त्रिपुरा	4
33	उत्तर प्रदेश	11289
34	उत्तराखंड	267
35	पश्चिम बंगाल	323
	कुल	19279

2.9 शिकायतों के आकड़ों से यह प्रकट हुआ है कि गरिमा के साथ जीवन यापन करने के अधिकार, देहज उत्पीड़न/विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता और पुलिस की उदासीनता से संबंधित शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। सबसे अधिक संख्या में जिन दस शिखर वर्गों से शिकायतें प्राप्त हुई उसे निम्नलिखित सारणी में उपदर्शित किया गया है:

दस शिखर वर्ग जिसमें शिकायतें दर्ज की गई

क्र. सं.	वर्ग	शिकायतों की संख्या
1.	गरिमा के साथ जीवन यापन	6792
2.	दहेज उत्पीड़न/ विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता	2584
3.	महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता	2734
4.	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा	1636
5.	महिलाओं की लज्जा भंग करना	939
6.	लैंगिक उत्पीड़न जिसमें कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न भी शामिल है	750
7.	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	402
8.	विवाह में विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार	369
9.	द्विविवाह/बहु विवाह	160
10.	पीछा करना/दृश्यरतिकता	142

टिप्पणी: *इसमें जनवरी, 2019 से बनाए रखे गए अलग किए गए विनिर्दिष्ट वर्ग के आकड़ें शामिल नहीं हैं।

2.10 पंजीकृत की गई शिकायतों के आकड़ों से यह प्रकट हुआ है कि आयोग में उत्तरी राज्यों से अधिक संख्या में शिकायतें पंजीकृत की गई हैं।आयोग में जिन दस राज्यों ने सबसे अधिक शिकायतें पंजीकृत की है उन्हें नीचे सारणी में दर्शित किया गया है:

दस शिखर राज्य जहां से सबसे अधिक शिकायतें पंजीकृत की गई

क्रम सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	11287
2.	दिल्ली	1733
3.	हरियाणा	1181
4.	बिहार	754
5.	राजस्थान	733
6.	महाराष्ट्र	591
7.	मध्य प्रदेश	533
8.	पश्चिम बंगाल	323
9.	कर्नाटक	271
10.	उत्तराखंड	267

टिप्पण: प्रकीर्ण/गैर–अधिदेश शिकायतों/पृष्ठांकनों को शामिल नहीं किया गया है।

महिला जन सुनवाई

2.11 शिकायतों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी और शीघ्रता और प्रभावी रूप से इनका निपटान करने के संबंध में विचार करने के पश्चात् राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिला विधिक प्राधिकरण और पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अगस्त, 2016 से एक प्रायोगिक परियोजना ''महिला जन सुनवाई'' आरंभ की है। वित्तीय वर्ष, 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश के विभिन्न जिलों में 10 महिला जन सुनवाइयां आयोजित की। इन जन सुनवाइयों की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों द्वारा की जाती है। मामलों की स्थल पर ही सुनवाई करके कई शिकायतों को निपटाया गया। वर्ष 2018–19 के दौरान जन सुनवाइयों में जिन मामलों को निपटाया गया है उनके ब्यौरे नीचे दिए गए है:

दस शिखर राज्य जहां से सबसे अधिक शिकायतें पंजीकृत की गई

क्रम सं.	राज्य	जिला	अवधि	निपटाए गए मामलों की सं.
1.	राजस्थान	जयपुर	6 अप्रैल 2018	50
2.	उत्तर प्रदेश	आगरा	28 दिसंबर 2018	50
3.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	28 दिसंबर 2018	50
4.	दिल्ली	उत्तर और उत्तर पश्चिमी जिला	29 दिसंबर 2018	50
5.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	4 जनवरी 2019	50
6.	उत्तर प्रदेश	गौतमबुद्ध नगर	8 जनवरी 2019	50
7.	दिल्ली	दक्षिण जिला	11 जनवरी 2019	50
8.	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	8 फरवरी 2019	50
9.	दिल्ली	केंद्रीय जिला	15 फरवरी 2019	50
10.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	20 फरवरी 2019	50
	कुल			**500**

2.12 राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने परिसर के भीतर तारीख 26 सितंबर, 2018 को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक पारस्परिक संवाद बैठक आयोजित की। इस बैठक को इस बात को ध्यान में रखते हुए बुलाया गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के बीच तालमेल में सुधार किया जा सके जिससे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत प्रतितोष प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इस बैठक में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम करने पर महिलाओं के लिए दिल्ली एक सुरक्षित स्थान बनाने के संबंध में भी ध्यान केंद्रित किया गया था।

2.13 तारीख 22 जनवरी 2019 को शिकायतों के प्रतितोष की बाबत समान दृष्टिकोण के लिए राज्य महिला आयोगों के साथ एक पारस्परिक संवाद बैठक आयोजित की गई। मुख्य सिफारिशों को नीचे उद्दृत किया जा रहा है:

i. सभी राज्य महिला आयोगों के पास शिकायतों को प्राप्त करने और कार्यवाही करने के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए। इससे पूरे देश में शिकायतों के पूर्ण डाटा बेस को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे और इससे शिकायतों के दोहरे पंजीकरण से बचने में सहायता मिलेगी।

ii. राज्य महिला आयोगों और राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच नियमित रूप से जानकारी के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग या ऐसे अन्य राज्य महिला आयोगों के साथ, जिन्होंने अन्य आयोगों की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए प्रेषित किया है, मासिक स्थिति सांझा करेंगे।

iii. नियमित आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच पारस्परिक संवाद बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से बैठक तब आयोजित की जा सकती है जब राज्य आयोगों के पास यह प्रणाली लगी हुई हो। राज्य आयोगों को वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कार्य करना चाहिए।

iv. राज्य महिला आयोग अपनी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पद्धति के प्रति निदेश करते हुए जानकारी सांझा कर सके जिससे कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के आंतरिक संयोजन को मजबूत किया जा सके।

v. राष्ट्रीय महिला आयोग राज्य महिला आयोगों के अनुरोध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

****

अध्याय–3

अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुद्दें

3.1 वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति का क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय सीमा के पार आवागमन और अन्तः संबंध में रूकावटें काफी हद तक कम हो गई है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सीमा के पार आवागमन तथा कार्य, व्यापार और विवाह के लिए देशांतरण अब सामान्य बात है। भारतीयों के बीच विवाह के लिए एक देश से दूसरे देश में जा कर बसना भी अब एक सामान्य बात है। इसके परिणामस्वरूप समय समय पर ऐसे मुद्दें उठते रहे हैं जिनमें विशेष रूप से अनिवासी भारतीय विवाहों में कम से कम विवाह के पक्षकारों में एक पक्षकार भारतीय नागरिक होता है।

3.2 अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित विवादों में इस तथ्य के कारण विधिक जटिलताएं अंतर्ग्रस्त होती है कि ऐसे विवाह न केवल भारतीय विधियों द्वारा शासित होते हैं अपितु इसमें उस देश की विधिक प्रणाली जहां दूसरी पार्टी जो भारतीय नागारिक हो या ऐसे अन्य देश का नागरिक हो जो भारत के बाहर किसी और देश में रह रहा हो। ऐसे विवाहों में अलग रहना/विवाह–विच्छेद, भरणपोषण, बच्चों की अभिरक्षा और उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधियों की अधिकारिता के संबंध में विवाद अद्भूत होते रहते हैं। ऐसे विवाहों में महिलाओं की दुर्बल स्थिति जैसे कि घरेलू हिंसा, परित्याग, एकपक्षीय विवाह–विच्छेद, विदेशी न्यायालयों की डिक्री के माध्यम से बच्चों की अभिरक्षा और पत्नी और बालकों का भरणपोषण न करना जैसे विभिन्न रूपों में प्रतिबिम्बित होती है।

3.3 अप्रैल 2009 में भारत सरकार द्वारा अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विभिन्न सहयोगियों के समन्वय प्रयासों के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग को राष्ट्रीय समन्वय अभिकरण के रूप में नामनिर्देशित किया गया। तारीख 24 सितंबर, 2009 को आयोग ने एक अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना की।

3.4 अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ को सौंपे गए मुख्य कृत्य निम्नलिखित हैंः

i ऐसी भारतीय महिलाओं, जिनका अनिवासी भारतीय/विदेशी पतियों ने परित्याग कर दिया है, से शिकायतें प्राप्त करना, उन पर कार्यवाही करना और ऐसी शिकायतकर्ताओं को हर संभव सहायता प्रदान करना। इसमें पक्षकारों के बीच सुलह/हस्तक्षेप करना, विधिक मामलों में सहायता प्रदान करना, बाहर के मिशन/दूतावासों के साथ इन मामलों को उठाना, विभिन्न सहयोगियों, राज्य सरकारों, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस प्राधिकारियों, एस.एल. एस.ए./डी.एल.एस.ए.ए संबंधित मंत्रालयों और भारत और विदेश में गैर–सरकारी संगठनों/सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय करना। शीघ्र कार्रवाई किए जाने को ध्यान मे रखते हुए संबंधित प्राधिकारियों से उन्हें निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में ''की गई कार्रवाई रिपोर्ट'' मंगाई जाती हैं।

ii आयोग के ध्यान में लाई गई किसी मुद्दे पर स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेना।

iii मध्यस्थता नीति के लिए आयोग के पास पंजीकृत मामलों के डाटा बैंक/अभिलेख को बनाए रखने का प्रयास करना।

iv अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न सहयोगियों जैसे कि न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन को संवेदीग्राही करने के लिए उचित प्रशिक्षण माड्यूल बनाने का प्रयास करना और आम जनता के बीच जागरूकता सृजित करना।

3.5 सेवाओं के आंतर–अभिकरण, अभिसरण और विभिन्न सहयोगियों जैसे पुलिस, मंत्रालयों, भारतीय दूतावासों और विदेशों में हमारे मिशन तथा स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से आयोग परिवेदनाओं के उपचार को सुकर बनाता है। आयोग, व्यथित महिलाओं की सहायता विदेश मंत्रालय की योजना अर्थात् ''विदेशी भारतीय पतियों द्वारा अभित्यक्त भारतीय महिलाओं को विधिक और वित्तीय सहायता'' के अधीन प्रदान की गई सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहायता करता है। विदेश मंत्रालय की इस योजना को सूचीबद्ध संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। आयोग भारतीय मिशन के साथ इन मामलों को उठाता है और यह अनुरोध करता है कि वे व्यथित महिलाओं के साथ संपर्क करें और उन्हें सूचीबद्ध संगठनों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यथाअपेक्षित कोई अन्य सहायता प्रदान कराए। आयोग से जारी किए गए समनों और वारंटों या उपयुक्त न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों और अन्य सुसंगत विषय पर जहां कहीं और जब कभी भी आवश्यक हो, गृह मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय के साथ भी पत्र व्यवहार करता है।

3.6 अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में पूरे देश से और विदेशों में भी निवास कर रही महिलाओं से अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों पर शिकायतें प्राप्त होती है। नीचे दी गई सारणी में 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत शिकायतों के राज्य वार ब्यौरे संक्षेप में दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान पंजीकृत अनिवासी भारतीय मामले

राज्य	शिकायतों की संख्या
आंध्र प्रदेश	54
असम	1
बिहार	8
चंडीगढ़	9
छत्तीसगढ़	7
दिल्ली	96
गुजरात	48
हरियाणा	68
हिमाचल प्रदेश	5
जम्मू और कश्मीर	6
झारखंड	8
कर्नाटक	39
केरल	23

राज्य	शिकायतों की संख्या
मध्य प्रदेश	16
महाराष्ट्र	63
ओडिशा	12
पुडुचेरी	0
पंजाब	95
राजस्थान	21
तमिलनाडु	65
तेलंगाना	64
उत्तर प्रदेश	94
उत्तराखंड	14
पश्चिम बंगाल	12
कुल	**828**

3.7 अनिवासी भारतीय विवाहों के मामले में भारत में रह रही व्यथित महिलाओं से अधिकतर शिकायतें निम्न विषयों पर प्राप्त हुई हैं:

भारत में रह रही व्यथित महिलाओं के मामलें में शिकायतों के आधार

i. अभित्यजन;

ii. पति और ससुराल वालों द्वारा घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न;

iii. विवाह–विच्छेद और बालक अभिरक्षा पर विदेशी न्यायालय द्वारा एकपक्षीय विनिश्चय;

iv. पति/ससुराल वालों द्वारा शिकायतकर्ता के पासपोर्ट/अन्य दस्तावेजों को बलपूर्वक कब्जे में लेना;

v. शिकायतकर्ता को पति के अते पते के बारे में जानकारी न होना;

vi. पति द्वारा देश छोड़ने के बारे में शिकायतकर्ताओं की आशंका;

vii. शिकायतकर्ता और उसके बालकों का भरणपोषण;

viii. विदेश में विधिक दस्तावेजों की तामीली।

3.8 विदेश में रह रही महिलाओं से जो शिकायतें प्राप्त होती हैं वे व्यापक रूप से निम्नलिखित से संबंधित है:

विदेश में रह रही महिलाओं की शिकायतों के आधार

i. अभित्यजन;

ii. पति और ससुराल के व्यक्तियों द्वारा घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न;

iii. पति/ससुराल के व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता के पासपोर्ट/अन्य दस्तावेजों को जबरदस्ती कब्जे में लेना;

iv. पति द्वारा आरंभ किए गए विवाह–विच्छेद या बाल अभिरक्षा से संबंधित मामलों का न्यायालय में प्रतिवाद करने के लिए सहायता न मिलना;

v. पति द्वारा शिकायकर्ता के विरूद्ध घरेलू हिंसा के मिथ्या मामलें फाइल करना;

3.9 तारीख 31.12.2017 के विदेश मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. ओ.आई.–19013/268/2017/ओआईए–आईआईसी द्वारा बैठक में लिए गए विनिश्चय के अनुसरण में एकीकृत नोडल अभिकरण (आईएनए) का गठन किया गया जिसमें सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अध्यक्ष के रूप में और सदस्य–सचिव, रा.म.आ., संयुक्त सचिव, एमडब्ल्यूसीडी, संयुक्त सचिव, गृह, गृह मंत्रालय (एमएचए), संयुक्त सचिव (ओआईए–II)), विदेश मंत्रालय (एमईए), संयुक्त सचिव (विधिक), विधि और न्याय मंत्रालय, संयुक्त सचिव (विदेशी) गृह मंत्रालय, उप सचिव एमडब्ल्यूसीडी को एकीकृत नोडल सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया है। आईएनए, अवेक्षण परिपत्र (एलओसी) को जारी करने, पासपोर्ट जब्त करने और अनिवासी भारतीय विवाहों आदि से व्यथित महिलाओं के मुद्दों को हल करने के लिए विधियों के संशोधन से संबंधित, मुद्दों पर कार्यवाही करता है। आयोग के प्रयास से 2018–19 के दौरान आईएनए द्वारा कुल मिलाकर 60 पथभ्रष्ट पतियों के पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा जब्त किए गए थे और 8 मामलों में अवेक्षण परिपत्र जारी किया गया था।

3.10 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मामलों में काफी बडी संख्या में व्यथित महिलाओं को, न्याय दिलाने में सफल रहा है।

वृतांत–I

एक मामले में जहां दोनों पक्षकार अमेरिका में रह रहे थे वहां शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी पर विवाह–विच्छेद सूचना तामील की। आयोग ने भारत के महाकौंसलावास, न्यूयॉर्क से शिकायतकर्ता से सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क किया। वाणिज्य दूतावास ने सूची में सम्मिलित एक गैर सरकारी संगठन से शिकायतकर्ता का संपर्क कराया जिसने अमेरिका में एक अटार्नी से संपर्क कराने में उसकी मदद की। विभिन्न प्रयासों के पश्चात् आयोग को सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता ने अपने पति के साथ सुलह कर ली है।

वृतांत–II

शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन करते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पति जो कि एक ब्रिटिश नागरिक है वह जब भी भारत आता है तो उसके साथ मार पिटाई करता है और अंततः उसने शिकायतकर्ता और उसकी पुत्री का परित्याग कर दिया है। शिकायतकर्ता ने पंजाब पुलिस, मोहाली के अनिवासी भारतीय विंग के पास एक शिकायत फाइल की। आयोग के प्रयासों से और पुलिस अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय बनाने के पश्चात्, प्रत्यर्थी पति सभी मुद्दों को तय करने और दो वर्ष के भीतर शिकायतकर्ता को अपने साथ ब्रिटेन ले जाने के लिए समझौता कर लिया।

3.11 अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों पर व्यापक सार्वजनिक जानकारी सृजित करने के लिए तारीख 30 जुलाई, 2018 को आयोग द्वारा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा में एक राष्ट्रीय

सेमिनार आयोजित किया गया। आयोग द्वारा तारीख 23 अक्तूबर, 2019 को पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के संभव उपायों पर विचार करने के लिए एक परामर्श बैठक आयोजित की गई।

****

अध्याय-4

स्वप्रेरणा से घटनाओं/मामलों का संज्ञान

4.1 राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के वंचन और अधिलंघन के बारे में समाचारपत्रों, इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया में दर्शाई जाने वाली रिपोर्टों के आधार पर मामलों का संज्ञान स्वप्रेरणा से लेता है और ऐसे मामलों में जांच करने के लिए कार्रवाई आरंभ करता है। उन मामलों में जहां महिलाओं के अधिकारों का गंभीर अतिक्रमण होता है, आयोग तथ्यों का पता लगाने वाले दलों का भी गठन करता है। इस प्रकार गठित की गई समितियां/दल मामले का अन्वेषण करते हैं और विवाद्यकों को हल करने के लिए आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते है।

4.2 ऐसे मामलों की संख्या, जहां आयोग द्वारा 2018–19 के दौरान जहां स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया और जिन मामलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं तथा जिन मामलों को बंद कर दिया गया है, की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष 2017–18 के दौरान स्वप्रेरणा से दर्ज मामले

क्रम सं.	संज्ञान लिए गए मामलों की संख्या	ऐसे मामलों जिनमें की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है (पुरानी और नई)	बंद किए गए मामलों की संख्या	स्व प्रेरणा मामलों में गठित जांच समिति/तथ्य पता लगाने वाले दल
1.	215	243	71	10

4.3 उन मामलों का, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2018–19 के दौरान स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया है और जांच समिति/तथ्य पता लगाने वाले दलों का गठन किया है का सारांश नीचे है।

गया में सामूहिक बलात्कार की घटना

4.4 आयोग ने 'गया में पुरूष को पेड़ से बांधा और पत्नी तथा पुत्री के साथ सामूहिक बलात्कार किया' शीर्षक नामक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया। इस घटना का संबंध गया, बिहार में तारीख 13 जून, 2018 को पीडितों के पति और पिता के समक्ष महिला और उसकी पुत्री का सामूहिक बलात्कार करने की घटना से है। इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया था। आयोग के प्रयासों से इस मामले में माननीय न्यायालय में आरोप पत्र फाइल कर दिया गया है।

झारखंड में गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक बलात्कार

4.5 आयोग ने 'झारखंड गांव में बंदूक की नोक पर 5 गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं का सामूहिक बलात्कार' नामक शीर्षक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेने के पश्चात् एक जांच समिति का गठन किया। यह रिपोर्ट की गई है कि तारीख 19 जून, 2018 को कम से कम आधा दर्जन पुरूषों द्वारा बंदूक की नोक पर पांच महिलाओं का सामूहिक बलात्कार उस समय किया गया जब वे मानवीय दुर्व्यापार से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता सर्जित करने के लिए खुंटी जिले में एक गांव में जा रही थी। आयोग के प्रयासों से इस मामले में माननीय न्यायालय में आरोप पत्र फाइल कर दिया गया है।

केरल में पादरियों द्वारा एक महिला को ब्लेकमेल करना और लैंगिक रूप से उसका दुरूपयोग करना

4.6 एक और अन्य घटना जिसमें केरल में लगभग पांच पादरियों द्वारा एक महिला को ब्लेकमेल करने और लैंगिक रूप से उसका दुरूपयोग करने की बाबत रिपोर्ट मिली थी, इस पर आयोग ने एक जांच समिति का गठन किया और जांच दल राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों से मिला। जांच समिति की रिपोर्ट को जानकारी के लिए केंद्रीय सरकार को प्रेषित कर दिया गया है और राज्य सरकार से उचित कार्रवाई करने का निदेश किया गया है।

मध्य प्रदेश में बछड़ा समुदाय का पुनर्वास

4.7 तारीख 2 जुलाई, 2018 को इंडियन एक्सप्रेस में 'राजमार्ग पर एक लड़की' शीर्षक नामक प्रकाशित समाचारपत्र का संज्ञान लेने के पश्चात् आयोग ने इस मामले को मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया। आयोग को राज्य और केंद्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बछड़ा समुदाय के पुनर्वास और कल्याण के लिए अपनाए गए उपायों के बारे में सूचित किया गया।

दिल्ली में विमान परिचारिका का दहेज मृत्यु मामला

4.8 विभिन्न राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित 'दहेज मृत्यु के लिए विमान परिचारिका के पति को गिरफ्तार किया गया' शीर्षक मीडिया रिपोर्ट पर इस मामले की जांच करने के लिए आयोग ने एक दो सदस्यीय तथ्य पता लगाने वाले दल का गठन किया। यह रिपोर्ट की गई थी कि एक 39 वर्ष की महिलाएं जो विमान परिचारिका थी, ने अभिकथित रूप से दक्षिणी दिल्ली में छत से छलांग लगाने के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई। माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र फाइल कर दिया गया है।

ओडिसा में पुलिया के नीचे बच्चे का जन्म

4.9 तारीख 8 मई, 2018 को एनडीटीवी में प्रसारित 'ओडिसा में पुलिया के नीचे महिला ने बच्चे को जन्म दिया, हाथी ने उसका मकान नष्ट कर दिया था' नामक शीर्षक मीडिया रिपोर्ट के एक और अन्य मामले में आयोग ने इस विषय को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार के समक्ष इस मामले को उठाया। महिला का पुनर्वास करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष इस मामले का अनुकरण किया गया था और पथभ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ की गई।

मध्य प्रदेश में छात्रावास में रह रही बीस वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार

4.10 आयोग ने तारीख 10.8.2018 को हिंदुस्तान में प्रकाशित ''मध्य प्रदेश के महिलाओं के छात्रावास के प्रधान को 20 वर्ष की लड़की के साथ अभिकथित रूप से बलात्कार करने के लिए गिरफ्तार किया गया'' शीर्षक नामक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया। यह रिपोर्ट की गई थी कि गूंगी और बहरी महिलाओं के हॉस्टल के प्रधान को अभिकथित रूप से 20 वर्ष की जनजाति की एक महिला का बलात्कार करने और दो अन्य महिलाओं का उत्पीड़न करने के लिए गिरफ्तार किया गया। आयोग ने मध्य प्रदेश में छात्रावास

के प्रधान द्वारा अभिकथित बलात्कार करने के लिए एक तथ्य पता लगाने वाले दल का गठन किया। आयोग द्वारा मामले का अनुकरण किया गया और छात्रावास के प्रधान के विरूद्ध आरोपपत्र फाइल होने के पश्चात् इसे बंद कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश में एसिड हमले का मामला

4.11 तारीख 21 अगस्त, 2018 को विभिन्न राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित 'एसिड हमले के पश्चात् महिला को गंभीर क्षतियां पहुंची' शीर्षक नामक मीडिया रिपोर्ट का आयोग ने संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष इस मामले को उठाया गया जिसमें यह रिपोर्ट की गई की दो अज्ञात हमलावरों ने 30 वर्ष की महिला पर एसिड हमला किया था जिससे पीडिता को उसके शरीर के 50 प्रतिशत भाग पर जली हुई क्षतियां पहुंची। न्यायालय में आरोपपत्र फाइल कर दिया गया है।

कर्नाटक में बंधुआ मजदूरों का भय

4.12 राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 21.12.2018 को इंडिया टुडे में प्रसारित 'बंधुआ मजदूरों ने कर्नाटक फार्म पर भय प्रकट किया' समाचार का संज्ञान लिया। अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई। जांच दल तारीख 4.1.19 को हसन जिला, कर्नाटक के लिए गया और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ गहनता से विचार—विमर्श किया।

लुधियाना के पास एक कॉलेज लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार

4.13 तारीख 11 फरवरी, 2019 को इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक रूप से एक ऐसे समाचार को प्रसारित किया जिसका संबंध लुधियाना के पास इशावाल में एक कॉलेज की लड़की के साथ अभिकथित सामूहिक बलात्कार से था और पंजाब में दस संदिग्धों को नामित (बुक) किया गया। आयोग ने स्व प्रेरणा से मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेने के पश्चात् इस मामले की जांच करने के लिए एक तीन सदस्यों के तथ्य पता लगाने वाले दल का गठन किया। तथ्य पता लगाने वाले दल के निष्कर्ष के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को संसूचित किया गया। तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है।

4.14 जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि आयोग महिलाओं के अधिकारों के रक्षापायों के लिए अतिसक्रियता के साथ कार्यवाही कर रहा है और ऐसे मामलों में प्रभावित महिलाओं को न्याय मिल सके यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई भी कर रहा है।

****

अध्याय-5

नीति, निगरानी और अनुसंधान

5.1 राष्ट्रीय महिला आयोग अन्य बातों के साथ–साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवर्धनात्मक और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करता है। आयोग द्वारा या अन्य भागीदार संस्थाओं के माध्यम से कराए गए ऐसे अध्ययनों से महिलाओं की उन्नति और सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में उनकी प्रभावी भागीदारी में अड़चन डालने वाले कारणों का पता लगाने में सहायता मिलती है। आयोग का नीति, निगरानी और अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार से होने वाली विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का अन्वेषण करने के लिए संवर्धनात्मक और शिक्षा संबंधी अनुसंधान से संबंधित मामलों को देखता है। ऐसे अध्ययनों से रूकावटों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए रणनीति बनाने की सिफारिश करने में सहायता मिलती है। वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग ने महिलाओं के उबाऊपन और व्यवसायिक स्वास्थ्य परिसंकटों के लिए जिम्मेदार बातों का विश्लेषण करने से संबंधित कई क्रियाकलापों, जिसमें सेमिनार और कार्यशालाएं तथा अनुसंधान अध्ययन भी शामिल हैं, के लिए वित्त पोषण किया है। ये क्रियाकलाप विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी में आरंभ किए गए हैं।

व्यापक विषय जिनके आधार पर अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, निम्नलिखित हैः

1. अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दें विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय प्राइवेट विधियों के साथ घरेलू विधियों का सामंजस्य जिसमें ऐसे विवाह के करार भी हैं और ऐसे विवाहों में मुद्दों का समाधान करने में कैसे सहायता मिल सकती है।
2. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों की प्रभावशीलता।
3. कार्यस्थल पर लिंग भेदभाव– इसे रोकने के उपाय।
4. उच्चतर शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच– बाधाएं और इन्हें दूर करने की रणनीति।
5. भारतीय महिलाओं के बीच शैक्षणिक असमानताः असमानता के कारण और सुधार करने के लिए रणनीति।
6. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण/आर्थिक क्रियाकलापों में बढ़ती हुई महिलाओं की सहभागिता।
7. शहरी परिवहन और महिलाओं की सुरक्षा।
8. महिला उद्यमशीलः समस्याएं और संभावनाएं या कौशल विकास और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता।
9. नीतिगत परिवर्तन के सुझाव देने को ध्यान में रखते हुए महिलाओं से संबंधित भारत सरकार की विनिर्दिष्ट योजनाओं का निर्धारण।

10. चयनित गर्भपात और मादा भ्रूण हत्याः नीतिगत परिवर्तन।

11. असंगठित क्षेत्रों में महिलाएं– स्व सहायता समूहों की भूमिका और नीति समर्थित उपायों का क्रियान्वयन करने की स्थिति।

12. महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध।

13. आश्रय गृह/स्वाधार गृह की कार्यप्रणाली।

14. पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक साधन के रूप में हथकरघा और हस्तशिल्प।

व्यापक विषय जिनके आधार पर सेमिनार प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, निम्नलिखित हैः

i. महिलाओं का दुर्व्यापार– विधियों का प्रभावी परिवर्तन।

ii. आश्रय गृह/स्वाधार गृह आदि में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का समाधान करने के लिए रणनीति।

iii. वृद्धों की देखभाल करने की समस्याएं और उन पर कार्यवाही करने के लिए संभव व्यावहारिक समाधान।

iv. विद्यमान सरकारी योजनाओं के विशेष संदर्भ में जल, स्वच्छता और साफ सफाई से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में महिलाओं की भूमिका।

v. प्रवासी महिला कर्मकारों के अधिकारों का संरक्षण।

vi. जानकारी और जीवनयापन अवसरों के लिए नियोजन कौशल के साथ अभिरक्षा में विधवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण।

vii. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की बढ़ती हुई सहभागिता।

viii. महिलाएं और पर्यावरण/पर्यावरण को बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका (कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशु पालन, जल जीवजंतु आदि में सहयोगी के रूप में महिलाएं)

ix. उपजीविकाजन्य चयन में लिंग रूढिवादिता और महिलाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव।

x. साइबर अपराध और महिलाएं–पूर्वावधानियां और रणनीति।

xi. आर्थिक क्रियाकलापों में बढ़ती हुई महिलाओं की सहभागिता।

5.2 आयोग ने सितंबर, 2018 मास में सेमिनार आयोजित करने और अनुसंधान अध्ययन करने के लिए आनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। इसकी अच्छी प्रतिक्रिया हुई और क्रमशः 253 तथा 1847 संगठनों/अनुसंधानकर्ताओं ने अनुसंधान अध्ययन और सेमिनार/सम्मेलनों/कार्यशालाओं आयोजित करने के लिए आवेदन किया। प्रस्तावों की संवीक्षा करने के पश्चात् आयोग द्वारा वित्त पोषण करने के लिए 21 अनुसंधान अध्ययनों और 52 सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सेमिनार/अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए संगठनों और चयन किए गए विषयों की सूची क्रमशः उपाबंध– IV और V पर है।

5.3 पूर्व वर्ष में दिए गए निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययनों को 2018–19 के दौरान पूरा किया गया ।

(i) ज्ञानोदय फाउंडेशन, मधुबनी, बिहार द्वारा संचालित ''रॉलऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स टुवड्र्स प्रोविडिंग सक्सेसफुल सोलेस टू दी विक्टिम्स ऑफ़ डोमेस्टिक विओलेंस इन बिहार'' पर अनुसंधान अध्ययन।

(ii) सेंटर फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट स्टडीज, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा संचालित ''ट्रांसक्रिप्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ़ इंडिजेनस नॉलेज ऑफ़ पीपल स्पेसिअल्ली वीमेन लिविंग इन ट्राइबल एको–रीजन ऑफ़ एम.पी. विथ स्पेशल रिफरेन्स टू बेतुल डिस्ट्रिक्ट'' पर अनुसंधान अध्ययन।

(iii) एचएनबी गरवाल यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित ''एनालिसिस ऑफ़ दी डाइटरी पैटर्न्स एंड नुत्रितीओनल स्टेटस ऑफ़ फेमलेस एंड फैक्टर्स अफ्फेक्टिंग थेम इन हिल रूरल एरियाज ऑफ़ उत्तराखंड'' पर अनुसंधान अध्ययन।

****

अध्याय-6

महिला कल्याण, सुरक्षा और लिंग संवेदनशीलता

महिला, सुरक्षा और कल्याण के लिए पहल

6.1 महिलाओं की संपूर्ण क्षमताओं के विकास और संवर्धन के लिए वातावरण सर्जित करना एक पूर्वापेक्षा है। इसके लिए उचित नीतियां और कार्यक्रम बनाना आवश्यक है और लिंग परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में जानकारी सर्जित करना भी आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत है। इस समय आयोग द्वारा पश्चात्वर्ती पैराओं में दिए गए कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

हिंसामुक्त घर– एक महिला का अधिकार (महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ)

6.2 राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टी.आई.एस.एस.) और दिल्ली पुलिस के सहयोग से महिलाओं को सशक्त करने ओर सार्वजनिक और निजी जीवन में हिंसा की उत्तरजीवी महिलाओं की सहायता करने के लिए एक परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना के अधीन सभी जिलों में तिरस्कृत महिलाओं को मनोवैज्ञानिक–विधिक सेवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। इस समय जिला स्तर पर 24 सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। ये सभी कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस के महिलाओं के विरूद्ध अपराध (सी.ए.डब्ल्यू.) प्रकोष्ठों में कार्यरत हैं। आयोग और दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से इन प्रकोष्ठों के कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाती है। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर 7 अन्य राज्यों के 22 जिलों में भी लागू किया जा रहा है। ये राज्य हैं बिहार, असम, मेघालय, पंजाब, मध्यप्रदेश, ओडिसा और तमिलनाडु। यह परियोजना घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं की मदद करने में सहायता करेगी और पुलिस/दांडिक न्याय प्रणाली के भीतर एक सुव्यवस्थित परिवेदना का उपचार करने की प्रक्रिया का सृजन करेगी।

एसिड हमले से संबंधित मामलों की निगरानी

6.3 एसिड हमले से पीडित महिलाओं को तुरंत राहत प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए एसिड हमले से संबंधित मामलों की जानकारी, जिसमें पीडितों को प्रतिकर का भुगतान भी शामिल है, की निगरानी आरंभ की है। आरंभ में आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से सूचना एकत्रित की और इसे एक डिजीटल एम.आई.एस. प्लेटफार्म पर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के साथ पत्र–व्यवहार करने के पश्चात् अधिकतर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों ने एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर लिया है। नियमित रूप से एम.आई.एस. पोर्टल पर एसिड हमले की पीडितों के आकड़ों को

अद्यतन करने के लिए राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे उच्च स्तर के अधिकारी से सूचना की समीक्षा कराए और इसके लिए अधिकतर राज्यों ने उच्च अधिकारियों को मनोनीत किया है।

लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम

6.4 राष्ट्रीय महिला आयोग पूरे देश में, पुलिस, प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों के लिए जेंडर संवेदनशीलता कार्यशालाएं और कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इन कार्यशालाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य लिंग संबंधी मुद्दों पर और लिंग–आधारित अपराधों के मामलों में बिना किसी पूर्वाग्रह और पक्षपात के, प्रभावी रूप से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कर्मचारियों को सशक्त एवं संवेदीग्राही बनाना है। ऐसी कार्यशालाओं से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति के निबंधनों के अनुसार अपेक्षित दक्षता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। वर्ष 2018–19 के दौरान सीतापुर और मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), सूरज (गुजरात), थ्रिसुर (केरल), पटना (बिहार), देहरादून (उत्तराखंड), रायपुर और बिलासपुर (छत्तीसगढ़), अगरतला (त्रिपुरा), पालमपुर और धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश), करनाल (हरियाणा), और जोधपुर (राजस्थान) में विभिन्न रैंको के पुलिस अधिकारियों के लिए लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गई। झारोदा कला (दिल्ली) में पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं ने पुलिस प्रशिक्षुओं के लिए और एसपीयूडब्ल्यूएसी ने पुलिस अधिकारियों ने लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

डिजीटल साक्षरता कार्यक्रम

6.5 राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर पीस फाउन्डेशन और फेसबुक के सहयोग से डिजीटल साक्षरता को बढ़ाने का कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें क्या सवाधानियां बरती जानी चाहिए; साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता सर्जित करना, और महिलाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सलाह देना; समस्याओं का निवारण करना और ऐसे अपराधों के संबंध में कैसे कार्यवाही की जाए शामिल है। महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए तारीख 18 जून 2018 को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में 'डिजीटल शक्ति' अभियान के रूप में यह कार्यक्रम आरंभ किया गया। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय और तमिलनाडु में यह कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है और 2018–19 के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन कुल 60,484 विद्यार्थियों को संवेदीग्राही बनाया गया है।

गृह पर्यटन का संवर्धन करने के लिए महिलाओं की सहभागिता

6.6 पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के लिए उपजीविका के अवसर सृजित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एयर बी.एन.बी के साथ भागीदारी की है। यह पहल इस क्षेत्र में घर में रूकने के सूक्ष्म उद्यम को आरंभ करने के लिए कौशल विकास इष्टतम कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पर्यटन और आतिथ्य सत्कार में तकनीक पर आधारित उपजीविका अवसर पैदा करना है। इससे डिजीटल समावेशी और महिलाउन्मुखी पर्यटन और आतिथ्य सत्कार उद्यम सृजन का संवर्धन होगा और महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। आयोग ने एआईआरबीएनबी के सहयोग से मणिपुर, मेघालय और अरूणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं के लिए उपजीविकाजन्य अवसरों को सर्जित करने के लिए घर पर रूकने के पर्यटन के संबंध में कार्यशाला आयोजित की।

****

अध्याय-7

पूर्वोत्तर (एन.ई.) में पहलें

7.1 पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं को सशक्त करने की दृष्टि के मद्देनजर राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग में एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यह प्रकोष्ठ महिलाओं के विकास और उनके विधिक तथा संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी का प्रचार करने के लिए कई क्रियाकलाप आयोजित करता है। इसके अलावा यह प्रकोष्ठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विनिर्दिष्ट अधिनियमों, संहिताओं, रूढियों और परिपाटियों की समीक्षा यह निर्धारण करने के आशय से करता है कि महिलाओं के विधिक और अन्य अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, इनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं ।

7.2 राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिक्किम राज्य महिला आयोग के सहयोग से तारीख 24 अप्रैल, 2018 को पूर्वोत्तर के चिंतन भवन, गैंगटोक, पूर्वी सिक्किम में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

7.3 आयोग ने मणिपुर राज्य महिला आयोग के सहयोग से तारीख 5 दिसंबर, 2018 को इम्फाल, मणिपुर में पूर्वोत्तर में राज्य महिला आयोगों के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की।

7.4 राष्ट्रीय महिला आयोग ने एनआईआरडी (ग्रामीण विकास और पंचायती राज राष्ट्रीय संस्थान) के सहयोग से मणिपुर के पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ किया है। आयोग ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) के सहयोग से पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और महिला पंचायत नेताओं के प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया है जिससे कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि क्रमशः पंचायतों में योजना, कार्यान्वयन और विकास का अनुवीक्षण तथा कल्याण कार्यक्रमों को सुकर बना सके। यह कार्यक्रम तारीख 9 अप्रैल, 2018 को मणिपुर में आरंभ हुआ था।

7.5 मेघालय राज्य महिला आयोग के सहयोग से तारीख 15 मार्च, 2019 को शिलॉग (मेघालय) में 'उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण' के संबंध में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम

में मेघालय से बड़ी संख्या में नवयुवतियों, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों से विद्यार्थी भी शामिल है, ने भाग लिया। इस सेमिनार इस प्रदेश से सफल पांच महिला उद्यमियों द्वारा प्रस्तुतीकरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में 'उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण' के संबंध में एक पैनल विचार–विमर्श भी किया गया जिसमें श्रोताओं ने पर्याप्त दिलचस्पी दिखाई और सक्रिय रूप से भाग लिया।

7.6 सिक्किम राज्य महिला आयोग के सहयोग से तारीख 26 मार्च, 2019 को गैंगटोक (सिक्किम) में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए जिसमें नवयुवतियों, सिक्किम में विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थी, ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सूचीबद्ध चार ख्याति प्राप्त वक्ताओं ने 'उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण' पर एक पैनल विचार–विमर्श भी किया गया। ये सेमिनार राष्ट्रीय महिला आयोग के विभिन्न प्रयासों के भाग हैं जिससे उन चुनौतियों को जिनका महिला उद्यमी सामना करती है और इन चुनौतियां का सामना करने के संभव उपाय भी है के संबंध में विचार–विमर्श करके उनके लिए वातावरण सुकर बनाने का प्रयास भी है।

7.7 राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी भूमिका के अनुसरण में सितंबर, 2018 मास में पूर्वोत्तर प्रदेश से सेमिनार आयोजित करने और अनुसंधान अध्ययन करने के लिए ऑनलाईन प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। प्रस्तावों की समीक्षा करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निधि प्रदान करने के लिए चार अनुसंधान अध्ययन और छह सेमिनार अनुमोदित किए गए है।

वित्तीय वर्ष 2018– 19 में अनुमोदित अनुसंधान अध्ययनों और सेमिनारों के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

अनुसंधान अध्ययन:

क्रम सं.	गैर सरकारी संगठन/ विश्वविद्यालय का नाम	टॉपिक /विषय
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मणिपुर	मणिपुर की जनजातीय महिलाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमियताः कांगपोपकी और सेनापति जिलों का एक अध्ययन
2.	तेजपुर, विश्वविद्यालय, असम	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की प्रभावशीलता

सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन

क्रम सं.	गैर सरकारी संगठन/ विश्वविद्यालय का नाम	टॉपिक/विषय
1.	सामाजिक और सांस्कृति विकास फाउंडेशन, मणिपुर	वृद्धों की देखभाल से संबंधित समस्याएं और उन पर कार्यवाही करने का व्यावहारिक हल
2.	मानव कल्याण और शिक्षा सोसाइटी, मणिपुर	आर्थिक क्रियाकलापों में मणिपुर की महिलाओं की बढ़ती हुई सहभागिता
3.	एनआईएलओवाई, असम	महिलाओं का दुर्व्यापार– विधियां को प्रभावी प्रवर्तन

****

अध्याय-8

विधिक मुद्दों पर संमत्रणा

8.1 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 में यह अधिदेश है कि आयोग संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधान में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके।

8.2 राष्ट्रीय महिला आयोग का विधिक प्रकोष्ठ संविधान और अन्य ऐसी विधियों, जिससे महिलाएं प्रभावित होती है, के विद्यमान उपबंधों की समीक्षा करने से संबंधित क्रियाकलापों का समन्वय करने और ऐसे विधानों में किसी त्रुटि, कमी या दोष को दूर करने के लिए विधायी अध्युपायों की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रकोष्ठ महिलाओं से संबंधित विधियों के बारे में सभी सहयोगियों के बीच जागरूकता बढ़ाने में भी सहायता करता है। यह प्रकोष्ठ आयोग के अन्य प्रकोष्ठों को भी विधिक सहायता प्रदान करता है।

8.3 तद्नुसार, आयोग ने 2018–19 के दौरान दो विधियों का पुनर्विलोकन अर्थात् महिलओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और महिलाओं के संपत्ति अधिकारों से संबंधित विधियों के पुनर्विलोकन के लिए दो विधियों पर विचार किया।

(1) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

आयोग ने महसूस किया कि महिलओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है।

इस बाबत आयोग द्वारा 17 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में एक दिन का परामर्श आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न सहयोगियों अर्थात्, न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति जी. रोहिणी (सेवानिवृत्त) विधिक विशेषज्ञ, शिक्षाविदों और सिविल सोसाइटी के अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस परामर्श बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि पुनर्विलोकन के विषय पर प्रादेशित परामर्श आयोजित किया जाना चाहिए।

इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, गुजरात राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बैंगलोर, और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय तथा न्यायिक अकादमी, असम के सहयोग से पुनर्विलोकन विषय पर एक दिन का परामर्श आयोजित किया।

चार प्रादेशिक परामर्शों में किए गए विचार—विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गई है:—

1. लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा का विस्तार
सिफारिशें
धारा— 2(ढ): ''लैंगिक उत्पीड़न'' की व्यापकता का विस्तार किया जाए जिससे कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों पर कारित लैंगिक संकेतार्थ के साथ साइबर अपराधों पर आधारित लिंग सम्मिलित हो।
धारा 2(ढ): परिभाषा में लैंगिक उत्पीड़न की डिग्री के बीच फर्क किया जाए जिससे दंडात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए आईसी को ठोस दिशा—निर्देश प्रदान किए जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि अपराध करने वाले व्यक्ति का आशय और उसके साथ साथ पीडिता पर होने वाले प्रभाव की अवधारणा को सूक्ष्मता के साथ स्पष्ट किया जा सके और कार्यस्थल पर ''लैंगिक उत्पीड़न'' के पद को और अधिक व्यापक रूप से समझा जा सके।
धारा— 3(2): इस उपबंध का फिर से प्रारूपण करने की आवश्यकता है। शब्द ''कोटि में आ सकेगी'' के स्थान पर ''के रूप में उपधारणा की जाएगी'' शब्द रखे जा सकते हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निवारण, प्रतिषेध और महिला कर्मचारियों तथा उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए लैंगिक उत्पीड़न के लिए प्रतितोष) विनियम, 2015 के क्रमशः विनियम 2(ङ) और 2 (त्र) में यथाउपबंधित ''सम्मिलित व्यक्तियों'' और ''संरक्षित क्रियाकलाप'' की परिभाषा को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में सम्मिलित किया जाए।

2. आंतरिक समिति
सिफारिशें
धारा– 4(2): आंतरिक समिति के गठन में यह उल्लिखित किया जा सकता है कि आंतरिक समिति का दूसरा वरिष्ठतम सदस्य, पीठासीन अधिकारी के सेवानिवृत्त या त्यागपत्र या अनुपलब्धता के कारण, पीठासीन अधिकारी का भारसाधन ग्रहण करेगा अन्यथा समिति के कृत्यों में व्यवधान पड़ जाएगा और इससे वे मामले प्रभावित होंगे जिनमें जांच लंबित हैं।
धारा– 4(2) (ग): अधिनियम में गैर सरकारी संगठन से दो (2) बाहरी सदस्यों को आंतरिक समिति में सम्मिलित किया जाए। जब कोई एक सदस्य उपलब्ध नहीं होता है तब उसके/उसकी अनुपलब्धता के कारण अकसर जांच और बैठकों में विलंब होता है।
धारा– 4(2): आंतरिक समिति में सदस्यों की संख्या विषम होनी चाहिए जिससे कि बहुमत से राय/विनिश्चिय किया जा सके।
धारा– 4: इस अधिनियम में यह उपबंध किया जाए कि आंतरिक समिति के पुनर्गठन के समय हर बार पूर्व आंतरिक समिति के कम से कम एक तिहाई सदस्यों को समिति का भाग बनाया रखा जाए जिससे कि लंबे समय तक आंतरिक समिति का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति बने रहे और आंतरिक समिति का कामकाज सतत् रूप से चलता रहे।
धारा –4 (3): अधिनियम में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में जांच करने के लिए जिस प्रोटोकॉल/प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है उनके संबंध में उपबंध किया जाना चाहिए क्योंकि जब प्रत्यर्थी उच्च न्यायालय के समक्ष आते है तब इन प्रक्रियाओं को चुनौती दी जाती है। आंतरिक समिति के लिए ऐसी प्रक्रियाएं निश्चित रूप से विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए जिनका पालन वह क्रमबद्ध करें और आंतरिक समिति द्वारा की गई जांच पड़ताल की दूरदर्शिता को संरक्षित किया जा सके।
धारा –4 (2): आंतरिक समिति का, नामनिर्देशन की अस्पष्ट प्रक्रिया के स्थान, पर चयन किया जाना चाहिए।
विशेषज्ञों की फीस में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए क्योंकि बाहरी विशेषज्ञ ऐसी कम फीस पर समिति में पद ग्रहण करने के इच्छुक नहीं होते है और इससे संगठनों में आंतरिक परिवाद समितियों का गठन करने में कठिनाई होती है।

3. अपील प्राधिकारी
सिफारिशें
धारा– 18 (1): अपील प्राधिकारी के गठन और कृत्यों के संबंध में स्पष्टता होनी चाहिए।
धारा– 18 (2): अपील पर विनिश्चय को समयबद्ध बनाया जाना चाहिए अर्थात् अपील फाइल करने की तारीख से 60 में इसका निपटारा हो जाना चाहिए।

4. अनुदान और संपरीक्षा
सिफारिशें
धारा– 8 (2): ''अभिकरण'' को अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से पहचान और पदाभिहित किया जाना चाहिए क्योंकि स्पष्टता की अनुपस्थिति में कुछ राज्यों के पास ''अभिकरण'' नहीं है।

धारा– 8 (3): स्थानीय परिवाद समिति के क्रियाकलापों से संबंधित व्यय के सभी सुसंगत शीर्षक के अधीन निधि का विभाजन करने के लिए वार्षिक रूप से एक व्यवहार्य बजट तैयार किया जाना चाहिए। जानकारी देने/प्रशिक्षण/ऐसे अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए निधियों का वर्गीकृत रूप से विभाजन किया जाना चाहिए।

धारा– 8: अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आबंटित बजट के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र के संबंध में एक उपबंध सम्मिलित किया जाना चाहिए।

5. सुलह

सिफारिशें

धारा– 10: सुलह के उपबंध को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि लैंगिक उत्पीड़न कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसका सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान किया जा सकता हो। सुलह की व्यापकता के अधीन मामले को वापस लेने के लिए महिलाओं पर इसलिए दबाव डाला जा सकता है क्योंकि कार्यस्थल के सम्मान की रक्षा करने के लिए ऐसा किया जा सकता है।

6. अधिनियम के उपबंध का विनिर्दिष्ट संशोधन

सिफारिशें

धारा– 9 (1):

शिकायत फाइल करने की समय–सीमा को ''तीन मास'' के स्थान पर ''छह मास'' तक बढ़ाया जा सकता है। इस समय अधिनियम में समय–सीमा तीन मास के लिए है जिसे आईसी या एलसी द्वारा लिखित में कारणों को अभिलिखित करके एक और अन्य तीन मास की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

धारा– 11

इस उपबंध के अधीन ऐसी घटनाएं भी सम्मिलित की जानी चाहिए जहां प्रत्यर्थी एक कर्मचारी नहीं है।

धारा– 11

इस समय भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अधीन शिकायत का पंजीकरण करने का उपबंध है। इसे दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के उपबंध 354 क द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।

धारा– 13 (3)

अधिनियम में नियोजक और आई.सी. सदस्यों के बीच इंटरफेस और रिपोर्ट के निष्कर्षों के संबंध में विचार–विमर्श करने के लिए अधिदेश किया जाए। सेवा नियमों में अकसर दंड के आधार पर विनिश्चय करने को निर्देशित किया जाता है, यह अधिक विवेकपूर्ण होगा कि आईसी और जिस नियोजक को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उनके बीच विचार–विमर्श किया जाए/बैठक की जाए। दोनों पक्षकारों को इंटरफेस, रिपोर्ट की प्रतियां डाक से उपलब्ध कराई जाए।

धारा –17

इस उपबंध को और व्यापक किया जाना चाहिए जिससे कि गैर कर्मचारी इसमें सम्मिलित हो सके।

7. निगरानी प्रक्रिया

सिफारिशें

धारा –23: लैंगिक उत्पीड़न के मामलों की बाबत आकड़ें बनाए रखने और अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए अधिकारियों की पहचान करने की आवश्यकता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियोजकों द्वारा प्रभावी रूप से अधिनियम को कार्यान्वित किया जा रहा है और वह वास्तव में अधिनियम के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहे है।

8. जानकारी का प्रसार करना

सिफारिशें

विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए जो कि विशेष रूप से लैंगिक उत्पीड़न के शिकार होते हैं और उनको इन संबंध में जानकारी नहीं होती है इसलिए उनको सलाह देने के लिए सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।

स्कूल के विद्यार्थियों के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए जाए और उन्हें परिचालित किया जाए।

इस अधिनियम का अनुवाद आसान भाषा में किया जाना चाहिए जिससे कि वह उन महिलाओं तक पहुंच सके जो अंग्रेजी भाषा पढ़ नहीं सकती है परंतु उन पर जबरदस्ती थोपी जाती है। चूंकि यह एक फायदप्रद विधान है और फायदाग्राही इसके उपबंधों को पढ़ने के लिए समर्थ होने चाहिए।

लिंग, उत्पीड़न, पुरूषत्व और नारीत्व के संबंध में संवेदीग्राही बनाने के लिए विचार–विमर्श और वार्तालाप को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कार्यरत महिलाओं के लिए उनकी शिकायतों का अनुसरण करने के लिए उचित माध्यमों से उन्हें जानकारी प्रदान करने के लिए और अधिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना चाहिए। महिलाओं को अपने संगठन में आईसीसी के विद्यमान और कार्यरत होने के संबंध में जानकारी न होने की यह मुख्य कमी है।

कार्यस्थल पर लिंग सुरक्षा संपरीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिए और लिंग सुरक्षा संपरीक्षा केवल भौतिक अवसंरचना की संपरीक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

9. अनुपालन के लिए शास्ति

सिफारिशें

नियमों में उस उपयुक्त प्राधिकारी/अभिकरण का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए जिसे जुर्माने का संदाय किया जाएगा।

कार्य या लोप के ऐसे कृत्यों के लिए, जिनकी वजह से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, अधिरोपित जुर्माना या कोई अन्य शास्ति की बाबत अधिनियम में ही विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

10. अन्य प्रकीर्ण सुझाव

सिफारिशें

शिकायत/मामले का दस्तावेजीकरण करने के लिए प्रारूप को सम्मिलित किया जाए। मामलों का दस्तावेजीकरण करते समय कई मामलों में महत्वपूर्ण तथ्य, आंकड़ें, साक्ष्य छूट जाते हैं। एक आदर्श प्रारूप पर और आगे विचार–विमर्श करने की आवश्यकता है और प्रारूप में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है:

मामला सं.

- *शिकायत की तारीख*
- *लैंगिक उत्पीड़न की समयावधि*
- *व्यथित महिला का नाम*
- *कार्यस्थल का विभाग/खंड/अन्य पहचान*
- *मामले का सारांश*
- *महिला पर प्रभाव*
- *साक्षी का कथन यदि कोई है*
- *साक्ष्य के ब्यौरे यदि कोई है*
- *प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों के ब्यौरे*

11. नियोजक की जिम्मेदारी नियत करना

सिफारिशें

ऐसा अधिदेश होना चाहिए जिससे नियोजक यह सुनिश्चित करने के लिए शासित होता हो कि बहुत दृढ़तापूर्वक लैंगिक उत्पीड़न विरोधी उपायों का पालन किया गया है।

महिलाओं के लिए कार्य करने के सुरक्षित वातावरण को सर्जित करने के लिए संगठन में समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नियोजक को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

12. संस्थानिक प्रणाली

सिफारिशें

धारा –5

इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा लंबित अधिसूचना के होते हुए जिला मजिस्ट्रेट को जिला अधिकारी माना जाएगा।

अधिनियम के क्रियान्वयन की बाबत नोडल अभिकरण और उसकी भूमिका के संबंध में जानकारी का राज्य के सभी जिलों में व्यापक रूप से प्रसार किया जाएगा।

विभिन्न संगठनों में विभिन्न आईसीसी के बीच अच्छी कार्यप्रणाली और बेहतर समन्वयन और आदान प्रदान करने के लिए एक नोडल निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग को नियुक्त किया जा सकता है।

नोडल अभिकरण के भीतर एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए जिसमें संबंधित अधिकारी, प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से एक सदस्य, राज्य महिला आयोग, महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय मिशन और महिला प्रकोष्ठ के उपायुक्त होंगे और उनकी एक नोडल अधिकारी के रूप में प्रत्येक सदस्य की भूमिका और जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया जाए क्योंकि पूरे राज्य के लिए अधिनियम का क्रियान्वयन करने की निगरानी करने के लिए एक नोडल अधिकारी पर्याप्त नहीं है।

पर्याप्त बजटीय आबंटन के साथ एक राज्य कार्रवाई योजना, अधिनियम का प्रभावी रूप से और लिंग संवेदनशीलता से कार्यान्वित करने के लिए, तैयार की जाए।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के लिए सिफारिशें:

नियम	सिफारिशें
नियम 5	प्रत्येक बैठक के लिए 250 रूपये रकम का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है जिससे कि आज की परिस्थितियों के अनुसार उसे उपयुक्त बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त भुगतान में और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है और इसमें प्रति बैठक/जांच और अन्य ऐसे अवसर जिनमें बाहरी सदस्यों की सेवाएं/संसाधन अपेक्षित है उनको भुगतान करने की रकम को भी सम्मिलित किया जाए।
नियम 7(2)	प्रत्यर्थी को शिकायत की प्रति देते समय सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे कि व्यथित महिलाओं को धमकियां न मिल सकें। मामले का सारांश प्रत्यर्थी को दिया जाना चाहिए और उसमें शिकायतकर्ता का नाम/पहचान प्रकट नहीं की जानी चाहिए। मूल प्रतियां सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराई जा सकती है।
नियम 7(7)	गणपूर्ति के लिए कम से कम एक बाहरी सदस्य को सम्मिलित करना चाहिए। अधिनियम का प्रयोजन उस समय विफल हो जाता है जब गणपूर्ति के लिए मौजूद तीन सदस्य जांच करते है। गणपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रवृत्ति यह है कि सभी आईसी सदस्य मौजूद रहे और बाहरी सदस्यों को आमंत्रित नहीं किया जाता है।

(2) महिलाओं का संपत्ति अधिकार

विभिन्न धार्मिक समुदायों की महिलाएं अपने जीवन के कई पहलुओं में अपनी स्वीय विधि के माध्यम से शासित हो रही है– संपत्ति अधिकार भी इनमें से एक है। दुर्भाग्यवश अनुसंधान से यह दर्शित होता है कि विद्यमान विधान अदूरदर्शी दृष्टिकोण के है क्योंकि अधिकतर महिलाएं आर्थिक रूप से अपने पतियों पर निर्भर करती है और विवाह–विच्छेद के बाद वे निस्सहाय हो जाती है। इसलिए विवाह–विच्छेद हो जाने पर वैवाहिक संपत्ति के बंटवारे के लिए स्पष्ट विधियों की आवश्यकता है। विधि आयोग ने, सभी धर्मों में संपत्ति के न्यायगत होने से संबंधित स्वीय विधियों में लिंग समानता लाने के लिए, कुछ परिवर्तनों को सुझाव दिया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बैंगलोर और गुजरात राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, के सहयोग से 'महिला संपत्ति अधिकारों' पर एक बैठक आयोजित की।

विचार–विमर्श से जो सिफारिशें उभर कर सामने आई है उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1. समानता और साम्या के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा एक आदर्श विधि अंगीकृत की जा सकती है और राज्य उसके अनुसार विधि बना सकते है। विभिन्नता को बनाए रखते हुए और महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करते हुए इससे विधि में कुछ समानता लाने में सहायता मिलेगी।

2. धारा 14 की उप–धारा (2) को और अधिक स्वतः स्पष्ट किया जा सकता है जिससे कि धारा द्वारा उपबंधित महिलाओं के आत्यांतिक स्वामित्व के संबंध में कोई सुलह नहीं की जा सकती है।

उदाहरणार्थ, उप–धारा (2) के अधीन बिल द्वारा एक निर्बंधित संपदा को सर्जित किया जा सकता है। तथापि, बिल द्वारा भरण पोषण के बदले दी गई कोई संपत्ति उप–धारा (1) के अधीन आ जाएगी इससे आत्यांतिक स्वामित्व सर्जित होगा न कि निर्बंधित संपदा।

3. किंतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 और 16 में महिलाओं के लिए वारिसों के एक वर्ग का उपबंध किया गया है जो कि पुरूष के वारिसों के वर्ग से अलग है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसे फर्क को बनाए रखा जाए। पुरूष और महिला दोनों के लिए एक जैसा वर्ग होना चाहिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 और 16 जो हिंदू विवाहित महिलाओं की संपत्ति को उसके पति के वारिसों को और उसके पश्चात् उसके वारिसों को न्यागत होने की अनुज्ञा देता है उसे समाप्त किया जाना चाहिए या उपयुक्त रूप से उसका संशोधन किया जाना चाहिए।

इस समय यहां तक कि किसी महिला की स्व–अर्जित संपत्ति को उसके माता और पिता को न्यागत होने से पहले उसके पति के वारिसों को न्यागत हो जाती है। यह आधुनिक न्यायशास्त्र के विपरीत है जहां पुत्रियां और पुत्र समान रूप से अपने माता पिता का भरण–पोषण करने के लिए जिम्मेदार है।

4. ऐसे किसी विधि को विरचित करने की आवश्यकता है जो समय की मांग के अनुसार अनुरूप और व्यापक हो जिससे कि विवाह पूर्व संबंधों या समलैंगिक संबंधों में रह रही महिलाओं के अधिकारों का उचित संरक्षण किया जा सकता है।

5. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 27 के अधीन वैवाहिक संपत्ति का बंटवारा केवल ''संयुक्त'' वैवाहिक संपत्ति के रूप में किया जा सकता है जिससे न्यायालय की अधिकारिता सीमित हो जाती है। विवाह–विच्छेद पर स्व–अर्जित संपत्ति की सामुदायिक गारंटी में संशोधन करना आवश्यक है और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, पारसी विवाह और विवाह–विच्छेद अधिनियम 1936 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में संशोधन करने की आवश्यकता है। विवाह के दौरान अर्जित की गई संपत्ति पर पति और पत्नी का समान अधिकार होना चाहिए। इससे सभी धर्मों में पति द्वारा भरण पोषण देने की निर्भरता समाप्त हो जाएगी और घरेलू निर्वाह में महिलाओं के योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए भी उपबंध किया जा सकेगा।

6. इस संबंध में ऐसी वैवाहिक संपत्ति विधियों का प्रारूपण करने की अहम आवश्यकता है जिससे महिलाओं के अधिकार, उनके दावे, हिस्से और विवाह के दौरान अर्जित संपत्ति में कोई विधिसम्मत हिस्से को न देने से उन्हें संरक्षित किया जा सके।

7. पिता अपनी मृत्यु से पहले अपने विल में साधारणतया संपत्ति के बहुत बड़े भाग को अपने पुत्रों के बीच बंटवारा करते हैं और एक बहुत छोटा भाग यदि कोई हो तो पुत्रियों को दिया जाता है। इसलिए यह प्रस्तावित है कि ऐसा उपबंध किया जाए विल की व्यापकता से बाहर संपत्ति के किसी भाग के लिए अनिवार्य रूप से यह अपेक्षित हो कि वह संपत्ति वारिसों को एक ऐसी रीति में न्यागत होगी मानो की व्यक्ति की मृत्यु निर्वसीयती हुई हो।

8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 33क और 42, जो कि महिलाओं के उत्तराधिकार को नगण्य रकम तक निर्बंधित करती है, का संशोधन किया जाना चाहिए।

विधिक जागरूकता कार्यक्रम

8.4 राष्ट्रीय महिला आयोग ने संवैधानिक और विधिक उपबंधों के बारे में जानकारी का प्रचार करने और महिलाओं के विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए 2017–18 के दौरान एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आरंभ किया है। इससे समाज के सभी वर्गों के व्यक्ति पूरी तरह से इन विधियों से अवगत हो

सकेंगे और इनके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में प्रभावी रूप से योगदान दे पाएंगे। इस कार्यक्रम के भागरूप, महिलाओं के अधिकारों के बारे में विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए सितंबर और दिसंबर, 2018 के बीच महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता का आयोजन किया। देश भर के लगभग 256 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय महिला आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को 20,000 रूपये और 8,500 रूपये की रकम नकद पुरस्कार के रूप में दी गई।

8.5 आयोग ने वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य महिला आयोगों के साथ मिलकर कई विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए है। नीचे उनके ब्यौरे दिए गए हैं:–

तारीख 1 अप्रैल, 2018 से तारीख 31 मार्च, 2019 तक आयोजित राज्य वार विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एल.ए.पी.)

क्रम सं.	नम	विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	अनुमोदित रकम
1	पंजाब राज्य महिला आयोग	5 विधिक जागरूकता कार्यक्रम	5,00,000/– रू
2	मणिपुर राज्य महिला आयोग	10 विधिक जागरूकता कार्यक्रम	12,00,000/– रू
3	मेघालय राज्य महिला आयोग	13 विधिक जागरूकता कार्यक्रम	9,75,000/– रू
4	अरूणाचल राज्य महिला आयोग	6 विधिक जागरूकता कार्यक्रम	7,20,000/– रू
5	त्रिपुरा राज्य महिला आयोग	16 विधिक जागरूकता कार्यक्रम	19,20,000/– रू
कुल		**50 विधिक जागरूकता कार्यक्रम**	**53,15,000/– रू**

****

अध्याय-9

जेल, अभिरक्षा गृह और मनोरोग संस्थाओं का निरीक्षण

9.1 राष्ट्रीय महिला आयोग जेलों और अन्य अभिरक्षा गृहों में रह रही महिलाओं के लिए मानवोचित परिस्थितियां सुनिश्चित करने की दृष्टि से समय समय पर ऐसे गृहों का निरीक्षण करता है। इसी प्रकार मनोरोग संस्थाओं का बाबत भी निरीक्षण किया जा रहा हैं। ऐसे निरीक्षण का उद्देश्य ऐसे क्षेत्र की पहचान करना है जहां महिला संवासियों के लिए बेहतर, सुरक्षित और लिंग संवेदनशील वातावरण प्रदान करने के लिए सुधार किया जा सकता है और ऐसी संस्थाओं से जुड़े सामाजिक लांछन को कम किया जा सके तथा इससे संवासियों को अपनी कार्य–कुशलता और जीवन के प्रति उनकी मनोवृत्ति में सुधार करने में सहायता मिलेगी। इससे शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों, व्यावसायिक/कौशल विकास प्रशिक्षण, मनोरंजन क्रियाकलापों पारिश्रमिक के साथ कार्य, सलाह देना आदि को संस्थागत प्रणालीबद्ध करने के प्रयासों से संवासी रिहा/छुट्टी मिलने के पश्चात् वे अपने परिवार/समाज के साथ मेलमिलाप करने में समर्थ हो सकेगी। इन निरीक्षणों से कारागार/अभिरक्षा गृहों में संवासियों के अधिकारों के रक्षापायों के लिए उन्हें प्रदान की जाने वाली मुफ्त विधिक सहायता की प्रभावकारिता का भी आकलन होता है ।

जेलों का निरीक्षण

9.2 जेलो का निरीक्षण करने के दौरान राज्य महिला आयोगों, गैर सरकारी संगठनों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने भी सहयोग किया। निरीक्षण दल ने निरपवाद रूप से जेल में महिला संवासियों, कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ बातचीत की। निरीक्षित संस्थाओं की बाबत जो मत/निष्कर्ष/सिफारिशें की गई उन्हें केन्द्रीय और राज्य सरकारों में संबंधित प्राधिकारियों को, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी शामिल है, ऐसे निरीक्षणों से हुई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए और आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, भेजा गया। इन टीका–टिप्पणियो/निष्कर्षों/सिफारिशों को गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय को भी भेजा गया। सभी निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए कि महिला संवासियों के अधिकारों का अतिक्रमण न हो और जेल मैनुअल को लागू होने वाले उपबंधों और पद्धति का पालन किया जाए ।

9.3 यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि आयोग के प्रयासों की वजह से वस्तुनिष्ठ परिणाम हो और जमीनी स्तर पर स्थिति का उचित आकलन किया जा सके तथा टीका– टिप्पणियों/निष्कर्षों से महिला वार्डो में जेल की दशा को और अधिक मानवोचित बनाने में सहायता मिल सके। आयोग ने जेलों का निरीक्षण करने के लिए एक व्यापक प्रोफार्मा तैयार किया है। इस प्रोफार्मा को डी.जी./ए.डी.जी./आई.जी. कारागारों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जेलों के भारसाधक अधिकारियों के साथ साझा किया गया है। सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा इसका प्रयोग करने के लिए इसकी पहुंच आसान बनाने के लिए प्रोफार्मा की एक प्रति आयोग की बेवसाइट पर भी उपलब्ध है। आयोग ने काफी जेलों से विहित प्रोफार्मा में सम्यक् रूप से भरी गई जानकारी एकत्रित की है।

9.4 राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश में जेलों का निरीक्षण करने के अपने प्रयास को बनाए रखा है। राज्य महिला आयोगों से भी यह अनुरोध किया गया कि वे अपने–अपने राज्यों में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रोफार्मा का उपयोग करके जिला और अन्य जेलों का निरीक्षण करें ।

9.5 वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित जेलों का निरीक्षण किया गया

क्रम सं.	जेल का नाम	निरीक्षण की तारीख
1.	केंद्रीय जेल, इम्फाल, मणिपुर	10.04.2018
2.	केंद्रीय जेल, मोतीहारी, बिहार	19.04.2018
3.	केंद्रीय जेल, मुजफ्फरपुर, बिहार	20.04.2018
4.	केंद्रीय जेल, फरीदकोट, पंजाब	20.04.2018
5.	केंद्रीय जेल, बाईकुला, मुंबई, महाराष्ट्र	27.04.2018
6.	केंद्रीय जेल, यरवडा, पुणे, महाराष्ट्र	03.05.2018
7	केंद्रीय जेल, बिशालगढ़, त्रिपुरा	24.05.2018
8	साबरमती केंद्रीय जेल, अहमदाबाद, गुजरात	29.05.2018
9	केंद्रीय जेल, कोलवाले, गोवा	30.05.2018
10	केंद्रीय जेल, वडोदरा, गुजरात	30.05.2018
11	जिला जेल, दीमापुर, नागालैंड	08.06. 2018
12	पुझल केंद्रीय जेल, चैन्नई, तमिलनाडू	22.06.2018
13	तेजपुर केंद्रीय जेल, सोनितपुर, असम	28.06.2018
14	केंद्रीय जेल, उदयपुर, राजस्थान	03.07.2018
15	केंद्रीय जेल, नागपुर	11.07.2018
16	केंद्रीय जेल, थाणे	25.07.2018

17	केंद्रीय जेल, ग्वालियर	29.08.2018
18	लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय जेल हजारीबाग, झारखंड	13.02.2019

9.6 आयोग ने 96 कारागारों की बाबत अधीक्षक जेल द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की संवीक्षा और 20 जेलों के निरीक्षण के आधार पर एक व्यापक रिपोर्ट मुद्रित की गई है।

9.7 इस रिपोर्ट में कारागारों में अच्छी कार्यप्रणाली के अलावा कारागारों में महिला संवासियों द्वारा सामना की जा रही सामान्य समस्याओं की पहचान की गई है और प्रत्येक कारागार की बाबत, जिसका या तो निरीक्षण किया गया है या जिनकी प्रोफार्मा जानकारी का विश्लेषण किया गया है, अलग–अलग विनिर्दिष्ट टीका–टिप्पणियां/सिफारिशें की गई है। रिपोर्ट को संबंधित मंत्रालयों, राज्य कारागार प्राधिकारियों और प्रत्येक कारागार के अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया गया है।

मनोरोग गृहों का निरीक्षण

9.8 राष्ट्रीय महिला आयोग ने इससे पहले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्र विज्ञान संस्था (एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस.) के एक बहु– मानसिक अनुशासन दल द्वारा एक अनुसंधान अध्ययन कराया था। अध्ययन की सिफारिशों पर विचार किया गया था और वास्तविक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया था। इस रिपोर्ट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्यों के साथ साझा किया गया। अध्ययन के इस अध्ययन के अनुभव/निष्कर्षों के आधार पर आयोग ने, मनोरोग गृहों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए जिनका संबंध ऐसी महिला रोगियों से है जिन्हें संस्थान के आईपीडी में भर्ती किया गया है, एक व्यापक प्रोफार्म तैयार किया है। आयोग ने मनोरोग संस्थाओं का निरीक्षण करना आरंभ कर दिया है और वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित मनोरोग का निरीक्षण किया गया है

क्रम सं.	मनोरोग गृह का नाम	निरीक्षण की तारीख
1	आरएमएच, यरवडा, पुणे, महाराष्ट्र	04.05.2018
2	इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइकाइट्री एंड ह्यूमन बिहेवियर, बम्बोलिम, गोवा	31.05.2018
3	आईएमएच किल्पौक, चेन्नई, तमिल नाडू	21.06.2018
4	लोकोप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल मेंटल हॉस्पिटल, तेजपुर, असम	28.06.2018
5	रीजनल मेंटल हॉस्पिटल, नागपुर	12.07.2018
6	रीजनल मेंटल हॉस्पिटल, ठाणे	26.07.2018
7	ग्वालियर मेंटल आरोग्यशाला, मध्य प्रदेश	30.08.2018
8	आरआईएनपीएएस रांची, झारखण्ड	13.02.2019

9.9 प्रत्येक जेल और मनोरोग संस्थाओं की बाबत निरीक्षण निष्कर्षों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उपचारात्मक कार्रवाई के लिए साझा किया गया और संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस विषय के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।

****

अध्याय–10

सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग

10.1 हमारे दिन–प्रतिदिन के जीवन में सूचना संचार प्रौद्योगिकी अब एक अत्यधिक सर्वव्यापक तत्व है। सामाजिक स्तर पर देश की आर्थिक क्षमता को उन्मुक्त करने और उत्पादन बढ़ाने तथा समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बैठना महत्वपूर्ण है। आई.सी.टी. मानवीय जीवन की गुणवत्ता में कुल मिलाकर सुधार करने और इसके साथ साथ उबाउपन को कम करने की क्षमता रखता है। हर क्षेत्र में महिलाओं का विकास करने और इसके साथ सामर्थ्यकारी वातावरण सृजित करने के लिए आई.सी.टी. का परिनियोजन को एक सक्षम साधन माना गया है। प्रज्ञावान समाज में महिलाओं को नियोजित करने के लिए आर्थिक गतिविधियों और कौशल में भाग लेने की उनकी योग्यता को और विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि वे मुद्दों को गहराई तक समझ सकें और सामाजिक और संस्थागत बाधाओं को अभिभूत कर सके। इसमें आई.सी.टी.एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

10.2 राष्ट्रीय महिला आयोग प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और निर्णय करने में गति लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में अग्रणी रहा है। आयोग ने सबसे पहले वर्ष 2005 में प्राप्त शिकायतों की इलैक्ट्रानिक प्राप्ति प्रक्रिया और निपटान कार्य आरंभ कर दिया था। सूचना संचार के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी कई गतिविधियों में आई.टी. प्रौद्योगिकी का उपयोग काफी समय से कर रहा है और इसके प्रयोग में निरंतर रूप से बढ़ोत्तरी हो रही है और पिछले वर्षों में इस प्रणाली में और सुधार किया गया है। इस प्रणाली में व्यष्टिक शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की प्रगति का आनलाइन पर पता लगाने की सुविधा प्रदान की गई है।

10.3 ई–आफिस, जो कि भारत सरकार के नैशनल ई–गवर्नेंस प्रोग्राम (एन.ई.जी.पी.) के अधीन एक मिशन मोड परियोजना है, कार्यालय प्रक्रियाओं को इलैक्ट्रानिक रूप से करने के लिए सरल, क्रियाशील, प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया सुकर बनाता है। आयोग ने ई–आफिस को दिसम्बर, 2016 से सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर दिया है। आयोग के कृत्यों के मुख्य भाग को अब इलैक्ट्रोनिकली किया जा रहा है।

10.4 वर्ष 2018–19 के दौरान अनुसंधान अध्ययन और सेमिनार प्रस्तावों को ई–प्रस्तावों के रूप में आमंत्रि किया गया।

10.5 महिलाओं से संबंधित विधियों पर महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित प्रतियोगिता के प्रतिपूर्ति प्रस्ताव इलैक्ट्रोनिकली प्राप्त किए गए थे और उन पर कार्यवाही भी इलैक्ट्रोनिकली ही की गई। इसी प्रकार आनलाइन साफ्टवेयर का प्रयोग करके अनुसंधान/सेमिनार के प्रस्ताव प्राप्त किए गए, कार्यवाही की गई और अंतिम रूप दिया गया था।

10.6 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच डिजीटल साक्षरता बढाए जाने के लिए भी कार्यवाही की है और इसके लिए अन्य सहभागियों के साथ मिलकर परिकल्पना की गई है।

****

अध्याय–11

सूचना का अधिकार

11.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रशासन और आयोग द्वारा किए जा रहे अन्य विषयों के संबंध में स्पष्टता, पारदर्शिता और जबावदेही की अभिवृद्धि करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की है। इसमें सावर्जनिक क्षेत्र में अधिक से अधिक जानकारी रखना भी सम्मिलित है ।

11.2 आयोग का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि आयोग की वेबसाइट के माध्यम से नियमित अन्तराल पर जनता को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाए जिससे जनता कम प्रयास से ही अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सके। तद्नुसार, जहां आनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता से प्राप्त शिकायतों की स्थिति उपलब्ध है और ऐसी शिकायतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आयोग की वेबसाइट पर रखने के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन और सेमिनार के बारे में जो स्थिति है उसे अद्यतन किया है और यह भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा तैयार किए गए सभी विज्ञापनों को भी नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर रखा जाता है जिससे सभी संबंधित व्यक्तियों तक जानकारी का प्रचार सुनिश्चित हो सके ।

11.3 यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सूचना के अधिकार आवेदनों के सभी अनुरोधों का यथासंभव शीघ्र उत्तर दिया जाए और अन्य लोक प्राधिकारियों से संबंधित मामलों को शीघ्रतापूर्वक अंतरित किया जाए।

11.4 वर्ष 2018–19 के दौरान सूचना के अधिकार से संबंधित प्राप्त आवेदनों और अपीलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क. तिमाही–वार सूचना के अधिकार के आवेदनों की प्राप्ति और उनका निपटान नीचे दिया गया है:

तिमाही	प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी से अंतरित रूप में प्राप्त आवेदनों की सं.	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन (जिसमें अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामले भी हैं)	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामलों की सं.	विनिश्चय जहां अनुरोधों/ अपीलों को नामंजूर कर दिया गया हैं	विनिश्चय जहां अनुरोधों/ अपीलों को मंजूर कर दिया गया हैं	अगली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष
तिमाही–1 (अप्रैल–जून, 2018)	233	2	145	19	25	120	216
तिमाही–2 (जुलाई–सितंबर,2018)	216	5	219	11	52	167	210

तिमाही–3 (अक्तूबर. दिसंबर, 2018)	210	4	200	9	58	142	205
तिमाही–4 (जनवरी– मार्च, 2019)	205	4	205	13	37	209	155

ख. राष्ट्रीय महिला आयोग में प्रथम अपीलों की प्राप्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

तिमाही	प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी से अंतरित रूप में प्राप्त आवेदनों की सं.	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन (जिसमें अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामले भी हैं)	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामलों की सं.	विनिश्चय जहां अनुरोधों/अपीलों को नामंजूर कर दिया गया हैं	विनिश्चय जहां अनुरोधों/अपीलों को मंजूर कर दिया गया हैं	अगली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष
तिमाही–1 (अप्रैल–जून, 2018)	28	लागू नहीं होता	21	0	3	13	33
तिमाही–2 (जुलाई–सितंबर,2018)	33	लागू नहीं होता	17	0	1	19	30
तिमाही–3 (अक्तूबर. दिसंबर, 2018)	30	लागू नहीं होता	16	0	0	31	15
तिमाही–4 (जनवरी–मार्च, 2019)	15	लागू नहीं होता	22	0	3	32	02

****

अध्याय–12

लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया

12.1 विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों के निबन्धनों के अनुसार मानवोचित गरिमा के साथ कार्य करने का अधिकार सार्वभौमिक रूप से मान्य मानव अधिकार है। भारत में, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न भाग है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से इस अधिकार का हनन होता है और महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 को महिलाओं के अधिकारों के रक्षोपाय की एक प्रभावी प्रक्रिया का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है और अन्य बातों के साथ साथ इसमें लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों पर जांच करने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करने का भी उपबंध किया गया है।

12.2 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की जांच करने के लिए एक आंतरिक समिति (जो पहले आंतरिक शिकायत समिति के रूप में ज्ञात थी) का गठन किया है। वर्ष 2018–19 के दौरान इस समिति की अध्यक्ष आयोग की सदस्य श्रीमती चंद्रमुखी देवी थी ।

12.3 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतें और वर्ष 2018 कैलेंडर वर्ष के दौरान आयोजित की गई कार्यशालाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्रम सं.	प्राप्त शिकायतों की सं.	निपटायी गई शिकायतों की सं.	नब्बे दिन से अधिक लंबित मामलों की सं.	कार्यशाला या किए गए कार्यक्रमों की सं.	नियोजक द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति
1.	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	02 (दो)	लागू नहीं होता

****

अध्याय–13

हिन्दी का प्रगामी उपयोग

13.1 राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2018–19 के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और 1967 में यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा इसके अधीन विरचित राजभाषा नियम, 1976 और समय–समय पर राजभाषा विभाग के विभिन्न आदेशों/अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध सतत् प्रयास किए है। आयोग ने संघ की राजभाषा नीति को प्रयोग कार्यान्वित करने और कार्यालय के काम में अधिक से अधिक हिंदी के प्रयोग के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

13.2 आयोग के विभिन्न प्रकोष्ठों से प्राप्त सामग्री, जैसे साधारण आदेशों, पुस्तिका, मंजूरी, मैनुअल, मानक प्रकोष्ठों, अधिसूचनाओं और प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों और प्रेस विज्ञप्ति रिपोर्टों, आदि का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है ।

13.3 नियमित कार्य हिन्दी में पूरा किए जाने के अतिरिक्त हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। हिन्दी प्रकोष्ठ मासिक समाचारपत्र की विषय–वस्तु और जेल निरीक्षण प्रोफार्मा, मार्गदर्शक दस्तावेज/पुस्तिका आदि और आयोग की अन्य रिपोर्टों का अनुवाद कर रहा है ।

****

अध्याय-14

मीडिया और पहुंच कार्यक्रम

14.1 महिलाओं की प्रास्थिति में सुधार और उनके सशक्तिकरण के लिए अन्य बातों के साथ–साथ, महिलाओं से संबंधित कानूनों और योजनाओं की बाबत जनता में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। सरकार के सभी संबंधित अभिकरणों और गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों द्वारा इस संबंध में सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। महिलाओं से संबंधित कानूनों और योजनाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना विभिन्न क्रियाकलापों में महिलाओं की सहभागिता और उनके संवर्धन के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बात का संज्ञान लेते हुए कि महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकारों, हक और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने तथा पूरी गरिमा के साथ जीवनयापन करने को आश्वस्त करने के संबंध में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, आयोग मीडिया के साथ सक्रिय रूप से संबंध बनाए रखता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2018–19 के दौरान ऐसे मुद्दों के बारे में जानकारी को बढ़ाने के लिए मीडिया के माध्यम से, जिसमें महत्वपूर्ण क्रियाकलापों और अपनी शासकीय फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से सोशल मीडिया पर कार्यक्रमों के ब्यौरों को साझा करना शामिल है, कई पहल की हैं। पुस्तिका और विज्ञापनों आदि के माध्यम से और आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी इन ब्यौरों का प्रचार किया गया है।

14.2 आयोग ने वर्ष 2018–19 के दौरान महिलाओं के अधिकारियों के विभिन्न मामलों पर और वर्ष 2018–19 के दौरान महिलाओं के मुद्दों और उनके द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों से संबंधित विषयों पर जानकारी प्रचारित करने के लिए भी प्रेस सम्मेलन और मीडिया संवाद आयोजित किए। वर्ष के दौरान दिल्ली में मैट्रों स्टेशनों और मैट्रो रेलगाड़ी के अंदर निम्नलिखित विज्ञापन जारी किए गए:

i. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 में घरेलू हिंसा से संबंधित विभिन्न पहलू सम्मिलित है और संरक्षण अधिकारी के माध्यम से न्यायालय से उपचारात्मक उपायों को प्राप्त करने के लिए आदेश प्राप्त किया जा सकते हैं।

ii. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 में कार्यस्थल पर आंतरिक समिति और जिला स्तरों पर स्थानीय समितियां गठित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने।

14.3 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्वोत्तर में जागरूकता अभियान चलाया गया।

14.4 ''राष्ट्र महिला'' आयोग का एक मासिक सूचनापत्र है, जिसे अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है, के माध्यम से आयोग के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के बारे में महिला कार्यकर्ताओं, विधिक बन्धुत्व, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों और पूरे देश के विद्यार्थियों को भी जानकारी, प्रचारित की जा रही है। इस सूचनापत्र में आयोग के क्रियाकलापों और आयोग के समक्ष दर्ज की गई शिकायतों की बाबत सफल वृतान्तों और महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायालय और सरकारी विनिश्चयों के बारे में भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। यह मासिक सूचनापत्र आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.ncw.in पर भी उपलब्ध है।

****

अध्याय–15

वार्षिक प्रतिवेदन

2018—19

राष्ट्रीय महिला आयोग

तुलनपत्र (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2019 को यथा-विदयमान

(रकम रुपयों में)

पूंजीगत निधि और दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष		
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	कुल	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	कुल
पूंजीगत निधि	1	25,54,09,587.00	42,56,902.00	25,96,66,489.00	20,10,41,006.00	19,16,624.00	20,29,57,630.00
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-	-	-	-	-
निर्धारित/अक्षय निधि	3	-	-	-	-	-	-
प्रतिभूत ऋण और उधार	4	-	-	-	-	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार	5	-	-	-	-	-	-
आस्थगित उधार दायित्व	6	-	-	-	-	-	-
चालू दायित्व और प्रावधान	7	9,14,31,828.00	67,56,995.00	9,81,88,823.00	8,44,60,269.00	97,41,972.00	9,42,02,241.00
		34,68,41,415.00	**1,10,13,897.00**	**35,78,55,312.00**	**28,55,01,275.00**	**1,16,58,596.00**	**29,71,59,871.00**
आस्तिया							
नियत आस्तियां	8	16,75,00,883.00	-	16,75,00,883.00	18,52,95,909.00	-	18,52,95,909.00
निवेश - निर्धारित/अक्षय निधियों से	9						-
निवेश - अन्य	10	-	-	-	-	-	-
चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम	11	18,43,87,809.00	59,66,620.00	19,03,54,429.00	10,53,05,309.00	65,58,653.00	11,18,63,962.00
विविध व्यय		-	-	-	-	-	-
		-					-
कुल		**35,18,88,692.00**	**59,66,620.00**	**35,78,55,312.00**	**29,06,01,218.00**	**65,58,653.00**	**29,71,59,871.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24						
आकस्मिक दायित्व और लेखा टिप्पणियां	25						

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग

आय एवं व्यय लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष

(रकम रुपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
विक्रय/सेवाओं से आय	12	-			-
अनुदान/सहायिकी	13	15,58,02,029.00	6,30,43,501.00	17,26,94,708.00	4,85,10,284.00
फीस/अभिदान	14	-	5,200.00	-	7,997.00
निवेश से आय(निवेश पर आय, निधियों में अंतरित	15	-	-	-	
निर्धारित/अक्षय निधियों से आय		-	-	-	-
रॉयल्टी/प्रकाशन से आय	16	-	-	-	-
उपार्जित ब्याज	17	10,61,772.00	3,75,589.00	13,43,225.00	3,89,537.00
अन्य आय	18	48,12,467.00	2,03,246.00	1,14,42,538.00	1,20,093.00
पूर्व अवधि व्यय (स्टॉक 2016-17 का अंत अतिशेष)		-	-	-	1,76,000.00
तैयार माल और प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि(कमी)	19	-	-		1,67,457.00
पूर्व वर्ष के समायोजन अन्य आय (भवन पर 2008-09 से 2011-12 तक प्रभारित अवक्षयण		-	-	-	-
कुल(क)		**16,16,76,268.00**	**6,36,27,536.00**	**18,54,80,471.00**	**4,93,71,368.00**
व्यय					
स्थापन व्यय, आदि	20	3,82,34,906.00	3,57,67,468.00	2,20,05,748.00	3,08,10,192.00
अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	21	1,09,39,623.00	2,54,06,223.00	10,21,66,136.00	2,09,61,039.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	4,04,55,470.00	-	10,79,29,922.00	-
ब्याज	23	-	-	-	-
अवक्षयण (वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध योग)		2,28,01,586.00	-	2,62,11,849.00	-
अवक्षयण (पूर्व अवधि)		-		19,78,043.00	-
पूर्व अवधि व्यय		(5,49,478.00)	1,13,567.00	8,14,687.00	-
बट्टे खाते में अग्रिम		-		8,17,206.00	-
नियत आस्तियों के विक्रय पर हानि		-	-	25,78,088.00	-
कुल(ख)		**11,18,82,107.00**	**6,12,87,258.00**	**26,45,01,679.00**	**5,17,71,231.00**
व्यय से अधिक आय होने के कारण अतिशेष (क-ख)		**4,97,94,161.00**	**23,40,278.00**	**(7,90,21,208.00)**	**(23,99,863.00)**
			-	-	-
विशेष आरक्षित में अंतरण		-	-	-	-
सामान्य आरक्षित में/से अंतरण		-			
अतिशेष (कम) होने के कारण समग्र/पूंजीगत निधि में अग्रनीत		**4,97,94,161.00**	**23,40,278.00**	**(7,90,21,208.00)**	**(23,99,863.00)**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष

(रकम रुपयों में)

रसीद	चालू वर्ष: सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	चालू वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
आरंभिक अतिशेष				
शेष नकदी	-	-	-	-
शेष बची डाक टिकटें		53,331.00		31,642.00
बैंक अतिशेष	47,18,862.00	61,19,144.00	1,07,42,167.00	14,05,021.00
प्राप्त अनुदान	16,92,81,000.00	5,98,81,000.00	18,82,58,000.00	5,45,95,000.00
निवेश पर आय				
अक्षय निधि	-	-	-	-
अपनी निधि	-	-	-	-
निवेश पर ब्याज	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज				
बैंक जमा	44,649.00	15,794.00	13,43,225.00	3,89,537.00
एमओडी पर बैंक ब्याज (स्वीप खाता)	9,51,392.00	3,36,543.00	-	-
गृहनिर्माण अग्रिम पर ब्याज	-	-	-	-
उधार एवं अग्रिम	-	-	-	-
	-	-	-	-
अन्य आय				
आर.टी.आई.		5,200.00	-	7,997.00
विविध आय	54,231.00	1,53,761.00	8,50,834.00	85,665.00
समयपूर्व विविध आय	13,76,693.00	-	18,78,274.00	34,428.00
धन प्रेषण(अनुसूची-29)	-	1,05,25,943.00	-	90,13,593.00
प्रतिभूति जमा	6,45,000.00	-	5,44,200.00	-
राज्य चैक	4,60,464.00	41,398.00		17,064.00
	17,75,32,291.00	**7,71,32,114.00**	**20,36,16,700.00**	**6,55,79,947.00**

भुगतान	चालू वर्ष: सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	चालू वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
स्थापना व्यय(अनुसूची-26)	3,49,68,815.00	3,52,83,933.00	1,48,27,724.00	3,04,15,150.00
अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-27)	4,16,84,701.00	2,84,63,998.00	8,87,13,714.00	1,99,78,729.00
अवधि पूर्व व्यय	-	-		
विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान (अनु. 28)	8,20,89,469.00	-	8,86,32,398.00	-
धनप्रेषण (अनुसूची 29)	-	1,05,25,943.00	-	90,13,593.00
प्रतिभूति जमा	6,02,667.00	-	64,000.00	-
जमा प्राप्तियां				
नियत आस्तियों पर व्यय		-	-	-
क)नियत आस्तियां	44,64,823.00	-	66,60,002.00	
ख) कार्य प्रगति पर	-		-	
अंतिम अतिशेष				
नकद शेष	-		-	-
शेष डाक टिकटें		2,99,541.00	-	53,331.00
बैंक अतिशेष (अनुसूची 30)	13721816.00	2558699.00	4718862.00	61,19,144.00
	17,75,32,291.00	**7,71,32,114.00**	**20,36,16,700.00**	**6,55,79,947.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूचियां

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
अनुसूची -1 पूंजीगत निधि				
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	20,10,41,006.00	19,16,624.00	26,92,52,212.00	43,16,487.00
जोड़े:- आरक्षित एवं अधिशेष से अंतरण	-	-		
जोड़े(घटाएं):- आय एवं व्यय खाते से अंतरित शुद्ध आय(व्यय) का अतिशेष	4,97,94,161.00	23,40,278.00	(7,90,21,208.00)	(23,99,863.00)
		-		-
जोड़े:- वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि का परिवर्धन	45,74,420.00	-	1,08,10,002.00	-
		-	-	-
		-		-
वर्ष के अंत में अतिशेष	**25,54,09,587.00**	**42,56,902.00**	**20,10,41,006.00**	**19,16,624.00**
अनुसूची-2 आरक्षित एवं अधिशेष				
1) <u>पूंजीगत आरक्षित</u>				
पिछले खाते के अनुसार	-	-	-	-
घटाएं: पूंजीगत निधि में अंतरण अनुसूची-1	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
अनुसूची 3 - निर्धारित/अक्षय निधियां		**कुल नहीं**		
अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार		**कुल नहीं**		
अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधार		**कुल नहीं**		
अनुसूची 6 - आस्थगित उधार दायित्व		**कुल नहीं**		
अनुसूची 7 चालू दायित्व एवं प्रावधान				
चालू दायित्व				
मार्च, 2019 मास के लिए संदेय वेतन	-	23,68,711.00	-	18,36,731.00
मार्च, 2019 मास के लिए संदेय धनप्रेषण	-	7,72,333.00	-	8,28,506.00
मार्च, 2019 मास के संदेय बिल	1,06,945.00	4,06,668.00	3,46,607.00	5,41,390.00
दैनिक मजदूर कर्मचारी, संविदात्मक और डीईओ की मार्च, 2019 मास के लिए संदेय पारिश्रमिक	27,34,756.00	-	-	-
प्रतिभूति जमा	7,20,489.00	1,33,565.00	7,21,489.00	1,33,565.00
पुराने चैकों का दायित्व	11,75,608.00	58,462.00	7,15,144.00	17,064.00
मार्च, 2019 मास के लिए संदेय बैंक प्रभार	-	9,016.00		
खर्च न किए गए प्रतिदेय अतिशेष के लिए दायित्व	1,37,21,816.00	25,58,699.00	47,53,290.00	60,84,716.00
खर्च न की गई डाक स्टैम्पों के लिए प्रतिदेय दायित्व	-	2,99,541.00		
लेखा-परीक्षा फीस के लिए उपबंध	-	1,50,000.00		3,00,000.00
संदेय गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम(क+ख+ग+घ+च+छ+झ+ञ+ट+ड+ढ)	5,80,91,159.00	-	6,41,40,664.00	-
संदेय गैर सरकारी संगठनों(पूर्वोत्तर क्षेत्र) को अग्रिम ङ+ज+ठ+ण	98,67,087.00	-	87,69,107.00	-
एन.बी.सी.सी. को कार्यालय भवन निर्माण के लिए संदेय	50,13,968.00	-	50,13,968.00	
	9,14,31,828.00	**67,56,995.00**	**8,44,60,269.00**	**97,41,972.00**

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
विशेष अध्ययन	क	**2,35,28,472**		**2,05,78,777**	
एकेडमी आफ मार्टीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग चैन्नई- अध्य.		599130		-	
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद वि. अध्य.		738598		738598	
एमेटी बिज़नेस स्कूल एमेटी यूनिवर्सिटी.-एसपी-एसटी		315600		315600	
अमृत विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय. कोयंबटूर-एसपी.एसटी.		80000		240000	
अमृत विश्व विद्यापीठम(विश्वविद्यालय) एसपी. एसटी. तमिलनाडु		463050		463050	
आंध्र लोयला इंस्टिट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एपी-एसपी.एसटी		139860		419580	
एसोसिएशन फार डेवेल्पमेंट एंड रिसर्च(ए.डी.ए.आर.ए.एस.)		135000		135000	
आस्था महिला विकास एवं पर्यावरण कोटा- वि. अध्य.		164430		164430	
बाहिरी स्मारक महा विद्यालय महाराष्ट्र		552600		-	
भारतीदसन यूनिवर्सिटी कालेज - वि. अध्य.		57120		171360	
भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट-एसपी.एसटी		421470		421470	
सेंटर फार वूमेन स्टडीज़, असम - वि. अध्य.		141120		141120	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ पंजाब		273420		-	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान - वि. अध्य.		347760		347760	
सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्री. डेवलपमेंट-चंडीगढ़ एस		100000		300000	
सेंटर फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट स्टडीज-एसपी.एसटी		-		206700	
सेंटर फॉर दि स्टीज ऑफ सोशल		99600		297600	
सेंटर फॉर विमेंस स्टडीज अलगप्पा यूनिवर्सिटी, वि. अध्य.		232380		-	
सेंटर ऑफ स्टडीज़ फॉर कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ वीकर		101400		101400	
चैतन्य मोहन कोठी, गया (बिहार)		58800		58800	
छायादीप समिति, ग्राम राजखेता, छत्तीसगढ़-एसपी एसटी		158760		158760	
क्रिस्चियन एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट, केरल एसपी एसटी		98070		294210	
डीएवी पीजी कॉलेज यू.पी.- वि. अध्य.		298800		-	
डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, आईआईटी खड़गपुर- वि.		630000		-	
डिपार्टमेंट ऑफ़ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर्नाटक- वि.		294600		-	
धर्मगिरी जीवास सोशल सेंटर केरल- एसपी एसटी		468600		468600	
इनवायरोनिक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली - वि.अध्य.		109200		109200	
फोरम फॉर फैक्ट फाइंडिंग डाक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेसी- वि.अध्य.		140730		140730	
गोविन्द बल्लभ पन्त सोशल साइंस. इंस्टिट्यूट यूपी- एसपीएसटी		126000		378000	
गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्याल - वि.अध्य.		225540		225540	
ज्ञानोदय फाउंडेशन इठर्वा, बिहार-वि.अध्य.		-		68040	
हरयाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट जाकिर नगर दिल्ली-एसपी		122650		367950	
एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय - वि.अध्य.		45045		45045	
ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी दिल्ली-एसपी. एसटी		91800		275400	
आईआईटी मद्रास, चैन्नई- वि.अध्य.		573300		-	
भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं. विकास परिषद - वि. अध्य.		-		65100	
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ दलित स्टडीज दिल्ली-एसपी.एसटी		100000		300000	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पश्चिमी बंगाल-वि.अध्य.		64050		64050	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली-एसपी.एसटी	310800		310800	
इंस्टिट्यूट फॉर जेप्पिआर इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई-एसपी.एसटी	384600		384600	
आर्थिक विकास मानिटरिंग संस्थान, केरल-वि.अध्य.	164430		164430	
जबाला एक्शन रिसर्च आर्गेनाइज़ेशन	48615		48615	
जन कल्याण परिषद्, छत्तीसगढ़ - वि.अध्य.	133560		133560	
जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान -अध्य.	273420		-	
जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी (सीएसआरडी) एसपी.एसटी.	174720		524160	
जेके डेवल्पमेंट एक्शन ग्रुप जेएंडके-अध्य.	298200		-	
कलास्लिंगम यूनिवर्सिटी आनंद नगर तमिलनाडु एसपी.एसटी	541800		541800	
केरल महिला आयोग - वि. अध्य.	493237		493237	
के.इ.सोसाइटीज राजारामबापू इंस्टी.ऑफ़ टेक्नो. महार एसपीएसटी	40000		120000	
कांगू इंजीनियरिंग कॉलेज, तमिलनाडु-वि.अध्य.	285000		-	
लेडी डाआक कॉलेज केटी विलोक्स एजुकेशन वि.अध्य.	300000		-	
लीगल सर्विसेज़, अपोलो अस्पताल के पास, दिल्ली	65200		65200	
लियाकत अली खान	40000		40000	
लोयला कॉलेज ऑफ सोशल साइंस, केरल-अध्य	297900		-	
मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विभाग, तमिलनाडु, वि.	120000		360000	
महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी. रोहतक-एसपी.एसटी.	143380		430140	
मानवलोक्स कॉलेज ऑफ सोशल वर्क महाराष्ट्र-वि.अध्य.	296100		-	
मासूम सोसाइटी फॉर सोशल साइंस (वि.अध्य.)	38600		38600	
मथुरा कृष्ण फाउंडेशन, बिहार	41200		41200	
मदर्स एल.ए.पी. पूर्त संगठन (वि.अध्य.)	15000		15000	
मदर टेरेसा ग्रामीण विकास सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश	108360		108360	
एम.एस. रम्मैया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक., बैंगलोर-वि.अध्य.	550200		-	
सुश्री शीला चौधरी	49200		49200	
नवकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवेल्पमेंट स्टडीज़	40000		40000	
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, कर्नाटक	123788		123788	
नैशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बांगी - वि.अध्य.	615636		615636	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली-वि.अध्य.	590940		590940	
पश्चिम बंगा युवा कल्याण मंच, कोलकाता	38640		38640	
पेरियार यूनिवर्सिटी डिपार्ट. ऑफ़ सोशियोलॉजी तमिलनाडु एसपी	80000		240000	
फगवाड़ा एनवायरमेंट एसोसिएशन, पंजाब-वि.अध्य.	-		119700	
पांडिचेरी यूनिवर्सिटी-वि.अध्य.	598200		-	
प्रिंसीपल जेपियर इंजीनियरिंग कालेज, चेन्नई - वि. अध्य.	171600		171600	
प्रो. विजयलक्ष्मी, निदेशक, यू.जी.सी. सेंटर, उदयपुर	42600		42600	
रमा देवी वीमेन यूनिवर्सिटी ओडिसा -वि.अध्य.	528600		-	
रजिस्ट्रार सैंटर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात- वि.अध्य.	64260		64260	
रजिस्ट्रार, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय - वि.अध्य.	158550		158550	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
रिसर्च इंस्टिट्यूट राजगिरी कॉलेज ऑफ़ सोशल साइंस. एसपीएसटी		102000		306000	
रूरल एजूकेशन वर्किंग सोसाइटी, तमिलनाडु		-		178290	
रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून एसपी. एसटी.		131250		393750	
रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इम्प्रूवमेंट, वि.अध्य.		128520		128520	
सेक्रेड हार्ट कॉलेज सोसाइटी तमिलनाडु- एसपी. एसटी		249000		249000	
सामाजिक न्याय संस्था, दिल्ली-वि.अध्य		-		166635	
स्कूल ऑफ कम्यूनिकेशन, मनीपाल यूनिवर्सिटी - वि.अध्य.		48258		48258	
श्रीनिवास बहु उद्देश्य संस्थान, महाराष्ट्र, वि.अध्य.		196245		196245	
सिचुएशलन एनालाइसिस ऑफ होमलेस वूमेन		150000		150000	
सोसाइटी फॉर सोशल ट्रांसपोरमेशन एपी-एसपी.एसटी		103600		310800	
सोसाइटी फार यूनिवर्सिटी वेलफेयर, जयपुर, वि.अध्य.		50820		50820	
सोना कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु- एसपी.एसटी.		79800		239400	
साउथ विहार वेलफेयर सोसाइटी फॉर ट्राइबल- वि. अध्य.		70560		211680	
श्री सरस्वती त्यागराज कॉलेज-एसपी.एसपी.		266550		799650	
सूरज संसथान जयपुर- एसपी. एसटी.		100000		300000	
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़(टी.आई.एस.एस.) वि.अध्य.		2084040		2084040	
द एसोसिएशन फॉर डेवेल्पमेंट इनिशिएटिव, दिल्ली(वि.अध्य.)		47460		47460	
थेंडरल मूवमेंट, तमिनलाडु - वि.अध्य.		59640		59640	
यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन स्टडी भारतियर यूनि.-अध्य.		268200		-	
यूनिवर्सिटी ऑफ़ कश्मीर जे.एंड के.- एसपी. एसटी		945450		352800	
यूनिवर्सिटी ऑफ़ लखनऊ यूपी-अध्य.		584460			
उत्कल विश्वविद्याल, ओडिशा-वि.अध्य.		544950		544950	
विजयनगर श्रीकृष्ण देवरिया यूनिवर्सिटी कर्नाटक -अध्य.		279720			
वूमेन स्टडीज़ रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी, कोलकाता, वि.अध्य.		86730		86730	
वूमेन स्टडीज़ एंड डेवेल्पमेंट, कोची		116400		116400	
राष्ट्रीय महिला आयोग की नेटवर्किंग	**ख**	**1,95,000**		**1,95,000**	
गुजरात राज्य महिला आयोग - नेटवर्किंग		75000		75000	
असम राज्य महिला आयोग		120000		120000	
न्यायिक एवं पुलिस पदाधिकारियों का क्षमता-निर्माण	**ग**	**8,91,329**		**7,41,329**	
ए.सी.पी./मुख्यालय/डी.डी.ओ., एस.पी.यू.डब्ल्यू.सी.- क्षमता निर्माण		112140		112140	
सहायक निदेशक शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी जे.एंड के.		55000		55000	
सेंटर फॉर सोशल डिफेंस एंड जेंडर - क्षमता निर्माण		152869		152869	
निदेशक, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद - क्षमता निर्माण		56700		56700	
पुलिस महानिरीक्षक(प्रशिक्षण) एवं निदेशक, राजा बहादुर वेंकट रमन हैदराबाद		150000		150000	
महाराष्ट्र राज्य आयोग - क्षमता निर्माण		63000		63000	
महात्मा गाँधी स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन- पंजाब		150000		-	
प्रिंसीपल, के.टी.डी.एस. पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, त्रिपुरा		21000		21000	
राजा बहादुर वेंकट रामा रेड्डी आन्ध्र प्रदेश पुलिस - क्षमता निर्माण		42000		42000	
निदेशक, हरियाणा पुलिस अकादमी - क्षमता निर्माण		88620		88620	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
कानूनी जागरुकता कार्यक्रम	घ	1,04,66,300		1,41,16,300	
आकाश सेवा संस्थान, उदयपुर		30000		30000	
अभिजन उद्योग ग्रामीण विकास सोसाइटी, गुवाहाटी -एल.ए.पी.		23800		23800	
अभिनव विकास मंच, बिहार -एल.ए.पी.		50000		50000	
आगरा रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन- एल.ए.पी.		50000		50000	
आन्ध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी.		500000		500000	
अंकुर सामाजिक सेवाभावी संस्था - महाराष्ट्र -एल.ए.पी.		50000		50000	
एराइज़, राजामंद्री, आन्ध्र प्रदेश-एल.ए.पी.		50000		50000	
आशा विकास संस्थान, उदयपुर		30000		30000	
भारत उदय संस्थान, राजस्थान -एल.ए.पी.		50000		50000	
भारतीय ध्यानवर्धनी लोक विकास, महाराष्ट्र - एल.ए.पी.		15000		15000	
बिहार राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.		400000		400000	
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग		680000		680000	
कल्चरल एक्शन फॉर रूरल डेवेल्पमेंट, कर्नाटक -एल.ए.पी.		50000		50000	
दलित महिला रचनात्मक परिषद्, अहमदाबाद, गुजरात		15000		15000	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण -एल.ए.पी.		50000		50000	
गांधी सेवा संस्थान, छत्तीसगढ़		15000		15000	
गोवा राज्य आयोग- एल.ए.पी.		300000		300000	
ग्रामोद्योग आश्रम, बिहार		15000		15000	
गुजरात राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी.		250000		250000	
हरि श्री, नई दिल्ली -एल.ए.पी.		50000		50000	
हरियाणा राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.		800000		800000	
हैल्पफुल सोसाइटी, दिल्ली -एल.ए.पी.		50000		50000	
हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.		500000		500000	
जम्मू और कश्मीर राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.		1150000		1150000	
झारखंड राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी.		300000		300000	
जम्मू और कश्मीर राज्य महिला आयोग, श्रीनगर		500000		500000	
ज्वाइंट वूमन्स प्रोग्राम, नई दिल्ली		30000		30000	
केरल महिला आयोग- एल.ए.पी.		250000		250000	
लेकसिटी मूवमेंट सोसाइटी, राजस्थान		30000		30000	
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल		-		2000000	
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, एल.ए.पी.		-		500000	
मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी - एल.ए.पी.		50000		50000	
महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण - एल.ए.पी.		150000		150000	
मालाबपूर पीपल रूरल डेवल्पमेंट सोसाइटी, पश्चिम बंगाल		30000		30000	
मानव कल्याण एवं सुरक्षा समिति, हरियाणा - एल.ए.पी.		15000		15000	
मानव कल्याण संस्थान, देहरादून		30000		30000	
मरुधारा संस्थान जयपुर - एल.ए.पी.		250000		250000	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति, बांसवाड़ा		15000		15000	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	चालू वर्ष सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	पूर्व वर्ष सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	पूर्व वर्ष सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
मातृ दर्शन शिक्षा समिति, उदयपुर	15000		15000	
मुक्त भारती शिक्षा समिति राजस्थान - एल.ए.पी.	50000		50000	
नवदागर छत्तीसगढ़ - एल.ए.पी.	50000		50000	
ओडिशा राज्य महिला आयोग	250000		250000	
प्रगति महिला बहुद्देशीय, महाराष्ट्र - एल.ए.पी.	25000		25000	
पब्लिक हैथ एंड मैडिकल टैक्नॉलोजी, दिल्ली - एल.ए.पी.	15000		15000	
पंजाब राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	250000		600000	
पुष्पा केकाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट	15000		15000	
राछेरी जनता विकास ग्राम उद्योग समिति, हरियाणा	12500		12500	
राजपुर ग्राम विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान - एल.ए.पी.	100000		100000	
राजस्थान राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	200000		200000	
रूरल डेवेल्पमेंट ट्रस्ट तमिलनाडु - एल.ए.पी.	25000		25000	
रूरल आर्गेनाईजेशन फॉर पावर्टी एराडीकेशन, ओडिशा	15000		15000	
सर्वांगीण उन्नयन समिति, असम	20000		20000	
शिव शंकर सेवा संस्थान, राजस्थान- एल.ए.पी.	50000		50000	
श्री हरि कृष्ण शिक्षा सेवा समिति, अलवर	15000		15000	
श्री लक्ष्मी रूरल डेवेल्पमेंट एण्ड एजूकेशनल सोसाइटी, आं.प्र.- एल.ए.पी.	15000		15000	
श्री राधा कृष्णा सेवा समिति - एल.ए.पी.	50000		50000	
सोसवा ट्रेनिंग एंड प्रोमोशन, पुणे - एल.ए.पी.	50000		50000	
श्री कृष्णा शिक्षा प्रसार समिति, म.प्र.	15000		15000	
सुरेश शर्मा फाउण्डेशन, राजस्थान - एल.ए.पी.	100000		100000	
तमिलनाडु राज्य आयोग - एल.ए.पी.	800000		800000	
तेलंगाना राज्य महिला आयोग - एल.ए.पी.	-		800000	
सोसाइटी फॉर वूमन एंड चाईल्ड डेवेल्पमेंट एंड सर्विसेस, दिल्ली	30000		30000	
यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली फैकल्टी ऑफ़ लॉ - एल.ए.पी.	100000		100000	
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग - एल.ए.पी.	525000		525000	
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयो- एल.ए.पी.	700000		700000	
विद्या भूषण युवक मंडल - एल.ए.पी.	75000		75000	
विज्ञान शिक्षा केन्द्र, हरियाणा	30000		30000	
युवा संघर्ष समिति, हरियाणा (एल.ए.पी.)	45000		45000	
विधिक जागरूकता कार्यक्रम - पूर्वोत्तर क्षेत्र ङ	**55,14,000**		**52,06,500**	
अमतसारा, शिलांग एल.ए.पी. एनईआर	330000		330000	
अरूणाचल राज्य महिला आयोग (एल.ए.पी. एन.ई.आर.)	660000		300000	
असम राज्य महिला आयोग, उझानबाजार एल.ए.पी.	-		780000	
दीरा गांव वन प्रबंधन, अरूणाचल प्रदेश	20000		20000	
जिला समाज कल्याण कार्यालय, असम	56500		56500	
इत्तेहाद सोशिओ - कल्चरल ऑर्गनाइजेशन, असम	20000		20000	
मणिपुर राज्य महिला आयोग- एल.ए.पी.	600000		300000	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलांग, एनईआर		487500		540000	
मिजोरम राज्य महिला आयोग- एनईआर एल.ए.पी.		780000		780000	
नागालैंड राज्य महिला आयोग -एल.ए.पी. एनईआर		300000		300000	
नन्दिनी वेल्फेयर सोसाइटी, असम - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र		30000		30000	
फाकुन हरमोती गांव श्रीमाता संकर, असम एनईआर		40000		40000	
रोटरी क्लब, शिलांग - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एल)		510000		510000	
रूरल एरिया सर्वोदया प्रोलेटरिएट - मणिपुर - एल.ए.पी.		120000		120000	
सिक्किम राज्य महिला आयोग - एल.ए.पी. पूर्वोत्तर क्षेत्र		540000		540000	
द संगीत नाट्य, मणिपुर - एल.ए.पी. एनईआर		60000		60000	
त्रिपुरा महिला आयोग अगरतला (एनईआर) एल.ए.पी.		960000		480000	
पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए)	(च)	**1,65,000**		**1,65,000**	
दलित उत्थान राष्ट्रीय गर्ल्स समिति, उ.प्र. - पीएमएलए		30000		30000	
जन समाधान सेवा संस्थान, उ.प्र. - पीएमएलए		30000		30000	
नरेन्द्र देव एजूकेशनल स्कूल, महाराष्ट्र		15000		15000	
प्रतिभा, उ.प्र. - पीएमएलए		90000		90000	
संगोष्ठियां एवं सम्मेलन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	(छ)	**9,28,700**		**6,48,250**	
सेन्टर फॉर वीमेन स्टडीज, असम		30000		30000	
राजनीति विज्ञान विभाग डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय		30000		30000	
डेवेल्पमेंट नेटवर्किंग एजेंसी, मणिपुर - एस/सी एनईआर		-		30000	
हयांग मेमोरियल एग्रो इण्डस्ट्री एण्ड एजुकेशन, ए.पी.एस/सी एनईआर		30000		30000	
ईश्वरम्भा समिति संघ - एस/सी एनईआर		30000		30000	
मणिपुर राज्य महिला आयोग		-		90500	
मेघालय राज्य महिला आयोग - एस/सी		186000		36000	
न्यू इंटीग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी (एस/सी)		30000		30000	
न्यू विज़न क्रिएटिव सोसाइटी विलेज एंड पोस्ट एरा.असम		30000		30000	
एनआईएलओवाई असम		75000		-	
नार्थ ईस्ट नेटवर्क, असम - एस/सी एनईआर		135000		135000	
पराडा, मणिपुर		-		30000	
रूरल वीमेन अपलिफ्टमेन एसोसिएशन, असम		-		61000	
सिक्किम राज्य आयोग		1,72,700		-	
सोशल एंड कल्चरल एडवांसमेंट फाउंडेशन, इम्फाल		75,000		-	
सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर एंड एजुकेशन, मणिपुर		75,000		-	
साउथ एशिया बम्बू फाउंडेशन - एस/सी एनईआर		30000		30000	
त्रिपुरा राज्य महिला आयोग		-		55750	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
राष्ट स्तरीय संगोष्ठियां और सम्मेलन	(ज)	**1,20,000**		**1,20,000**	
रजिस्ट्रार, जामिया मिलिया इस्लामिया - एस/सी		90000		90000	
सोसाइटी फॉर कम्युनिटी एक्शन आं.प्र. - एस/सी एनएल		30000		30000	
क्षेत्रीय स्तर की संगोष्ठियां / सम्मेलन	(झ)	**1,20,000**		**1,20,000**	
अखिल भारतीय सामाजिक न्याय सोसाइटी- एस/सी		-		-	
नव भारत ग्रामीण एवं शिक्षा सोसाइटी ए.पी. - एस/सी		60000		60000	
श्री राजे शिव क्षत्रपति महाराष्ट्र - एस/सी आर		60000		60000	
संगोष्ठियां सम्मेलन - राज्य स्तरीय	(ञ)	**2,10,000**		**2,10,000**	
ए.आर. फाउंडेशन आन्ध्र प्रदेश -एस/सी		30000		30000	
बंकुरा मानस सोशल वैल्फेयर सोसाइटी, पश्चिमी बंगाल-एस/सी		30000		30000	
बरबेरिया चेतना सत्संग, पश्चिमी बंगाल -एस/सी		30000		30000	
कमला नेहरू महाविद्यालय-एस/सी		30000		30000	
लोक सेवा संस्थान-एस/सी(राज्य स्तर)		30000		30000	
सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ प्रगति संस्थान, राजस्थान एस/सी		30000		30000	
स्वावलंबन, हिमाचल प्रदेश-एस/सी		30000		30000	
कमजोर वर्ग विकास सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी		-		-	
अन्य संगोष्ठियां एवं सम्मेलन	ट	**99,48,626**		**1,54,47,826**	
ए.सी.पी./डी.डी.ओ./एस.पी.यू.डब्ल्यू.सी. नानकपुरा-एस/सी एक्स		375000		375000	
एक्शनऐड एसोसिएशन दिल्ली- एस/सी		-		100000	
अधिकार ओडिशा-एस/सी		70100		70100	
आदित्य नागराज चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्र-एस/सी		-		75000	
एकतन संघ, पश्चिमी बंगाल(एस/सी)		-		30000	
अखिल मानव सेवा परिषद्-एस/सी		13950		13950	
अलगप्पा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु- एस/सी		-		87500	
अखिल भारतीय महिला संघ, दिल्ली-एस/सी		30000		30000	
आल ओडिशा मुस्लिम विमेंस वेलफेयर फाउंड- एस/सी		-		58000	
आल वीमेन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, तमिलनाडु- एस/सी		57000		57000	
एमेटी लॉ स्कूल, उत्तर प्रदेश(एस/सी)		153750		153750	
एमिटी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़		107500		-	
अरुणोदय एजूकेशनल एंड रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी-एस/सी		29624		29624	
अपेक्षा महिला एवं बाल विकास समिति उत्तर प्रदेश एस/सी		-		47600	
आरोग्य प्रबोधिनी महाराष्ट्र- एस/सी		-		75475	
एसोसिएशन फॉर डेवेल्पमेंट एंड रिसर्च ओडिशा एस/सी		-		30000	
अवध एजूकेशनल सोसाइटी, लखनऊ-एस/सी		30000		30000	
बलाप्पल्ली हरिजन अभिवरूधि संघम कर्तका- एस/सी		-		87500	
बन्नारी अम्मान इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी तमिल एस/सी		31125		-	
बनवाशी विकास आश्रम झारखंड-एस/सी		-		55750	
भागीदारी जन सहयोग समिति		-		30000	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
भारतियर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ़ वीमेन तमिलनाडु- एस/सी	-		88250	
भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान-एस/सी	100000		-	
भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश(एस/सी	15000		15000	
बिहंग वैल्फेयर एसोसिएशन, गाज़ियाबाद-एस/सी	97030		97030	
केलवारी मिनिस्ट्री कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	-		62975	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ केरल -एस/सी	125000		-	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ राजस्थान -एस/सी	-		101250	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ तमिलनाडु -एस/सी	-		75000	
सेंटर फॉर सोशल आउटरीच करुणय यूनिवर्सिटी- एस/सी	-		99000	
सेन्टर फॉर विमेंस स्टडीज अलगप्पा यूनिवर्सिटी- तमिल-एस/सी	91000		-	
सेंटर फार वूमेन स्टडीज़, उदयपुर	90000		90000	
छत्रपति शाहू महाराज बहुद्देशीय महाराष्ट्र-एस/सी	52125		52125	
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग- एस/सी	375000		375000	
चेतनालय दिल्ली-एस/सी	-		51000	
छोटा नागपुर विकास मंच झारंखड एस/सी	-		62500	
चिन्थालापति सत्यवती देवी सेंट थेरेसस कॉलेज एस/	85000		-	
कम्युनिटी रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीआरडीएस)तमिल एस/सी	-		62500	
डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस एसपीयूडब्ल्यू मालवीय नगर-एस/सी	-		4334600	
डेवेल्पिंग कंट्रीज़ रिसर्च सेंटर डी. यू.-एस/सी	90000		90000	
देव हरि जन कल्याण समिति यू.पी- एस/सी	87500		87500	
धरती फाउंडेशन दिल्ली-एस/सी	150000		-	
निदेशक, माया फाउंडेशन, चंडीगढ़-एस/सी	90000		90000	
डा. बी.आर. अम्बेडकर रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी, कर्नाटक-एस/सी	-		134000	
दुआर्शनी श्रमिक संघ, ओडिशा	9000		9000	
एजूकेशनल एंड रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी, तमिलनाडु(एस/सी)	29000		29000	
एजूकेशनल एंड रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी, तमिलनाडु(एस/सी)	-		62500	
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोयडा-एस/सी	90000		90000	
गनान सुधा एजूकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद	15000		15000	
ग्राम जीवन यूथ एसोसिएशन फॉर रूरल ए.पी. एस/सी	101250		101250	
ग्रामीण महिला वेलफेयर फेडरेशन पंजाब- एस/सी	-		62500	
ग्रामीण विकास मंच नागपुर-एस/सी	75000		-	
गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-एस/सी	45500		45500	
गुजरात राज्य महिला आयोग-एस/सी	60000		60000	
गुंहत्ता महिला जन कल्याण संस्थान बिहार- एस/सी	-		72750	
हंस राज महिला महा विद्यालय पंजाब-एस/सी	125000		-	
हरशल ग्रामीण विकास बहु संस्थान महाराष्ट्र- एस/सी	-		87500	
हेलेना कौशिक महिला महाविद्यालय, झुंझुनु	90000		90000	
हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी-एस/सी	146223		146223	
हाई-टेक इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी यूपी एस/सी	150000		-	
एच.एम.यू. हाशमी लॉ कालेज यू.पी- एस/सी	-		75000	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
ह्यूमेन रिसोर्स एडवांसमेंट वैल्फेयर दिल्ली-एस/सी	30000		30000	
आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्र तमिलनाडु -एस/सी	98750		-	
इंडियन ड्रीम्स फाउंडेशन यू.पी.-एस/सी	-		65500	
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट आईआईएम काशीपुर उत्तराखंड	150000		-	
भारतीय युवा कल्याण संस्थान, महाराष्ट्र	102500		15000	
इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवेल्पमेंट फॉर वर्कर	30000		30000	
जामदा झारग्राम आदिबासी क्लब डब्ल्यू.बी.- एस/सी	-		55500	
जनकल्याण समिति ओडिशा-एस/सी	75000		88750	
जवाहरलाल नेहरु इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस स्टडी तेलंगाना -एस/	88500		-	
जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी - एस/सी	-		125000	
जीवन प्रकाश ट्रस्ट, गुजरात-एस/सी	30000		30000	
जेपियार इंजीनियरिंग कॉलेज तमिलनाडु- एस/सी	-		54250	
झारखंड राज्य आयोग-एस/सी	30000		30000	
जेएमजे कॉलेज फॉर वीमेन तेनाली एपी -एस/सी	150000		-	
ज्योतिश्री सेवा समिति बिहार एस/सी	-		62500	
कलिंगा सुसुम फाउंडेशन ओडिशा- एस/सी	-		52250	
कौशिकी वैल्फेयर सोसाइटी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेस-एस/सी	-		56550	
केशरी युवा समिति, एमपी-एस/सी	75000		-	
केएलएम कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग तमिलनाडु-एस/सी	120000		-	
केएमसीएच कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी तमिलनाडु-एस/सी	150000		-	
क्रांति वेलफेयर एसोसिएशन कर्नाटक एस/सी	60000		60000	
कृषि विकास एवं मानव कल्याण संसथान, यू.पी.- एस/सी	-		57600	
कृष्ण माला वेलफेयर फाउंडेशन, यू.पी.- एस/सी	-		104750	
कृषि महिला मंडली, नावा, आन्ध्र प्रदेश	30000		30000	
कुमार्शा रूरल डेवेल्पमेंट सोसाइटी, पश्चिमी बंगाल	15000		15000	
कुप्पम इंजीनियरिंग कॉलेज एपी-एस/सी	125000		-	
केवीएन नेक शिक्षण प्रसारक संस्था कॉलेज एस	125000		-	
लिर्बा कॉलेज ऑफ लॉ उत्तराखंड- एस/सी	-		75000	
माँ गौरिया शिक्षण एवं प्रशिक्षण सोसाइटी. छत्तीस.-एस	70000		-	
महर्षि मारकंडेश्वर यूनिवर्सिटी -एस/सी	22000		-	
महात्मा गाँधी कशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी एस/सी	125000		-	
मैत्रीबन सेवा संघ ओडिशा- एस/सी	-		50000	
मनस्वी शाहदरा- एस/सी	-		75000	
मानव सेवा कल्याण संस्थान एम.पी.-एस/सी	-		65000	
मंदाकिनी सांस्कृतिक एवं समाज कल्याण, भोपाल-एस/सी	-		77500	
मणिपाल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स कर्नाटक एस/सी	-		72500	
मनोंमनिम सुन्दरानर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु-एस/सी	50000		-	
माता मांती समाज सेवा संस्थान बिहार- एस/सी	49700		49700	
माया फाउंडेशन, चंडीगढ़-एस/सी	30000		30000	
मदर टेरेसा रूरल एंड ट्राइबल ए.पी. एस/सी	-		83000	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
एमएसपी मंडल्स यशवंतराव चव्हाण आर्ट्स महाराष्ट्र-एस/सी	92500		-	
नंदा इंजीनियरिंग कॉलेज इरोड तमिलनाडु- एस/सी	-		64000	
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु,-एस/सी	150000		-	
एन.ए.डब्ल्यू.ओ., मार्फत डा. पाम राजपूत वूमेन रिसोर्स, चंडीगढ़	200000		200000	
न्यू प्रशांत पब्लिक स्कूल समिति लखनऊ- एस/सी	-		100000	
नेक्स्ट स्टेप तो सनराइज दिल्ली- एस/सी	-		62500	
ओडिशा राज्य महिला आयोग-एस/सी	-		294750	
आर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, 33वां क्रिमिनोलॉजी कांफ्रेंस, जम्मू-कश्मीर	90000		90000	
पहल वैल्फेयर सोसाइटी, हरियाणा-एस/सी	30000		30000	
पंचायती रूल एंड जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग देहरादून एस	50000		-	
पारुल इंस्टिट्यूट ऑफ़ लॉ पारुल यूनिवर्सिटी, गुजरात-एस/सी	75000		-	
पीस रिकांसिलिएशन मिनिस्ट्रीज़, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	30000		30000	
पेरियार यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशलॉजी तमिलनाडु- एस/सी	-		100000	
पांडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी-एस/सी	100800		-	
प्रयास वोलंटरी आर्गेनाईजेशन ओडिशा- एस/सी	-		69225	
परिक्रमा महिला समिति(एस/सी)	-		30000	
प्रिंसिपल कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज तमिलनाडु,-एस/सी	100000		-	
प्रिंसीपल, मध्य प्रदेश सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजस्थान	30000		30000	
प्रिंसिपल एम.एस रमैया इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक. बेंगलोर-एस/सी	92750		-	
प्रोग्रेसिव एक्शन फॉर कम्यूनिटी इमेनसीपेशन आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	-		85000	
राजा सेर्फोजी गवर्नमेंट कॉलेज तमिलनाडू - एस/सी	-		152250	
राजेंद्र प्रसाद सेवा संस्थान यू.पी.- एस/सी	-		62500	
राजीव गांधी चेयर इन कन्टैंप.एस/टी बारातु.यूनिवर्सिटी.एस/सी	237750		237750	
राजीव गांधी जनसेवा संस्थान, राजस्थान	30000		30000	
रिसर्च इंस्टिट्यूट जाजागिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एस/सी	-		50000	
रिया जन कल्याण समिति मुरादाबाद- एस/सी	-		87750	
आर.के. एच.आई.वी. एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर, मुम्बई	30000		30000	
रूरल एजुकेशन एंड चाइल्ड हेल्थ सोसाइटी कर्नाटक - एस/सी	-		55000	
रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट उत्तराखंड - एस/सी	50000		64750	
सदयानोडिया ल्लैगंर नर्पाई मन्द्रम (सिनाम) एस/सी	-		98750	
सद्भावना समन्वय संस्थान-यू.पी. एस/सी	45000		45000	
सखी केन्द्र-एस/सी	60000		60000	
समाधान कामेश्वरी निवास मधुबनी बिहार एस/सी	-		62500	
सम्मति सामाजिक समिति, मध्य प्रदेश	15000		15000	
सामुदायिक कल्याण एवं विकास संस्थान यू.पी.-एस/सी	-		59750	
संजीवनी, भुवनेश्वर	9000		9000	
संस्कार कॉलेज ऑफ़ साइंस एंड कॉमर्स तमिलनाडु-एस/सी	80000		-	
संस्कार ओडिसा- एस/सी	-		55900	
सांस्कृतिक विकास एवं नव कल्याण समिति उत्तराखंड-एस/सी	30000		30000	
सरस्वती बाल विकास मंदिर शिक्षा संस्थान यू.पी.एस/सी	-		100000	

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल, तमिल.-एस/सी	129000		-	
शाहजी लॉ कॉलेज कोल्हापुर-एस/सी	106750		-	
शंतिश्वरी, कर्नाटक	-		100000	
श्री गिरिराज जी महाराज, शिक्षा, उत्तर प्रदेश-एस/सी	30000		30000	
श्री गिरिराज महाराज, बलवाडी, मध्य प्रदेश-एस/सी	-		77950	
श्री राम मैमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली-एस/सी	-		87,500	
सिलदा स्वास्ति उन्नयन समिति, मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल	30000		30000	
एस के शिक्षण एवं सामाजिक विकास संसथान राजस्थान-एस	75000		-	
सोशल एंड लिटरेसी डेवलपमेंट लखनऊ- एस/सी	-		61500	
सोसाइटी फॉर हैल्थ एंड एजूकेशन डेवेल्पमेंट, हैदराबाद	15000		15000	
सोसाइटी फॉर इनोवेटिव रूरल डेवलपमेंट दिल्ली - एस/सी	-		60000	
सोसाइटी फॉर रूरल एंड इको-डेवलपमेंट ए.पी.- एस/सी	-		62500	
सोसाइटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ए.पी.- एस/सी	-		50000	
श्री सरस्वती थयांगराज कॉलेज- एस/सी	-		129750	
सृजन, लखनऊ-एस/सी	50000		77250	
सृजन संस्थान इलाहाबाद-एस/सी	75000		75000	
सेंट अगनेस कॉलेज कर्नाटक-एस/सी	99500		-	
सेंट अननस कॉलेज फॉर वीमेन हैदराबाद तेलंगाना-एस/सी	75000		-	
स्टार यूथ एसोसिएशन आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	10000		10000	
स्त्री मुक्ति संगठन, मुम्बई(एस/सी)	-		30000	
सेंट ज़ेवियरस कॉलेज महाराष्ट्र-एस/सी	50000		-	
सुप्रतिवा फ़क़ीरपड़ा, बिरिबती ओडिशा- एस/सी	120000		75000	
सुरुचि कलाकेन्द्र, बिहार-एस/सी	30000		30000	
सस्टेनेबल लाइफ ट्रस्ट तमिलनाडु - एस/सी	62500		62500	
एस. वी. एजुकेशनल सोसाइटी, आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	30000		30000	
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई-एस/सी	771049		771049	
पुलिस आयुक्त, पुणे-एस/सी	30000		30000	
द होली फेथ एजुकेशनल डेवेल्पमेंट सोसाइटी-आन्ध्र प्रदेश-एस/सी	50000		50000	
थेइवनल अम्मल कॉलेज फॉर वीमेन चेन्नई-एस/सी	71000		-	
ट्रस्टी ग्रामियम, तमिलनाडु-एस/सी	-		65750	
यूनीक वेलफेयर फाउंडेशन प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश-एस/सी	-		62250	
कश्मीर विश्वविद्यालय, जेएंडके-एस/सी	125000		-	
मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक-एस/सी	85650		85650	
उत्कल यूथ एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट यू.पी. एस/सी	44750		44750	
वैश आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय झज्जर-एस/सी	125000		-	
विद्या कला संस्थान, उत्तर प्रदेश	15000		15000	
विद्या बाल कल्याण सेवा संस्थान यूपी- एस/सी	-		62500	
पश्चिमी बंगाल महिला आयोग-एस/सी	60000		60000	
विमेंस स्टडीज भरथिएअर यूनिवर्सिटी-तमिलनाडु-एस/सी	137500		-	
योगेश्वरी महाविद्यालय महाराष्ट्र-एस/सी	105000		-	
योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड-एस/सी	600000		600000	
यूथ एजुकेशनल रिसर्च एंड रिलीफ सोशल जे.एंड.के. एस/सी	-		62500	
युवा विकास समिति यूपी- एस/सी	-		62500	

(रकम रुपयों में)

	अनुसूची	चालू वर्ष: सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	चालू वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	पूर्व वर्ष: सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
विशेष अध्ययन/ अनुसंधान अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र	ठ	**23,16,127**		**18,06,097**	
असम विश्वविद्याल-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र		131040		131040	
चंद्रप्रभा सैकिंनी सेन्टर फॉर वीमेन, असम		285000		-	
ड्रीम प्रोग्रेसिव वैल्फेयर एसोसिएशन, असम- पूर्वोत्तर क्षेत्र		36600		36600	
इंदिरा गाँधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मणिपुर		289800		-	
जन नेता इरावत फाउंडेशन, मणिपुर पूर्वोत्तर क्षेत्र		37065		37065	
जन समृद्धि समिति, इम्फाल, मणिपुर		32350		32350	
मणिपुर राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र		-		91350	
मेघालय राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र		182364		182364	
मिज़ोरम राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर		492000		492000	
मिज़ोरम विश्वविद्यालय, मनोविज्ञान विभाग, ऐज़वाल		300000		273420	
ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट -ए सोशल चेंज		48000		48000	
सिक्किम राज्य महिला आयोग-विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र		61908		61908	
विवेकानंद केंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ़ कल्चर असम		420000		420000	
कानूनों की समीक्षा	ड	**2,36,906**		**2,36,906**	
संकायाध्यक्ष, लॉ फैक्लटी दिल्ली विश्वविद्यालय		236906		236906	
महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए क्षमता- निर्माण	ढ	**1,22,09,526**		**1,22,09,526**	
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान		10665270		10665270	
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान(टी.आई.एस.एस.)-पंचायती		1544256		1544256	
महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए क्षमता- निर्माण- एन.ई.आर.	ण	**11,08,260**		**11,08,260**	
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तेलंगाना		1108260		1108260	

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 8 - नियत आस्तियां

रकम रूपयों में

	सकल ब्लाक					अवक्षयण				शुद्ध ब्लाक	
	आरंभिक अतिशेष	परिवर्धन	कटौतिया	समायोजन	अंतिम अतिशेष	आरंभिक अतिशेष	परिवर्धन पर	कटौती पर	अंत में कुल अवक्षयण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
नियत आस्तियां										-	
भूमि	35,53,443			-	35,53,443.00	-	-	-	-	35,53,443.00	35,53,443
भवन	11,03,43,768	-	-	-	11,03,43,768.00	1,10,34,377.00	-	-	1,10,34,377.00	9,93,09,391.00	11,03,43,768
संयंत्र एवं. मशीनरी	5,49,15,183	19,77,759.00	-	-	5,68,92,942.00	82,37,277.00	1,77,618.00		84,14,895.00	4,84,78,047.00	5,49,15,183
यान	18,63,180	-	-	-	18,63,180.00	2,79,477.00	-	-	2,79,477.00	15,83,703.00	18,63,180
फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,21,46,757	4,98,258.00	-	-	1,26,45,015.00	12,14,676.00	27,229.00		12,41,905.00	1,14,03,110.00	1,21,46,757
कम्प्यूटर	24,37,804	20,70,033.00	30,002.00	4,54,983.00	49,32,818.00	11,45,114.00	6,57,524.00		18,02,638.00	31,30,180.00	24,37,804
पुस्तकें एवं प्रकाशन	35,774	28,370.00	13.00	7,172.00	71,303.00	17,178.00	11,116.00	-	28,294.00	43,009.00	35,774
चालू वर्ष का कुल	**18,52,95,909**	**45,74,420**	**30,015**	**4,62,155**	**19,03,02,469**	**2,19,28,099**	**8,73,487**	**-**	**2,28,01,586**	**16,75,00,883.00**	**18,52,95,909**

अवक्षयण संगणना

कम्प्यूटर

आरंभिक अतिशेष	24,37,804.00
जोड़: सुधार की गई प्रविष्टि (2017-18 में प्रभारित अधिक अवक्षयण जिसे अब कम्प्यूटर खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।	4,54,983
कम: विक्रय/स्थानांतरण	(30,002)
कुज	**28,62,785**
2862785 रूपये पर अवक्षयण	**11,45,114**

प्रकाशन

आरंभिक अतिशेष		35774
जोड़: सुधार की गई प्रविष्टि (2017-18 में प्रभारित अधिक अवक्षयण जिसे अब कम्प्यूटर खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।		7172
शासकीय व्यय से स्थानांतरण		11148
कुल		54094
42946+1020= पर पूर्ण अवक्षयण		17586
	₹	3,118
7250 रूपये पर डेढ़ वर्ष के लिए अवक्षयण	₹	**4,350.00**
16202 रूपये पर आधे वर्ष के लिए अवक्षयण		3,240.00
कुल अवक्षयण		**28,294.00**

मशीनरी

2018-10 (सितं, 18 तक) के क्रय पर प्रभारित पूर्ण अवक्षयण	25,671
वर्ष 2018-19 के लिए 17,29,196/- रूपये पर प्रभारित आधा अवक्षयण	1,29,690
64480 पर 2 वर्ष के लिए अवक्षयण	19,344
12945 पर डेढ़ वर्ष के लिए प्रभारित अवक्षयण	2,913
जोड़ पर कुल अवक्षयण	**1,77,618**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 8 - नियत आस्तियां

(रकम रुपयों में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
1) भूमि	35,53,443	-	35,53,443	
2) फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,14,03,110	-	1,21,46,757	
3) मशीनरी एवं उपस्कर	4,84,78,047	-	5,49,15,183	
4) कम्प्यूटर	31,30,180	-	24,37,804	
5) यान	15,83,703	-	18,63,180	
6) पुस्तकें एवं प्रकाशन	43,009	-	35,774	
7) भवन	9,93,09,391		11,03,43,768	
	16,75,00,883	**-**	**18,52,95,909**	

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
अनुसूची-9 - निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश				**कुछ नहीं**	
अनुसूची-10 - निवेश-अन्य				**कुछ नहीं**	
अनुसूची-11- चालू आस्तियां, उधार एवं अग्रिम					
क. ***चालू आस्तियां***					
1) तालिकाएं			12,99,028.00		3,43,457.00
2) नकदी शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)		-	-	-	
3) शेष बची डाक टिकटें			2,99,541.00		53,331.00
4) बैंक अतिशेष:-					
	अनुसूचित बैंकों के पास बचत खाते पर	1,37,21,816.00	25,58,699.00	47,18,862.00	61,19,144.00
5) नकद या वस्तु रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूलीय उधार, अग्रिम और अन्य रकम:-		-	-	-	-
6) पूर्व संदत्त व्यय			4,215.00	6,05,495.00	
7) मार्च, 2019 मास के लिए प्रोद्भुत ब्याज		88,983.00	-		
8) विविध देनदारियां		1,50,000.00	-	1,50,000.00	3,703.00
	क	**1,39,60,799.00**	**41,61,483.00**	**54,74,357.00**	**65,19,635.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
ख ***उधार एवं अग्रिम***					
साधारण सहायता अनुदान के अधीन(2235.02.103.71.01.31)	ख	**14,85,56,838.00**		**8,91,86,704.00**	
कर्मचारियों को अग्रिम(भ)		**58,000.00**		**43,000.00**	
संगोष्ठियां एवं सम्मेलन(भ)		58,000.00		43,000.00	
मृदुल भट्टाचार्य		25,000.00		10,000.00	
अवनि, जे.टी.ई.		-		10,000.00	
आर.सी.मिश्रा		15,000.00		-	
गीता राठी, जे.टी.ई.		-		15,000.00	
विनोद कुमार, एलडीसी		10,000.00		-	
नीलम, परामर्शदाता		8,000.00		8,000.00	
विज्ञापन के लिए अग्रिम		**5,92,30,287.00**		**3,92,48,837.00**	
लेखा अधिकारी, डी.ए.वी.पी., विज्ञापन(अग्रिम)		5,89,81,450.00		3,90,00,000.00	
संपादक, रोजगार समाचार, अग्रिम विज्ञापन		55,037.00		55,037.00	
रोजगार समाचार		1,93,800.00		1,93,800.00	
श्रव्य-दृश्य प्रचार के लिए अग्रिम		**3,30,60,834.00**		**3,30,60,834.00**	
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय		1,95,41,461.00		1,95,41,461.00	
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम -श्रव्य दृश्य अग्रिम		1,35,19,373.00		1,35,19,373.00	
संगठन/राज्य आयोग/गैर-सरकारी संगठन को अग्रिम		**2,02,05,684.00**		**13,50,000.00**	
संगोष्ठियां एवं सम्मेलन					
स्वरलिपि स्वागत भवन, मुम्बई		4,50,000.00		4,50,000.00	
आंध्र प्रदेश राज्य आयोग		2,00,000.00		2,00,000.00	
छत्तीसगढ़ राज्य आयोग		-		2,00,000.00	
हरियाणा राज्य महिला आयोग		1,00,000.00		1,00,000.00	
जम्मू और कश्मीर राज्य महिला आयोग		1,00,000.00		2,00,000.00	
तमिलनाडु राज्य आयोग		2,00,000.00		2,00,000.00	
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस		1,91,55,684.00		-	
संगोष्ठियों के लिए अग्रिम		**5,00,033.00**		**7,82,033.00**	
सहायक निदेशक, संपदा निदेशालय-एस/सी अग्रिम		30,000.00		30,000.00	
बामर एंड लारी कंपनी लि. अग्रिम-संगोष्ठी		3,00,000.00		3,00,000.00	
जिमखाना क्लब		18,000.00		-	
भारतीय अंतरराष्ट्रीय केन्द्र		38,819.00		38,819.00	
आई. टी.डी.सी.		44,514.00		44,514.00	
स्कोप कम्प्लेक्स, एम,एम,ओ, खाता -संगोष्ठी अग्रिम		68,700.00		68,700.00	
वीनस कांफ्रेंस एंड एक्सीबिशन प्राईवेट लि.		-		3,00,000.00	

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
विधि के पुनर्विलोकन के लिए अग्रिम		**8,00,000.00**		**-**	
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी		1,00,000.00		-	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडियन यूनिवर्सिटी, बैंगलोर		700000.00		-	
पंचायती राज क्षमता निर्माण के लिए अग्रिम		**20000000**		**-**	
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट		20000000		-	
अन्य अग्रिम		**1,47,02,000.00**		**1,47,02,000.00**	
सी.पी.डब्ल्यू.डी. (अग्रिम)		1,47,02,000.00		1,47,02,000.00	
साधारण सहायता अनुदान के अधीन (2235.02.103.35.00.31)	**ग**		**17,83,637.00**	**-**	**17,518.00**
कर्मचारियों को अग्रिम			**17,72,484.00**		**6,365.00**
कार्यालय व्यय			**30,000.00**	**-**	**5,000.00**
आर.सी.मिश्रा			10,000.00		-
राजकरन, परामर्शदाता			10,000.00		-
मृदुल भट्टाचार्य			10,000.00		5,000.00
यात्रा व्यय			**60,000.00**	**-**	**-**
कर्मचारियों को अग्रिम					
रेखा शर्मा, अध्यक्ष			5000.00		
चंद्रमुखी देवी, सदस्य			25,000.00		-
श्यामला एस.कुंदर, सदस्य			25,000.00		
वरूण छावड़ा, परामर्शदाता			5,000.00		

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
पेट्रोल के लिए अग्रिम			**1,365.00**		**1,365.00**
बी.एस. रावत			1365.00		1365.00
मशीनरी की मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए अग्रिम			**16,81,119.00**		**-**
ब्लू स्टार			4,05,519.00		-
एनबीसीसी सर्विस लिमिटेड			12,75,600.00		-
ओ.एम.सी.ए.			**11,153.00**		**11,153.00**
अन्य मोटर कार अग्रिम			11,153.00		11,153.00
एन.ई.आर. सहायता अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31)	**घ**	**2,18,32,012.00**		**1,06,06,088.00**	**-**
संगठन/राज्य आयोग/गैर-सरकारी संगठन को अग्रिम		**36,55,000.00**		**35,90,000.00**	
संगोष्ठियां एवं सम्मेलन (एनईआर)		**32,55,000.00**		**31,90,000.00**	**-**
समाज कल्याण निदेशक, मेघालय सरकार		4,40,000.00		4,40,000.00	-
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लॉ, असम		2,70,000.00		-	-
पुडुचेरी महिला आयोग		5,00,000.00		5,00,000.00	-
मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार		2,50,000.00		2,50,000.00	-
अरूणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग		1,00,000.00		2,00,000.00	
मणिपुर राज्य महिला आयोग		1,44,000.00		1,00,000.00	
मेघालय राज्य महिला आयोग		51,000.00		2,00,000.00	
सिक्किम राज्य महिला आयोग		6,00,000.00		6,00,000.00	
रोटरी क्लब, शिलांग		9,00,000.00		9,00,000.00	-
कानूनी जागरुकता कार्यक्रम(पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**4,00,000.00**		**4,00,000.00**	-
रोटरी क्लब, शिलांग- पूर्वोत्तर क्षेत्र		4,00,000.00		4,00,000.00	-

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान साधारण और सहायता अनुदान एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान साधारण
विज्ञापन के लिए अग्रिम(पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**1,73,29,112.00**		**61,68,188.00**	
लेखा अधिकारी, डी.ए.वी.पी.		1,25,05,155.00		13,44,231.00	
प्रसार भारती		48,23,957.00		48,23,957.00	
श्रव्य दृश्य प्रचार के लिए अग्रिम(पूर्वोत्तर क्षेत्र)		**8,47,900.00**		**8,47,900.00**	
लेखा अधिकारी, डी.ए.वी.पी.		8,47,900.00		8,47,900.00	
कुल ङ (ख+ग+घ)		**17,03,88,850.00**	**17,83,637.00**	**9,97,92,792.00**	**17,518.00**
प्रतिभूति जमा	**च**	**38,160.00**	**21,500.00**	**38,160.00**	**21,500.00**
कुल क+ङ+च		**18,43,87,809.00**	**59,66,620.00**	**10,53,05,309.00**	**65,58,653.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय से संबद्ध अनुसूचियां

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
अनुसूची 12 - वेतन एवं सेवाओं से आय	**कोई नहीं**		**कोई नहीं**	

अनुसूची 13 - अनुदान

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
1) केंद्रीय सरकार				
अनुदान	160376449.00	63043501.00	183504710.00	48510284.00
घटाएं :- पूंजीकृत सहायतानुदान की रकम	4574420.00	0.00	10810002.00	0.00
कुल अनुदान	**155802029.00**	**63043501.00**	**172694708.00**	**48510284.00**

अनुसूची 14 - शूल्क / अभिदान

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
1) प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2) वार्षिक शूल्क / अभिदान	-	-	-	-
3) सूचना का अधिकार शूल्क	-	5200	-	7997
		-		-
		5200		**7997**

वेतन एवं लेखा अधिकारी | **सदस्य सचिव**

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
अनुसूचि 15 - निवेश से आय	**कोई नहीं**		**कोई नहीं**	
अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	**कोई नहीं**		**कोई नहीं**	

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
1) बचत बैंक खाता पर				
क) अनुसूचित बैंक में	58237	20601	1343225	389537
ख) एमओडी (स्वीप खाते) से ब्याज	1003535	354988		
2) गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	-	-	-	-
3) अंशदायी भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज	-	-	-	-
4) एफ.डी.आर. पर अर्जित ब्याज	-	-	-	-
	1061772	**375589**	**1343225**	**389537**

अनुसूची 18 - अन्य आय

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
1) पुनरांकित देयताएं	3381543	49485	10218586	0
2) विविध आय	54231	153761	60822	85665
3) अवधि पूर्व विविध आयु	1376693	-	1163130	34428
	4812467	**203246**	**11442538**	**120093**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
अनुसूची 19 - तैयार सामान एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	**काई नहीं**		**काई नहीं**	
क) बंद स्टाक		**काई नहीं**		**343457**
ख) कम: आरंभिक स्टाक		**काई नहीं**		**(1,76,000.00)**
कुल बढोत्तरी (कमी) (क-ख)				**167457**

अनुसूची 20 - स्थापना ब्याज

(रकम रूपयों में)

			चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
			सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
1	वेतन :-					
	अध्यक्ष एवं सदस्य	(8375998-1432983{संदेय})	-	6943015	-	8723628
	अधिकारी	(13378821-981260{संदेय})	-	12397561	-	9364003
	कर्मचारी	(11828276-726801{संदेय})	-	11101475	-	8676706
2	मजदूरी		30468170	0	6227995	0
	मार्च, 2019 मास के लिए संदेय मजदूरी		2577208			
3	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	एल.एस.सी./	-		-	
		पी.सी.		2184373		1380618
4	वृत्तिक फीस एवं सेवाओं के लिए भुगतान		5031980	-	15777753	-
	मार्च, 2019 मास के लिए संदेय व्यावसायिक		157548			
5	मार्च, 2019 माह में देय वेतन			2368711		1836731
6	मार्च, 2019 माह में देय वेतन विप्रेषण			772333		828506
			38234906	**35767468**	**22005748**	**30810192**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
विज्ञापन व्यय	1021482	-	61246164	-
मुद्रण	657983	-	1890052	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	7505506	-	12790211	-
विशेष अध्ययन	933908	-	10908940	-
कानूनों की समीक्षा	157685	-	5040	-
पारिवारिक महिला लोक अदालत	-	-	-	-
नुक्कड नाटकों के लिए गैर सरकारी संगठनों को रकम	-	-	-	-
श्रृव्य एवं दृश्य प्रचार-स्पॉट्स, वृत्त चित्र आदि		-	9867500	-
न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता-निर्माण	7273	-	27356	-
महिला पंचायतीराज सशक्तीकरण के लिए क्षमता निर्माण	0	-	0	-
बट्टे खाते व्यय	13	-	0	-
राष्ट्रीय महिला आयोग का राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्कि	615196	-	721062	-
पुस्तिकाओं, पर्चियों एवं अन्य सामग्री का मुद्रण कार्यालय व्यय	-	-	-	-
कार्यालय व्यय	-	20114630	-	16492644
मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	873752	-	520813
टेलीफोन	-	475495	-	513645
यात्रा व्यय	-	2160300	-	300000
लेखापरीक्षा शुल्क	-	150000	-	640615
बैंक प्रभार	-	50988	-	49903
पैट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेंट	-	1075342	-	2182299
किराया, दरें और कर	-	276480	-	261120
मुकदमेंबाजी	-	19800	-	
दवाईयां	-	209436	-	-
श्रृव्य एवं दृश्य प्रचार-स्पॉट्स, वृत्त चित्र आदि एनईआर		-	1000000	-
विज्ञापन पूर्वोत्तर क्षेत्र		-	3561470	-
मुद्रण पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	-	-	-
विधिक जागरूकता कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	-	-	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन पूर्वोत्तर क्षेत्र	40577	-	148341	-
विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	-	-	-
	10939623	**25406223**	**102166136**	**20961039**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 22 - व्यय अनुदान, सहायिकी आदि

(रकम रूपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	सहायता अनुदान साधारण और एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन और साधारण
साधारण सहायता अनुदान के अधीन 2235.02.103.71.01.31)				
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	6929800	-	38077262	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	9696795	-	27755554	-
विशेष अध्ययन	14344800	-	17824750	-
विधि की समीक्षा	-	-		-
राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य आयोगों के साथ नेटवर्किंग	-	-		-
और टेलीकांफ्रेंसिंग			0	
न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता- निर्माण	384557	-	1024725	-
क	**31355952**	-	**84682291**	-
		-		-
एनईआर सहायता अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31)		-		-
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र	5263818	-	8526930	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन पूर्वोत्तर क्षेत्र	2377700	-	912441	-
विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र	1458000	-	700000	-
महिला पंचायतीराज सशक्तीकरण करने के लिए क्षमता-निर्माण		-	13108260	
ख	**9099518**	-	**23247631**	
		-		
कुल (क+ख)	**40455470**	-	**107929922**	

अनुसूची 23 - ब्याज — **कोई नहीं** — **कोई नहीं**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2019 को प्राप्ति एवं संदाय का भाग गठित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-26 - स्थापन व्यय

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान वेतन	सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान वेतन
1	वेतन:-				
	अध्यक्ष एव. सदस्य	-	3,30,99,560.00	-	2,90,34,532.00
	अधिकारी				
	स्टाफ				
2	मजदूरी	3,04,68,170.00	-	62,27,995.00	-
3	अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाय				
4	अन्य निधियों में अभिदाय				
	एल.एस.सी.	-	21,84,373.00	-	13,80,618.00
	पी.सी.				
5	वृत्तिक फीस एवं सेवाओं के लिए भुगतान	45,00,645.00	-	85,99,729.00	-
		3,49,68,815.00	**3,52,83,933.00**	**1,48,27,724.00**	**3,04,15,150.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 27 - अन्य प्रशासनिक व्यय

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1	***साधारण सहायता अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31)***		
	विज्ञापन व्यय	2,10,02,932.00	5,80,89,964.00
	मुद्रण	6,57,983.00	19,05,802.00
	संगोष्ठी और सम्मेलन	67,95,945.00	1,27,22,171.00
	विशेष अध्ययन/अनुसंधान अध्ययन	12,41,971.00	1,04,61,314.00
	कानूनों की समीक्षा	1,57,685.00	-
	श्रव्य एवं दृश्य प्रचार	-	15,87,500.00
	पूर्व संदत्त प्रकाशन व्यय	4,215.00	-
	महिलाओं से संबंधित विधियों के समुचित क्रियान्वयन के लिए न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता-निर्माण	7,273.00	27,356.00
	राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकांफ्रेंसिंग	6,15,196.00	7,21,062.00
	नुक्कड़ नाटक एवं स्थानीय गीतों आदि के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां	-	-
	क	**3,04,83,200.00**	**8,55,15,169.00**
2	***साधारण सहायता अनुदान के अधीन (2235.02.103.35.00.31)***		
	कार्यालय व्यय	2,13,38,082.00	1,59,42,922.00
	मरम्मत एवं अनुरक्षण	25,54,871.00	5,08,801.00
	टेलीफोन	4,77,200.00	5,15,520.00
	यात्रा व्यय	22,20,300.00	-
	लेखापरीक्षा फीस	2,50,515.00	3,40,615.00
	बैंक प्रभार	41,972.00	49,903.00
	पेट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेंट	10,75,342.00	23,59,848.00
	किराया, शुल्क एवं कर	2,76,480.00	2,61,120.00
	चिकित्सा	2,09,436.00	-
	मुकदमेबाजी	19,800.00	-
	ख	**2,84,63,998.00**	**1,99,78,729.00**

3 ***<u>पूर्वोत्तर क्षेत्र सहायता-अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31)</u>***

(रकम रुपयों में)

विशिष्टियां		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
विज्ञापन		1,11,60,924.00	31,11,470.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन		40,577.00	7,075.00
विशेष अध्ययन/अनुसंधान अध्ययन		-	-
श्रव्य एवं दृश्य प्रचार		-	80,000.00
मुद्रण		-	-
	ग	**1,12,01,501.00**	**31,98,545.00**
साधारण सहायता- अनुदान और एनईआर के अधीन कुल व्यय (क+ग)		**4,16,84,701.00**	**8,87,13,714.00**
साधारण सहायता- अनुदान के अधीन कुल व्यय (2235.02.103.35.00.31) (B)	**(ख)**	**2,84,63,998.00**	**1,99,78,729.00**

<u>अनुसूची 28 - विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किए गए भुगतान</u>

<u>साधारण सहायता- अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31)</u>

(रकम रुपयों में)

		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
कानूनी जागरुकता कार्यक्रम		1,01,24,793.00	2,76,17,677.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन		3,27,47,956.00	3,31,41,775.00
विशेष अध्ययन/अनुसंधान अध्ययन		1,08,65,380.00	1,00,88,121.00
पी.एम.एल.ए.		-	30,000.00
महिलाओं से संबंधित विधियों के समुचित क्रियान्वयन के लिए न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता-निर्माण		2,34,557.00	9,39,931.00
पंचायती राज के लिए क्षमता-निर्माण		2,00,00,000.00	-
राष्ट्रीय महिला आयोग की राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकांफ्रेंसिंग		-	-
विधियों की समीक्षा		8,00,000.00	-
नुक्कड़ नाटक एवं स्थानीय गीतों आदि के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां		-	-
	घ	**7,47,72,686.00**	**7,18,17,504.00**
<u>पूर्वोत्तर क्षेत्र सहायता-अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31)</u>			
कानूनी जागरुकता कार्यक्रम		42,66,563.00	87,79,799.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन		21,02,250.00	25,71,957.00
विशेष अध्ययन/अनुसंधान अध्ययन		9,47,970.00	14,63,138.00
पंचायती राज के लिए क्षमता निर्माण- एन.ई.आर.			40,00,000.00
	ङ	**73,16,783.00**	**1,68,14,894.00**
साधारण सहायता- अनुदान और एनईआर के अधीन कुल व्यय (घ+ङ)		**8,20,89,469.00**	**8,86,32,398.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी   **सदस्य सचिव**

विप्रेषण अनुसूची 29

(रकम रुपयों में)

शीर्ष	चालू वर्ष परिवर्धन	चालू वर्ष विप्रेषित रकम	पूर्व वर्ष परिवर्धन	पूर्व वर्ष विप्रेषित रकम
सामान्य भविष्य निधि	42,89,404.00	42,89,404.00	30,80,500.00	30,80,500.00
सामान्य भविष्य निधि अग्रिम	10,500.00	10,500.00	1,500.00	1,500.00
अनुज्ञप्ति फीस	2,54,458.00	2,54,458.00	1,97,334.00	1,97,334.00
आयकर	39,42,500.00	39,42,500.00	40,77,163.00	40,77,163.00
सी.जी.एच.एस.	1,69,300.00	1,69,300.00	63,950.00	63,950.00
सी.जी.ई.जी.आई.एस.	13,523.00	13,523.00	9,846.00	9,846.00
गृह निर्माण अग्रिम	-	-	24,000.00	24,000.00
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	25.00	25.00	42,925.00	42,925.00
एम.सी.ए. +(ब्याज)	11,400.00	11,400.00	2,850.00	2,850.00
त्यौहार अग्रिम	2,700.00	2,700.00	1,350.00	1,350.00
कम्प्यूटर अग्रिम	9,000.00	9,000.00	1,050.00	1,050.00
सी.पी.एफ. अंशदान	86,262.00	86,262.00	30,000.00	30,000.00
ई.पी.एफ.	58,390.00	58,390.00	1,54,449.00	1,54,449.00
दान	7,300.00	7,300.00		
प्रधानमंत्री राहत कोष	93,488.00	93,488.00		
स्रोत पर कर कटौती	10,80,034.00	10,80,034.00		
जीएसटी पर स्रोत पर कर कटौती	2,19,608.00	2,19,608.00	11,92,613.00	11,92,613.00
राष्ट्रीय पेंशन स्कीम	2,04,318.00	2,04,318.00	1,10,794.00	1,10,794.00
सहकारिता सोसाइटी ऋण	54,900.00	54,900.00	18,300.00	18,300.00
सहकारिता सोसाइटी शेयर	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00
आधिक्य की वसूली संदाय	3,456.00	3,456.00	1,152.00	1,152.00
जीवन बीमा कंपनी	6,417.00	6,417.00	2,139.00	2,139.00
अन्य वसूली-जे.ए.एस.ए.	5,960.00	5,960.00	678.00	678.00
मासिद निधि और जल प्रभार				
कुल	**1,05,25,943.00**	**1,05,25,943.00**	**90,13,593.00**	**90,13,593.00**

अनुसूची 30

बैंक अतिशेष का विवरण

	सहायता अनुदान साधारण	सहायता अनुदान वेतन और साधारण	कुल बैंक अतिशेष
1 इंडियन बैंक	1,37,21,816.00	25,58,699.00	1,62,80,515.00
			1,62,80,515.00

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय महिला आयोग

वर्ष 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय लेखाओं का भाग गठित करने वाली अनुसूची–24

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरण, महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा केन्द्रीय स्वशासी निकायों (अलाभकारी संगठन और समरूप संस्था) के लिए विहित प्ररूप में प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. निवेश

2.1 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान किसी भी रूप में कोई निवेश नहीं किया गया है और तारीख 31 मार्च, 2019 तक शेष शून्य है।

3. स्थिर आस्तियां

3.1 स्थिर आस्तियों का उल्लेख अर्जन की कुल लागत के अनुसार किया गया है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अर्जन से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं। ऐसी परियोजनाओं की बाबत, जिसमें निर्माण अंतर्वलित है, संबंधित प्रचालन–पूर्व व्यय पूंजीकृत आस्तियों के मूल्य का भाग गठित करते हैं।

3.2. वित्तीय वर्ष 2016–17 से एन.बी.सी.सी. को भवन के निर्माण मद्धे संदेय 50,13,968/– रुपए की रकम 'भवन शीर्ष' में पूंजीकृत की गई है।

3.3 नियत आस्तियों के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग को भेंट की गई/दान दी गई पुस्तकें सम्मिलित हैं और उन्हें अंकित मूल्य पर पूंजीकृत किया गया है।

4. अवक्षयण

4.1 अवक्षयण की गणना आय–कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अवलिखित मूल्य के आधार पर की गई है।

5. सरकारी अनुदान/सहायिकी

5.1 सरकारी अनुदानों का परिकलन प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

वर्ष 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय लेखाओं का भाग गठित करने वाली अनुसूची–25

लेखाओं पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक दायित्व

1.1 आयोग के प्रति ऋण के रूप में माने गए दावे –**शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

1.2 निम्नलिखित की बाबतः

– आयोग द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी –**शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

– आयोग की ओर से बैंक द्वारा खोले गए ऋण–पत्र –**शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए)**

– आयोग के पास बट्टे खाते पर संदेय बिल–**शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

1.3 निम्नलिखित की बाबत विवादित मांगें

आय–कर – **शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

विक्रय–कर – **शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

नगरपालिक–कर – **शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

1.4 आदेशों का निष्पादन न करने के लिए पक्षकारों की ओर से किए दावों की बाबत जिनका आयोग द्वारा विरोध किया गया–**शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)**

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

जसोला में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण करने की आरंभिक अनुमानित लागत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए प्राक्कलन के अनुसार 6.09 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2004 में पहली किश्त के रूप में सीपीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड के खाते में 1.80 करोड़ रूपये अग्रिम रूप से जमा किए गए थे। तत्पश्चात् प्रशासनिक कारणों से भवन का निर्माण नहीं किया जा सका और वर्ष 2005 में यह परियोजना एनबीसीसी के सुपुर्द कर दिया गया। किन्तु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उस समय तक चारदीवारी आदि के लिए 32,97,991/– रुपए उपगत किए थे। दूसरा, एन.बी.सी.सी. ने कार्य पूरा किया और राष्ट्रीय महिला आयोग को फरवरी, 2016 में भवन सौंप दिया। एन.बी.सी.सी. को अभी भी 50,13,968/– रुपए की रकम भवन के निर्माण मद्धे संदेय है।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने तारीख 29 अप्रैल, 2019 को, इन टिप्पणियों के साथ कि

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा उपगत व्यय के लिए 32,97,991 रूपये और 3,15,497 रूपये का समायोजन किया गया है, 1,43,86,512 रूपये की रकम वापस कर दी। यह पाया गया है कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा उपगत 3,15,497 रूपये के व्यय का संबंध अन्य विभागों से है न कि राष्ट्रीय महिला आयोग से। सीपीडब्ल्यूडी के साथ इस बाबत पत्र–व्यवहार किया जा रहा है।

3. चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम

चालू आस्तियां, उधार और अग्रिम का मूल्य कारबार के सामान्य अनुक्रम में प्राप्तियों पर आधारित है, जो कि कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल रकम के समान है।

4. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई कर–योग्य आय न होने के कारण आय कर के लिए उपबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

5. विदेशी मुद्रा में संव्यवहार

5.1	सी.आई.एफ. आधार पर संगणित आयातों का मूल्यः	
	तैयार माल का क्रय	शून्य
	कच्ची सामग्री और संघटक (मार्गस्थ सहित)	शून्य
	पूंजीगत माल	शून्य
	भंडार, फालतू पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं	शून्य
5.2	विदेशी मुद्रा में व्ययः	
(क)	यात्रा	शून्य
(ख)	वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किया गया धन–	
	प्रेषण और ब्याज का भुगतान	शून्य
(ग)	अन्य व्यय	शून्य
	विक्रय पर कमीशन	शून्य
	विधिक और वृत्तिक व्यय	शून्य
	विविध व्यय	शून्य
5.3	उपार्जनः	
	एफ.ओ.बी. आधार पर निर्यातों का मूल्य	शून्य

6. वित्तीय विवरणों का पेश किया जाना महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा दिए गए विहित हमारे आयोग को लागू प्ररूप पर आधारित है।

7. कर्मचारियों को मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान और संचित छुट्टी नकदीकरण फायदों मद्धे कोई दायित्व लेखा बहियों में नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वशासी निकाय है। इस संगठन के अपने स्थायी कर्मचारी नहीं हैं। सभी कर्मचारी या तो केन्द्रीय सरकार और अर्ध सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर है या कर्मचारी आकस्मिक/संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोई उपदान/पेंशन संदेय नहीं है।

8. भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग का वित्तपोषण करता है। मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों की संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	विशिष्टियां	साधारण सहायता अनुदान और एनईआर(रु.)	वेतन सहायता अनुदान और साधारण सहायता अनुदान (रु.)
1.	वर्ष के आरंभ में खर्च न किया गया शेष अनुदान	47,18,862	61,19,144
2.	वर्ष के आरंभ में खर्च न की गई नकदी शेष	––	––
3.	वर्ष के आरंभ में हस्तगत अप्रयुक्त शेष डाक टिकटें	––	53,331
4.	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	16,92,81,000	5,98,81,000
5.	वर्ष के अंत में अनुदान का अप्रयुक्त शेष (जिसमें विविध प्राप्तियां भी हैं)	1,37,21,816	25,58,699
6.	वर्ष के अंत में खर्च न किया गया नकद शेष	––	––
7.	वर्ष के अंत में हस्तगत अप्रयुक्त शेष डाक टिकटें	––	2,99,541

9. समरूप लक्ष्य और उद्देश्य रखने वाले गैर–सरकारी संगठनों आदि को दिए जाने वाले अनुदान/वित्तीय सहायता को हिसाब में लिया जा रहा है और उन्हें अनुदान/वित्तीय सहायता के समायोजन पर व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

10. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2017–18 के पैरा सं. क. 1 में 2.24 करोड़ रूपये की जो टिप्पणी की गई है उसकी बाबत यह उल्लेखनीय है कि 2017–18 तक यू.सी. का परिनिर्धारण कर दिया गया है, तथापि ये प्रयास किए जा रहे हैं कि शीघ्रतापूर्वक शेष दायित्वों को चुकता कर दिया जाएगा और इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों/संगठनों के अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

11. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2017–18 के पैरा सं. क. 2 में जो टिप्पणी की गई है उसकी बाबत यह उल्लेखनीय है कि 31.03.2019 तक 9.99 करोड़ रूपये और 0.11 करोड़ रूपये के अग्रिम का समायोजन कर दिया गया है और 29.4.2019 को 1.47 करोड़ रूपये के अग्रिम में से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 1.44 करोड़ रूपये वापस कर दिए हैं। शीघ्रतापूर्वक शेष बकाया अग्रिमों को चुकता करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

12. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2017–18 के पैरा सं. क. 3 में जो टिप्पणी की गई है उसका अनुपालन किया गया है और चालू वित्तीय अर्थात् 2018–19 से दैनिक मजदूर और संविदात्मक कर्मचारियों का वेतन/पारिश्रमिक को विशेष अध्ययनों के अधीन अन्य प्रशासनिक व्यय के स्थान इसे स्थापन व्ययों के अधीन दर्शित किया गया है।

13. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2017–18 के उपाबंध के पैरा सं. 1 में की गई टिप्पणी का अनुपालन यह दर्शित करते हुआ किया गया है कि खर्च न की गई डाक टिकटों के लिए 2.99 लाख रूपये के लिए दायित्व प्रतिदेय है।

14. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2017–18 के उपाबंध के पैरा सं. 4 का अनुपालन मार्च, 2019 के मास के लिए 27.35 लाख रूपये का प्रावधान वेतन/पारिश्रमिक, जिसमें संविदात्मक कर्मचारी, दैनिक मजदूरों औ डीईओ भी हैं, सृजित करके किया गया है।

15. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2017–18 के उपाबंध के पैरा सं. 5 में की गई टिप्पणी का अनुपालन, 0.89 लाख रूपये की स्थिर आस्तियों को पूंजीकृत करके, किया गया है।

16. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2017–18 के उपाबंध के पैरा सं. 6 का अनुपालन, स्थिर आस्तियों (अर्थात् कम्प्यूटर ए/सी) में 4.55 लाख और उतनी ही रकम पूर्व अवधि में जमा करके, किया गया है।

17. एस.ए.आर. लेखा परीक्षा 2017–18 के उपाबंध के पैरा सं. 7 का अनुपालन, पूर्व अवधि में 1.13 लाख के विकलन को दर्शित करके और खपतयोग्य स्टॉक में जमा करके, किया गया है।

18. राष्ट्रीय महिला आयोग ने 739 पुस्तकालय की पुस्तकों को बट्टे खाते में डाल दिया है। इन पुस्तकों को अवक्षयण मूल्य 13 रूपये दर्शित किया गया है और बट्टे खाते को व्यय खाते में विकसित किया गया है– उतनी ही रकम प्रकाशन में जमा की गई है।

19. अनुसूची 1 से अनुसूची 30 तक उपाबद्ध है, जो कि वर्ष 2018–19 के लिए तुलनपत्र और आय और व्यय लेखा का अभिन्न भाग गठित करता है।

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य–सचिव**

अध्याय–16

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू) की 31 मार्च, 2019 को संलग्न तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखे और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे की राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम्, 1990 की धारा 12 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां सेवा की शर्तें) अधिनियम्, 1971 की धारा 19 (2) के अधीन लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय महिला आयोग का है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन व्यवहार के संबंध में केवल सर्वोत्तम लेखा पद्धति के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता–सह–कार्यनिष्पादन पहलुओं, आदि, यदि कोई हैं, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों के बारे में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक्–पृथक् प्रतिवेदित किया गया है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अधीन यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्यनिष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, जांच आधारों पर उन साक्ष्यों की परीक्षा करना शामिल है जो वित्तीय विवरणियों में की रकमों और प्रकटनों का समर्थन करते हैं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण करना तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

(i) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

(ii) इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय/प्राप्तियां और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है, वे वित्त मंत्रालय द्वारा विहित प्रारूप में तैयार किए गए है;

(iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समुचित लेखा बहियां और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखे गए हैं, जहां तक ऐसी बहियों की हमारे द्वारा की गई परीक्षा से प्रकट होता है।

(iv) हम इसके अतिरिक्त यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

क. तुलनपत्र

क. 1 दायित्वः

क.1.1 वर्तमान दायित्व और प्रावधान (अनुसूची–7) 942.02 लाख रुपये

क.1.1.1 'संगठन/संस्थान/गैर सरकारी संगठन को संदेय रकम के रूप में 679.58 लाख रुपये (580.91 लाख रुपये. 98.67 लाख रुपये) की रकम दर्शित की गई है। इसके लिए प्रस्तुत किए गए वर्ष–वार ब्यौरों के अनुसार रकम का संबंध विभिन्न शीर्षों अर्थात् सेमिनार/सम्मेलन, अनुसंधान अध्ययन, राष्ट्रीय महिला आयोग के नेटवर्किंग से है और यह रकम वर्ष 2008–09 से लेकर 2018–19 तक लंबित हैं और इसका कारण यह है कि संबंधित संगठनों ने अपेक्षित दस्तावेज जैसे कि उपयोगिता प्रमाणपत्र, समाधानप्रद रिपोर्टें, बिल आदि प्रस्तुत नहीं की हैं। चूंकि संगठनों को संदेय रकम ऊपर उल्लिखित शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन है इसलिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि यह रकम संदेय होगी या नहीं। इसलिए लेखा मानक 29 के अनुसार इस रकम को 'चालू दायित्वों' के स्थान पर लेखाओं पर टिप्पण की अनुसूची 25 में ''आकस्मिक दायित्वों के रूप में दर्शित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप चालू दायित्वों में रकम अधिक दर्शाई गई है और पूंजी निधि में कम रकम दर्शाई गई है।

ख. साधारण

ख.1 मार्च, 2019 को 2008–09 से 2018–19 तक की पूर्व अवधि के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 1721. 72 लाख रुपये की रकम का अग्रिम बकाया था। इस रकम में से 843.84 लाख रुपये की रकम 2008.09 से 2017–18 तक की पूर्व अवधि के लिए बकाया थी। शीघ्रतापूर्वक इसे वसूल/समायोजन करने की आवश्यकता है।

ग. सहायता अनुदान

ग.1 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए प्राप्त सहायता अनुदान, व्यय और खर्च न किए गए अतिशेष का विवरण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

विशिष्टियां	**(करोड़ों रुपयों में)**
प्राप्त अनुदान	2291.62
पूर्व वर्ष की खर्च न की गई रकम जिसमें आंतरिक राजस्व भी है	108.38
अन्य प्राप्तियां	40.85
कुल उपलब्ध निधियां	2440.85
व्यय	2278.04
वर्ष की समाप्ति पर खर्च न की गई रकम, जिसमें आंतरिक राजस्व भी है	162.81

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत में राष्ट्रीय महिला आयोग के पास 162.81 लाख रुपये का अंत अतिशेष था।

घ. **प्राबंधिक पत्र:** लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है उन्हें प्राबंधिक पत्र के माध्यम से, जिसे उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किया गया है, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के ध्यान में ला दिया गया है।

(v) हम, पूर्ववर्ती पैराओं में किए गए प्रेक्षणों के अधीन रहते हुए यह रिपोर्ट देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है, वे लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियों को लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणों के साथ पठित और ऊपर कथित महत्वपूर्ण विषयों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उपाबंध में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन रहते हुए, वे भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप सही और ऋजु दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

क. जहां तक उनका संबंध राष्ट्रीय महिला आयोग के 31 मार्च, 2019 तक तुलनपत्र की स्थिति से है; और

ख. जहां तक उनका संबंध उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संबंधी आय और व्यय लेखे के अतिशेष से है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से

महानिदेशक लेखा परीक्षक
(केन्द्रीय व्यय)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 25.11.2019

उपाबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- राष्ट्रीय महिला आयोग की आंतरिक लेखापरीक्षा मानव संसाधन मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा खंड द्वारा मार्च, 2015 तक की गई है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

क. आयोग के गठन को 20 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी भर्ती नियम विरचित नहीं किए गए हैं।

ख. वर्ष 2008–09 से 2017–18 तक की अवधि के लिए अग्रिम बकाया है। इन्हें यथाशीघ्र वसूल/समायोजित करने की आवश्यकता है।

ग. मार्च, 2010 से से नवम्बर 2016 तक राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किए गए कुल 7.15 लाख रुपये के पुराने चैकों के लिए दायित्व सृजित किया गया था किन्तु ऐसे चैकों को भुनाया गया था और तत्पश्चात् वे समय वर्जित हो गए। इन चैकों के दावेदारों ने आज की तारीख तक अपने लंबित भुगतान के लिए कोई दावा नहीं किया है। इन दायित्वों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

घ. प्रबंधतंत्र की कानूनी लेखापरीक्षा की आपत्तियों के संबंध में प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं थी क्योंकि 2009–10 से 2017–18 तक की अवधि के लिए 35 लेखापरीक्षा पैरा बकाया है।

इन बातों को पूववर्ती वर्ष रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया है, किन्तु प्रबंधतंत्र द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद अभी तक उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। इसको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

3. आस्तियों की अस्तित्व जांच की पद्धति

क. आस्तियों की अस्तित्व जांच अक्तूबर, 2018–19 तक की गई है।

ख. पुस्तकों को खरीदने के बिलों और पुस्तकालयों के अभिगमन रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की तुलना करने पर यह प्रकट हुआ है कि क्रमशः 2017–18 और 2018–19 के दौरान 68,633 रुपये और 17,222 रुपये की लागत की पुस्तकें खरीदी गई थी किन्तु रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि नहीं गई थी इसलिए पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों के मूल्य का सत्यापन लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सकता है।

ग. वर्ष 2018–19 के लिए पुस्तकालय की पुस्तकों की अस्तित्व जांच की जा रही है।

4. **वस्तु–सूची अस्तित्व जांच की पद्धति**

- वस्तु–सूची की अस्तित्व जांच 2018–19 तक की गई है।

5. **देयों के भुगतान में नियमितता**

- लेखाओं के अनुसार, कानूनी देयों की बाबत् कोई भी छह मास से अधिक पुराना भुगतान मार्च 2019 तक बकाया नहीं था।

अध्याय–17

लेखापरीक्षा रिपोर्ट की मुख्य बातें और वर्ष 2018–19 के लिए उत्तर तथा उस पर की गई कार्रवाई

क्रम सं.	लेखापरीक्षा पैरा	आयोग का उत्तर
क.	**तुलन पत्र**	
क.1	**दायित्वः**	
क.1.1	**चालू दायित्व और प्रावधान (अनुसूची–7): 942.02 लाख रुपए**	
क.1.1.1	संगठन/संस्थान/गैर सरकारी संगठन को संदेय रकम के रूप में 679.58 लाख रूपये (580.91 लाख रूपये+ 98. 67 लाख रूपये) की रकम दर्शित की गई है। इसके लिए प्रस्तुत किए गए वर्ष–वार ब्यौरों के अनुसार रकम का संबंध विभिन्न शीर्षों अर्थात् सेमिनार/सम्मेलन, अनुसंधान अध्ययन, रा.म.आ. के नेटवर्किंग से है और यह रकम वर्ष 2008–09 से लेकर 2018–19 तक लंबित और इसका कारण यह है कि संबंधित संगठनों ने अपेक्षित दस्तावेज जैसे कि उपयोगिता प्रमाणपत्र, समाधानप्रद रिपोर्टें, बिल आदि प्रस्तुत नहीं किए हैं। चूंकि संगठनों को संदेय रकम ऊपर उल्लिखित शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन है इसलिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि यह रकम संदेय होगी या नहीं। इसलिए लेखा मानक 29 के अनुसार इस रकम को 'चालू दायित्वों' के स्थान पर लेखाओं पर टिप्पण की अनुसूची 25 में ''आकस्मिक दायित्वों'' के रूप में दर्शित किया जाना चाहिए।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है और चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कार्रवाई की जाएगी।
क.1.1.2	बैंक समाधान विवरण के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सितंबर, 2016 से अक्तूबर 2018 तक 5.01 लाख रूपये की रकम के 23 चैक जारी किए गए थे किंतु तारीख 31.3.2019 तक इन्हें भुनाया नहीं गया था इसलिए ये समय–वर्जित हो गए हैं। तथापि समय–वर्जित चैकों को पुनरांकित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप दायित्वों (लेनदारों) को कम दर्शाया गया है और चालू आस्तियों (बैंक अतिशेष) की उतनी रकम दर्शाई गई है।	सितंबर, 2016 से अक्तूबर, 2018 तक की अवधि के लिए 23 चैकों में से केवल 13 चैकों की 2.41 रूपये की रकम बकाया थी। इन चैकों को रद्द करने की बाबत विषय को बैंक के समक्ष पहले ही उठाया जा चुका है।
क.1.1.3	राष्ट्रीय महिला आयोग के पास मार्च, 2019 में 1.27 लाख रुपए के बिल लंबित हैं जिसके लिए 31 मार्च, 2019 (उपाबंध क (i) में ब्यौरे दिए गए हैं) को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक लेखे में कोई दायित्व सृजित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप दायित्वों तथा व्यय खाते में उतनी रकम कम दर्शाई गई है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि लंबित रकम 1.27 लाख के स्थान पर 1.23 लाख रूपये होगी। चूंकि 3782 रूपये की रकम विधिमान्य नहीं है (पैरा क 2.1.2 में ब्यौरे दिए गए हैं)।

क.2.	आस्तियां	
क.2.1.1	**स्थिर आस्तियां (अनुसूची–8): 1675.01 लाख रुपए** राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2018–19 के दौरान 0.36 लाख रुपए (उपाबंध– क (ii) में ब्यौरे दिए गए हैं) की स्थिर आस्तियां अर्जित की थी तथापि, उन्हें पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्थिर आस्तियों में तथा पूंजीगत निधि में उतनी रकम कम दर्शाई गई।	इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि 29,999 रूपये का संबंध रा.म.आ. की अध्यक्ष द्वारा खरीदे गए मोबाइल की प्रतिपूर्ति से संबंधित है जिसके लिए वह तारीख 26 मार्च, 2018 के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 24(3)/ ई.सम.2018 द्वारा 25,000/– रूपये तक इसके लिए हकदार है (प्रति संलग्न है) अध्यक्ष द्वारा 29,999/– रूपये का मोबाइल खरीदा गया था और रा.म.आ. ने तारीख 12.09.2018 के बिल सं. 794 द्वारा केवल 25,000 रूपये की प्रतिपूर्ति की गई थी किंतु स्टाक रजिस्टर में गलत प्रविष्टि की थी। चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आस्तियों की शेष रकम अर्थात् 0.06 रूपये (0.36 रूपये– 0.30 रूपये) लाख का सुधार किया जाएगा।
क.2.1.2	राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पुस्तकों और प्रकाशनों को खरीदने के अभिलेखों की संवीक्षा करने के पश्चात् यह प्रकट हुआ है कि 2017–18 के दौरान खरीदी गई 0.69 लाख रूपये और 2018–19 के दौरान खरीदी गई 0.10 लाख रूपये की पुस्तकों और प्रकाशनों के मूल्य को पूंजीकृत नहीं किया गया था (उपाबंध–क(iii) में ब्यौरे दिए गए हैं) जिसके परिणामस्वरूप 0.79 लाख रूपये की पुस्तकों और प्रकाशन के मूल्य की रकम कम दर्शित की गई है।	यदि वर्ष 2018–19 के दौरान 0.10 लाख रूपये की रकम की पुस्तकें खरीदी गई थी (जैसा कि उपाबंध (iii) में उल्लेख किया गया है), यह उल्लेखनीय है कि तारीख 23.10.2018 को ब्राइट लॉ हाउस से प्राप्त 3782 रूपये की रकम के बिल का पुनरीक्षण 3697 रूपये की रकम के लिए किया गया था। तारीख 7 दिसंबर 2018 के डीवी सं. 35 द्वारा इस रकम का भुगतान कर दिया गया है और पुस्तकों की प्रविष्टि प्राप्ति रजिस्टर में कर दी गई है। इसलिए 6758 रूपये की शेष रकम (2018–19 के लिए) और इसके 68,633 रूपये की रकम (2017–18 के लिए) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इसे सुधार लिया जाएगा।

क.2.1.3	लेखाओं के टिप्पण के बिंदु सं. 15 के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2017–18 के लिए एस.ए.आर. की टिप्पणी के अनुपालन में 0.89 लाख रूपये की लागत की स्थिर आस्तियों (मशीनरी और पुस्तकें) को पूंजीकृत किया है। तथापि, अनुसूची– 8 में, इस रकम को पूंजीकृत करने के पश्चात् दो वर्षों अर्थात् 2017–18 और 2018–19 के लिए विहित दर से दोगुनी दर पर अवक्षयण प्रभारित किया गया है (उपाबंध क (iv) में ब्यौरे दिए गए है), जबकि वर्ष 2017–18 के लिए अवक्षयण प्रभारित करने के पश्चात् आस्तियों के लिखित मूल्य के आधार वर्ष 2018–19 के लिए अवक्षयण प्रभारित करना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 0.03 लाख रूपये का अधिक अवक्षयण प्रभारित किया गया है और उतनी रकम द्वारा आस्तियों के मूल्य का कम अवक्षयण दर्शित किया गया है।	चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इसे सुधार लिया जाएगा।
ख	**आय और व्यय**	
ख.1.1 **ख.1.1.1**	**व्यय–अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–22): 404.55 लाख रुपए** साधारण सहायता अनुदान के अधीन (2235.02.103.71.01.31) विधिक जागरूकता कार्यक्रम के शीर्ष के अधीन 69,29,800 रूपये दर्शित किए गए है जबकि समर्थनकारी दस्तावेजों के अनुसार व्यय की रकम 69,57,700 रूपये है परिणामस्वरूप 27,900 व्यय दर्शित की गई रकम से अधिक है। इसी प्रकार सहायता अनुदान एनईआर (2235.02.103.71.01.31) के अधीन विधिक जागरूकता कार्यक्रम शीर्ष के अधीन 52,63,818 रूपये की रकम का व्यय दर्शित किया गया है जबकि समर्थनकारी दस्तावेजों के अनुसार व्यय की रकम 52,35,918 रूपये है जिसके परिणामस्वरूप 27,900 रूपये की व्यय की रकम कम दर्शित की गई है। परिणामस्वरूप साधारण सहायता अनुदान और सहायता अनुदान एनईआर के अधीन विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के शीर्षों के अधीन गलत वर्गीकरण किया गया है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है और चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इसे सुधार लिया जाएगा।
ग.	**साधारण**	
ग.1	2008–09 से 2018–19 की पूर्व अवधि के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 1721.72 लाख रूपये की रकम का अग्रिम मंजूर किया गया था जो तारीख 31 मार्च, 2019 तक बकाया है। इसमें से 843.84 लाख रूपये की रकम 2008–09 से 2017–18 की पूर्व अवधि से बकाया है। शीघ्रतापूर्वक इस रकम को वसूल/समायोजन करने की आवश्यकता है।	843.84 लाख रूपये की रकम से आज की तारीख तक 192.55 लाख रूपये की रकम का समाशोधन किया जा चुका है और शेष बकाया अग्रिमों का शीघ्र ही समाशोधन किया जा रहा है और इस संबंध में संबंधित व्यक्तियों और संगठनों को अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

<table>
<tr><td>ग.2</td><td>राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसके द्वारा जारी किए कुल 12.34 लाख रूपये के ऐसे पुराने चैकों किंतु भुनाया नहीं गया है और वे समय वर्जित हो गए हैं, के लिए दायित्व सृजित किया है। इनमें से 7.15 लाख रूपये की रकम के चैकों को मार्च, 2010 से नवंबर, 2016 के दौरान जारी किया गया था। इन चैकों के दावाकर्ताओं ने आज की तारीख उनके लंबित भुगतान के संबंध में कोई दावा नहीं किया है। इस दायित्व का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है।</td><td>भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।</td></tr>
<tr><td>घ.</td><td>सहायता अनुदान

वर्ष 2018–19 के लिए रा.म.आ. द्वारा प्राप्त व्ययए सहायता अनुदान और बिना खर्च किए गए अतिशेष के ब्यौरे की सारणी नीचे दी गई है:–

<table>
<tr><th>विशिष्टियां</th><th>रकम
(लाख रूपये में)</th></tr>
<tr><td>प्राप्त अनुदान</td><td>2291.62</td></tr>
<tr><td>पूर्व वर्ष की बिना खर्च की गई रकम</td><td>108.38</td></tr>
<tr><td>अन्य प्राप्तियां</td><td>40.85</td></tr>
<tr><td>कुल उपलब्ध निधियां</td><td>2440.85</td></tr>
<tr><td>व्यय</td><td>2278.04</td></tr>
<tr><td>वर्ष के अंत में बिना खर्च की गई रकम</td><td>162.81</td></tr>
</table>

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत में रा.म.आ. के पास 162.81 लाख रूपये का अंत अतिशेष था।</td><td>कोई टिप्पणी नहीं, यह वास्तविक स्थिति हैं।</td></tr>
</table>

उपाबंध

आयोग की संरचना

वर्ष 2018—19 के दौरान आयोग की संरचना निम्नलिखित थी:

1. श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, तारीख 08.08.2018
2. श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष (प्रभारी), 01.04.2018 से 06.08.2018 तक
3. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, तारीख 06.08.2015 से 06.08.2018 तक
4. सुश्री सुषमा साहू, सदस्य, तारीख 17.08.2015 से 16.08.2018 तक
5. श्री आलोक रावत, सदस्य, तारीख 20.10.2015 से 19.10.2018 तक
6. श्रीमती कमलेश गौतम, सदस्य, तारीख 19.11.2018
7. श्रीमती सोसो साइजा, सदस्य, तारीख 19.11.2018
8. श्रीमती चंद्रमुखी देवी, सदस्य, तारीख 26.11.2018
9. श्रीमती श्यामला एस. कुंदर, सदस्य, तारीख 07.03.2019
10. डॉ. राजुलबेन एल. देसाई, सदस्य, तारीख 08.03.2019
11. श्रीमती सतबीर बेदी, सदस्य—सचिव, तारीख 25.01.2017 से 21.11.2018 तक
12. श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, सदस्य—सचिव, तारीख 27.11.2018

उपाबंध-II

आयोग का संगठनात्मक चार्ट

उपाबंध-III

2018—19 के दौरान आयोग द्वारा विचार—विमर्श किए गए विषय जिसमें परिचालन भी शामिल है

तारीख 19 अप्रैल, 2018 को आयोजित 184वीं बैठक

1. बैतुल जिले के प्रति विशेष निर्देश के साथ मध्य प्रदेश के जनजाति पारिस्थतिकी—क्षेत्र में रह रहें लोगों, विशेष रूप से महिलाओं के देशीय ज्ञान का लिप्यन्तरण और प्रलेखीकरण'' पर संसाधन विकास अध्ययन केन्द्र भोपाल द्वारा अनुसंधान अध्ययन पर दी गई रिपोर्ट।
2. ''बिहार में घरेलू हिंसा के पीड़ितों को सफलतापूर्वक सान्त्वना प्रदान करने के लिए संरक्षण अधिकारियों की भूमिका'' पर अध्ययन और साथ में सदस्य (श्री आलोक रावत) द्वारा दी गई रिपोर्ट।
3. राष्ट्रीय महिला आयोग में विभिन्न मुद्दों पर सलाहकार समूहों का गठन
4. राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना का 25वां वार्षिकोत्सव
5. श्री आलोक रावत, सदस्य द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और अस्पताल संस्थान, आगरा (महिला संवासियों) के दौरे पर की निरीक्षण रिपोर्ट
6. श्री आलोक रावत द्वारा तारीख 23 मार्च, 2018 को न्यू केंद्रीय जेल, भोपाल, मध्य प्रदेश (महिला संवासियों) के दौरे पर की निरीक्षण रिपोर्ट
7. श्री आलोक रावत द्वारा तारीख 27 फरवरी, 2018 को केंद्रीय जेल, अमृतसर (महिला संवासियों) के दौरे पर की निरीक्षण रिपोर्ट
8. श्री आलोक रावत, सदस्य द्वारा तारीख 28 फरवरी, 2018 को केंद्रीय जेल, गुरदासपुर (महिला संवासियों) के दौरे पर की निरीक्षण रिपोर्ट
9. श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष (प्रभारी) द्वारा तारीख 10 मार्च, 2018 को केंद्रीय जेल, बैंगलुरू, कर्नाटक के दौरे पर की निरीक्षण रिपोर्ट
10. श्रीमती सुषमा साहू, सदस्य द्वारा तारीख 13 मार्च, 2018 को नेल्लोर सेन्टर प्रिजन, आंध्र प्रदेश के दौरे पर की निरीक्षण रिपोर्ट
11. मणिपुर के पीआरआई में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण
12. वर्ष 2017—18 के लिए बजट आबंटन और व्यय के विवरणी।
13. हेवी ड्यूटी स्कैनर मशीन का क्रय करने के लिए भुगतान
14. श्री जय भगवान, चपरासी (टीएस), जो इस समय ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहे है, को उच्चतर दर पर अतिकालिक भत्ते का भुगतान

तारीख 11 दिसंबर, 2018 को आयोजित 186वीं बैठक

1. डेल मॉडल पॉवरेज टी640 (इंटल जीओन ड्यूल प्रोसेसर, 8 कोर, 32 जीबी रेम और 3 टीबी हार्ड डिस्क का क्रय
2. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पखवाड़ा पंजाब में तारीख 30.07.2018 को अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित मुद्दों पर आयोग द्वारा आयोजित सेमिनार।
3. 2017–18 के दौरान राज्य महिला आयोगों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।
4. विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तेलंगाना राज्य महिला आयोग को दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 8 लाख रूपये का निर्मोचन।
5. विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 5 लाख रूपये का निर्मोचन।
6. विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मेघालय राज्य महिला आयोग को दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 2.40 लाख रूपये का निर्मोचन।
7. सिविल रिट याचिका 659/2007– माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के आधार पर आगे की गई कार्रवाई।
8. राष्ट्रीय महिला आयोग में हाउसकीपिंग के लिए सुलभ इंटरनेशनल की नियुक्ति।
9. 2018–19 के लिए कैलेंडर और डायरियों का मुद्रण।
10. मनोरोग गृहों में महिला संवासियों की बाबत जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रोफार्मा।
11. आयोग की अंतिम बैठक के पश्चात् कारागारों के निरीक्षण/मनोरोग गृहों की रिपोर्टों में की गई टीका–टिप्पणियां और सिफारिशों का अनुसमर्थन।
12. मनोरोग गृहों में महिला संवासियों की बाबत जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रोफार्मा।
13. मामला सं. 8/4192/2018/रा.म.आ./आरएस/एसकेपीः गोरखालैंड आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ किए गए अत्याचारों की बाबत गोरखालैंड संयुक्त संघर्ष समिति– सांझा मंच (जीएसएसएस) (केंद्रीय समिति) द्वारा की गई शिकायत के आधार पर गठित जांच समिति।
14. मामला सं. 8/6902/2018/रा.म.आ./आरएस/पीएसः कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जय श्री विश्वास, निवासी घोरालिया जोला पार्क, शांतिपुर, जिला नाडिया द्वारा धमकी और शिकायतकर्ता और उसके परिवार के साथ हिंसा की बाबत शिकायत के आधार पर गठित जांच समिति।
15. मामला सं. 8/11425/2018/रा.म.आ./आरएस/वीसीः श्री सुभाष चंद्र तायल, निवासी सी–60/जैड3 दिलशाद गार्डन द्वारा अपनी प्राप्तवय पुत्री के साथ किए गए अभिकथित अत्याचारों की बाबत स्वाती, संवेदनाए एनजीओ, सी–58–वाई–2, दिलशाद गार्डन, दिल्ली द्वारा प्राप्त शिकायत।

16. मामला सं. 8/11426/2018/रा.म.आ./आरएस/वीसीः एक 74 वर्षीय महिला सुश्री लीलाबती, निवासी डी–295, भूतल, प्रशांत विहार, रोहिणी, दिल्ली, से प्राप्त शिकायत जिसमें उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधु द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का अभिकथन किया है।

17. बंगाल विभीषिका! तारीख 20 दिसंबर, 2017 को मीडिया में प्रतिवेदित– पश्चिम बंगाल में निर्माण मजदूर द्वारा ब्लैकमेल, बलात्संग करने के पश्चात् महिला को आग लगाना।

18. तारीख 13 जून, 2018 को गया, बिहार में महिला और पुत्री का डाक्टर के समक्ष सामूहिक बलात्संग जो कि पीडितों का पति और पिता है।

19. तारीख 27 जून, 2018 को विभिन्न राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित पांच केरल पादरियों द्वारा महिला को ब्लैकमेल, लैंगिक दुरूपयोग से संबंधित रिपोर्ट जिसमें यह छापा था कि केरल में मालनकारा आर्थोडाक्स सिरियन चर्च के पांच पादरी कई वर्षों से एक विवाहित महिला को ब्लैकमेल और लैंगिक रूप से दुरूपयोग करने के अभियुक्त है।

20. झारखंड में बंदूक की नोक पर पांच व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्संग– तारीख 22.06.2018 (तथ्य पता लगाने वाला दल)। तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपोर्ट को माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया था।

21. 20 वर्ष की महिला के साथ बलात्संग करने के लिए मध्य प्रदेश महिलाओं के छात्रावास के प्रधान को गिरफ्तार किया गया– 14.08.2018। तथ्य पता लगाने वाले दल ने तारीख 22 अगस्त, 2018 को भोपाल का दौरा किया और संबंधित प्राधिकारियों से मुलाकात की।

22. हरियाणा में एक 19 वर्ष की विद्यार्थी, जिसने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान हासिल किया था, के साथ अभिकथित सामूहिक बलात्संग– 15.09.2018 (तथ्य पता लगाने वाला दल), तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपोर्ट को राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया है।

23. तारीख 05.12.2018 को वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत व्यय विवरणी।

तारीख 16 जनवरी, 2019 को आयोजित 187वीं बैठक

1. मध्य प्रदेश महिला आयोग को 40 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 19,98,830 रू का निर्मोचन।
2. विधिक जागरूकता कार्यक्रम के लिए दूसरी राष्ट्र–व्यापी प्रतियोगिता।
3. शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में शिकायतों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)।
4. शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में अधिदिष्ट शिकायतों का पुनःवर्गीकरण।
5. कैलेंडर वर्ष 2019 के लिए प्रशिक्षु कार्यक्रम।
6. संविदा के आधार पर कनिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति।

7. 12 डाटा एंट्री ऑपरेटरों का प्रदाय करने के लिए जीईएम के माध्यम से मैसर्स विशाल इंटरनेशनल की नियुक्ति।
8. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग को विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित करना।
9. मैसर्स सत्य ओम सिक्युरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटिड की एक और अन्य वर्ष अर्थात् तारीख 8 मई, 2019 तक नियुक्ति का विस्तार।
10. अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में मानक प्रचालन प्रक्रिया का पुनरीक्षण।
11. कनार्टक में महिला इलक्ट्रोनिक मीडिया पत्रकारों की स्थिति।
12. पूर्वोत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ भेदभाव पर अध्ययन। भारत में वर्ग I और II टायर शहरों का सर्वेक्षण।
13. भारत के शहरी गंदी बस्ती क्षेत्र के निवासियों के बीच में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा।
14. 2018–19 में विशेष अध्ययन/अनुसंधान करने के लिए मुद्दें/विषय/प्राथमिकता क्षेत्र।
15. वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सेमिनार आयोजित करने के लिए मुद्दें/विषय/प्राथमिकता क्षेत्र।
16. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सेमिनार और अनुसंधान अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।
17. फा.सं.8/सी180013592/2018/एनसीडब्ल्यू/एसएस–एआर/जीके– सुश्री एक्स.वाई. जैड., उदयपुर की शिकायत की बाबत जांच दल की तथ्य पता लगाने वाली रिपोर्ट।
18. पांचवीं वाईब्रेंट इंडिया में रा.म.आ. के भाग लेने के लिए एनएनएस ईवेंट और एक्सबीशिन प्राइवेट लिमिटेड को 4,67,280 रू को पूरा और अंतिम भुगतान करने के लिए दूसरी किश्त के रूप में निर्मोचन के लिए अनुमोदन।

तारीख 18 फरवरी, 2019 को आयोजित 188वीं बैठक

1. पंजाब राज्य महिला आयोग को 2017–18 के दौरान 7,18,263 रूपये की कुल लागत पर 12 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 1,18,263 रूपये (केवल एक लाख अठारह हजार दो सौ तरेसठ रूपये) का निर्मोचन।
2. मणिपुर राज्य महिला आयोग को 2017–18 के दौरान 5 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 1,57,000 रूपये (केवल एक लाख सत्तावन हजार रूपये) का निर्मोचन करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।
3. मेघालय राज्य महिला आयोग को 2017–18 के दौरान 5 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 65,357 रूपये (केवल पैसठ हजार तीन सौ सत्तावन रूपये) का निर्मोचन करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।

4. ''हिंसा मुक्त गृह– महिला का अधिकार– सात राज्य परियोजना'' के अधीन 52,46,365 रू (केवल बावन लाख छियालिस हजार तीन सौ पेंसठ रूपये) की मंजूरी और निर्मोचन करने के लिए आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।
5. हिंसा मुक्त गृह– महिला का अधिकार– दिल्ली परियोजना के अधीन 43,34,600 रू (केवल तैंतालिस लाख चौंतीस हजार छह सौ रूपये) की मंजूरी और निर्मोचन करने के लिए आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।
6. स्वाधार गृहों के निरीक्षण पर विचार–विमर्श।
7. राष्ट्रीय महिला आयोग के जसोला स्थित कार्यालय में लगे हुए एअर कंडीशन सिस्टम के लिए मैसर्स ब्लू स्टार लिमिटेड को वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) प्रदान करना।
8. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 1,53,02,800 रू (केवल एक करोड़ तिरपन लाख दो हजार आठ सौ रूपये) की रकम के लिए 23 अनुसंधान प्रस्तावों का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।
9. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 1,14,86,150 रू की रकम के 59 सेमिनार प्रस्तावों का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन।
10. सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वीमेन्स स्टीडीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा ''चैलेंजिस ऑफमुस्लिम गर्ल्स इन हायर एजुकेशनः पैट्रीआर्की पालिसी या पावर्टी'' (''उच्चतर शिक्षा में मुसलमान लड़कियों को चुनौतीः पितृसत्तात्मक समाज की नीति या गरीबी'') पर राष्ट्रीय सेमिनार।
11. संविदा के आधार पर मीडिया/सोशल मीडिया के परामर्शदाता की नियुक्ति।
12. शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट।
13. उपगत व्यय पर विचार–विमर्श।
14. जांच/तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श।

तारीख 06 मार्च, 2019 को आयोजित 189वीं बैठक

1. एलपीए सं. 631/2017 में अवमान आवेदन के संबंध में, सं. सीओएनटी. सीएएस (सी) 382/2018 सीएम अपील.20829/2018 विचार–विमर्श।

तारीख 13 मार्च, 2019 को आयोजित 190वीं बैठक

1. एलपीए सं. 631/2017 में अवमान आवेदन के संबंध में, सं. सीओएनटी. सीएएस (सी) 382/2018 सीएम अपील–20829/2018 विचार–विमर्श।

उपाबंध-IV

2018–19 के दौरान प्रदान किए गए सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	संगठन का नाम	विषय
1.	एस.के. शिक्षण एवं सामाजिक विकास संस्थान, भरतपुर, राजस्थान	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन–प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
2.	सुप्रतिवा, फकीरपदा, कटक, ओडिसा	वीमेंस रोल इन इन्वाइरन्मेंटल सस्टैनबिलिटी (वीमेन एज स्टैक्होल्डर्स इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हसबेंडरी, वाटर बॉडीज, आदि)
3.	सेंटर फॉर वीमेंन्स स्टडीज़, अलगप्पा यूनिवर्सिटी शिवगंगा, तमिलनाडु	ट्रैफिकिंग ऑफ़ वीमेन –इफेक्टिव एन्फोर्समेंट ऑफ़ लॉज
4.	वश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा 124507	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन–प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
5.	डिपार्टमेंट ऑफ वीमेंन्स स्टडीज़, भारथियर यूनिवर्सिटी कोयंबटूर, तमिलनाडू	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन–प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
6.	पांडिचेरी सेंटरल यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, पांडिचेरी	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
7.	ए. वीरिय्या वन्दायर मेमोरियल श्री पुष्पम कॉलेज, पूंडी, तंजावुर– 613503 तमिलनाडू	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन–प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
8.	धरती फांउडेशन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली	वीमेन एंड दि एन्वाइरमेंट/ वीमेंस रोल इन इन्वाइरन्मेंटल सस्टैनबिलिटी (वीमेन एज स्टैक्होल्डर्स इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हसबेंडरी, वाटर बॉडीज, आदि)
9.	जनकल्याण समिति, केंद्रपाडा, ओडिसा	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन–प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
10.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ यूथ वेलफेयर, नागपुर, महाराष्ट्र	रोल ऑफ़ वीमेन इन एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन विद स्पेशल रिफरेन्स टू इग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स
11.	भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बर्ड), ग़ाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश	ट्रैफिकिंग ऑफ़ वीमेन –इफेक्टिव एन्फोर्समेंट ऑफ़ लॉज
12.	जेएमजे कॉलेज फॉर वीमेन (ऑटोमोमस), तेनाली गुंटूर, आंध्र–प्रदेश	प्रोब्लेम्स रिलेटिंग टू केयर ऑफ़ एल्डर्ली विद पॉसिबल प्रैग्मैटिक सोलूशन टू डील विद देम
13.	दी केएमसीएच कॉलेज ऑफ फार्मेसी कोवई मेडिकल सेन्टर रिसर्च एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, कोयंबटूर, तमिलनाडू	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज

14.	केसरी युवा विकास समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
15.	रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून, उत्तराखंड	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन—प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
16.	के.एल.एन. कॉलेज इंजीनियरिंग, पोट्टापालयम, शिवगंगा तमिलनाडू	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
17.	जवाहरलाल नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज हैदराबाद, तेलंगाना	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
18.	के.वी.एन. नायक शिक्षण प्रसारक संस्था आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, नासिक, महाराष्ट्र	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
19.	सेंट. अगनेस कॉलेज (ऑटोमोमस), दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक	जेंडर स्टेरीओटाइपिंग इन ऑक्यूपेशनल चोइसस एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ओन वीमेन
20.	कुप्पम इंजीनियरिंग कॉलेज, के.ई.एस. नगर, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
21.	सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ़ टेक्सटाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयंबटूर, तमिलनाडू	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
22.	कान्गू इंजीनियरिंग कॉलेज, पेरुन्दुरै इरोड, तमिलनाडू	वीमेन एंड दि एन्वाइरमेंट/ वीमेंस रोल इन इन्वाइरन्मेंटल सस्टैनबिलिटी (वीमेनएज स्टैक्होल्डर्स इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हसबेंडरी, वाटर बॉडीज, आदि)
23.	एमेटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन—प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
24.	योगेश्वरी महाविद्यालय, बीड, महाराष्ट्र	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन—प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
25.	एमएसपी मंडल्स यशवंतराव चव्हाण आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अम्बजोगाई, बीड, महाराष्ट्र	रोल ऑफ़ वीमेन इन एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन विद स्पेशल रिफरेन्स टू इग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स
26.	ग्रामीण विकास मंच, उमरेड, नागपुर, महाराष्ट्र	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
27.	मां गौरेया शिक्षण एवं प्रशिक्षण सोसाइटी दुर्ग, छत्तीसगढ़	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
28.	डिपार्टमेंट ऑफ हॉम साइंस, सेंट टैरेसा कॉलेज एर्नाकुलम, केरल	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन—प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
29.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजजी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडू	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज

30.	जेप्पिआर इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए, जेप्पिआर नगर, कांचीपुरम, तमिलनाडू	स्ट्रेटजीज फॉर एड्रेसिंग क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन इन शेल्टर होम्स/स्वाधार गृह, आदि
31.	थेइवनैन अम्मल कॉलेज फॉर वीमेन, विलुप्पुरम तमिलनाडू	जेंडर स्टेरीओटाइपिंग इन ऑक्यूपेशनल चोइसस एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ओन वीमेन
32.	पंचायती रूल एंड जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (प्रगति), देहरादून, उत्तराखंड	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
33.	लाल बहादुर शास्त्री रिसर्च सेंटर फॉर पब्लिक पालिसी एंड सोशल चेंज, द्वारका, दिल्ली	वीमेंस रोल इन इन्वाइरन्मेंटल सस्टैनबिलिटी (वीमेनएज स्टैक्होल्डर्स इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हसबेंडरी, वाटर बॉडीज, आदि)
34.	सेंट अन्न कॉलेज फॉर वीमेन, मेहदीपटनम, हैदराबाद, तेलंगाना	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन–प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
35.	बन्नारी अम्मान इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजजी (ऑटोमोमस), इरोड डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडू	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन–प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
36.	पारुल इंस्टिट्यूट ऑफ़ लॉज, पारुल यूनिवर्सिटी पीओ लिमडा ता वाघोडिया, वड़ोदरा, गुजरात	जेंडर स्टेरीओटाइपिंग इन ऑक्यूपेशनल चोइसस एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट आन वीमेन
37.	मनोमनियम सुन्दरानार यूनिवर्सिटी अभिषेकपट्टी पी.ओ. तिरुनेलवेली तमिलनाडू	प्रोब्लेम्स रिलेटिंग टू केयर ऑफ़ एल्डर्ली विद पॉसिबल प्रैग्मैटिक सोलूशन टू डील विद देम
38.	श्रीजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन–प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
39.	एम एस रमैय्या इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजजी, बेंगलुरु, कर्णाटक	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन–प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
40.	हाई–टेक इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजजी (हीट) गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	रोल ऑफ़ वीमेन इन एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन विद स्पेशल रिफरेन्स टू इग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स
41.	शाहजी लॉज कॉलेज, नियर केडीसी बैंक, शाहुपुरी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	ट्रैफिकिंग ऑफ़ वीमेन–इफेक्टिव एन्फोर्समेंट ऑफ़ लॉज
42.	आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्र (होस्टेड बायक्रीड) अरियालुर, तमिलनाडू	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
43.	महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, सादोपुर अम्बाला, हरियाणा	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
44.	शंकरा कॉलेज ऑफ़ साइंस एंड कॉमर्स, कोयंबटूर तमिलनाडू	वीमेंस रोल इन इन्वाइरन्मेंटल सस्टैनबिलिटी (वीमेनएज स्टैक्होल्डर्स इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हसबेंडरी, वाटर बॉडीज, आदि)

45.	हंस राज महिला महाविद्यालय महात्मा, जालंधर, पंजाब	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
46.	चिन्थालापति सत्यवति देवी सेंट टैरेसा (ऑटोनोमस) कॉलेज फॉर वीमेन, वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन–प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
47.	सेंट ज़ेवियर कॉलेज, 5, महापालिका मार्ग, मुंबई महाराष्ट्र	साइबर क्राइम्स एंड वीमेन–प्रीकोशन्स एंड स्ट्रेटेजीज
48.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड	जेंडर स्टेरीओटाइपिंग इन ऑक्यूपेशनल चोइसस एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ओन वीमेन
49.	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, वाराणसी उत्तर प्रदेश 221002	जेंडर स्टेरीओटाइपिंग इन ऑक्यूपेशनल चाइसस एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ओन वीमेन
50.	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ केरल, कासरगोड, केरल	वीमेंस रोल इन इन्वाइरन्मेंटल सस्टैनबिलिटी (वीमेन एज स्टैक्होल्डर्स इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हसबेंडरी, वाटर बॉडीज, आदि)
51.	यूनिवर्सिटी ऑफ़ कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर	इन्क्रिजींग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इकनोमिक एक्टिविटीज
52.	माता साहिब कौर गर्ल्स कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट भटिंडा, पंजाब	इम्पैक्ट ओन दी मेंटल हेल्थ ऑफ़ वीमेन अग्रीव्ड ओन अकाउंट ऑफ़ वेरियस इश्यूज इन्वाल्व्ड इन एनआरआई मैरिज्स

उपाबंध-V

2018–19 के दौरान दिए गए अनुसंधान अध्ययनों के ब्यौरे

क्रम सं.	गैर सरकारी संगठन/संगठन का नाम	विषय
1	यूनिवर्सिटी ऑफ़ कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस, नसीम बाग हजरतबल श्रीनगर जम्मू कश्मीर	सेक्सूअल हरैस्टमेंट ऐक्टः एन इम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस
2	भरथिअर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ़ विमेंस स्टडीज भरथिअर यूनिवर्सिटी कोइम्बटोर, तमिलनाडू	इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ दी सेक्सुअल हरैस्टमेंट ऑफ़ वीमेन एट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेस्सल) ऐक्ट, 2013 बाय दी स्टेकहोल्डर्स ऑफ़ कोइम्बटोर
3	रमा देवी विमेंस यूनिवर्सिटी, विद्या विहार, भोई नगर, भुवनेश्वर, खोरधा, ओडिशा	वर्कप्लेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन ओडिशाः मैकेनिज्म टू अरेस्ट इट
4	मानव्लोक्स कॉलेज ऑफ़ सोशल वर्क मानव्लोक रिंग रोड बीड, महाराष्ट्र	विमेंस एजुकेशनः एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ़ सोशिओ–इकनोमिक एंड कल्चरल बैरियर्स एट रूरल एरिया इन महाराष्ट्र स्टेट
5	जे एंड के डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप रूम नंबर 104.107, सऊदी शेख बिल्डिंग, नियर हरियाणा मार्बल, मेथन बाईपास, श्रीनगर जे.एंड. के.	बैरियर्स टू हायर एजुकेशन ऑफ़ वीमेन
6	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी मद्रास, लिट् मद्रास कैंपस, सरदार पटेल रोड, गुंदई चेन्नई, तमिलनाडू	पर्सनलाइज्ड लाइफ स्किल डेवलपमेंट फॉर एन्हान्सिंग वेल–बीइंग ऑफ़ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन कॉलेज इन तमिलनाडू एंड केरल
7	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ पंजाब मनसा रोड, भटिंडा, पंजाब	जेंडरिंग इनोवेशन्स : वीमेन इन्नोवेटर्स इन दी रूरल लाइवलीहुड स्ट्रेटेजीज ऑफ़ पंजाब
8	बहिर्जी स्मारक महाविद्यालय बस्मथ. टी.क्यू. बस्मथ हिंगोली, महाराष्ट्र	ए स्टडी ऑफ़ प्रोब्लेम्स एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ़ सोशिओ–इकनोमिक एम्पावरमेंट पॉलिसीस ऑफ़ ट्राइबल वीमेन इन महाराष्ट्र
9	जवाहरलाल नेहरु राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आईलेंड्स	इकनोमिक एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन थ्रू एनआरएलएम इन अंडमान एंड निकोबार आईलेंड्स
10	कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज आर.एस. रोड थोप्पुपलायम इरोड, तमिलनाडू	साइंस फॉर रूरल वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू कम्युनिटी रेडियो
11	लेडी दोअक कॉलेज, मदुरै कटी विलकॉक्स एजुकेशन एसोसिएशन, मदुरै, मदुरै, तमिलनाडू	इन्क्लूजन ऑफ़ विमेंस सेफ्टी इन अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग ऑफ़ मदुरै सिटी

12	दाव पीजी कॉलेज, स्वामी दयानंद मार्ग, नरहरपुर, आयुष्नगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	ए स्टडी ऑफ़ थे स्किल–बिल्डिंग नीड्स ऑफ़ वीमेन इन ट्रेडिशनल अनॉर्गनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ़ वाराणसी सिटी
13	एम एस रमैया इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, बंगलोर 560 054 बेंगलुरु, कर्नाटक	असेसमेंट ऑफ़ डिजिटल इन्क्लूजन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग वीमेन एंन्ट्रप्रनुर्स– एन एम्पिरिकल स्टडी विद रिफरेन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन दी रूरल एरियाज ऑफ़ बंगलोर एंड कोयम्बटोर
14	लोयोला कॉलेज ऑफ़ सोशल साइंसेज तिरूवनंतपुरम, केरल	वीमेन एंन्ट्रप्रनुर्स इन केरलः चैलेंजेज एंड आपर्टूनिटीज
15	अक्कमहादेवी (कर्नाटक स्टेट) विमेंस यूनिवर्सिटी विजयपुरा, कर्णाटक	इम्पैक्ट ऑफ़ डिजिटल इंडिया ओन वीमेनः ए केस स्टडी ऑफ़ विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट
16	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल	नेशनल फूड सिक्यूरिटी ऐक्ट एंड वीमेन एम्पावरमेंट अस्सेस्मेंट इन ओडिशा
17	यूनिवर्सिटी ऑफ़ लखनऊ बाबूगंज, हसनगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	मैत्रृपग दी एडवर्स कान्सक्वेन्स ऑफ़ सेक्स सिलेक्शन एंड जेंडर इम्बेलेंसः ए केस स्टडी ऑफ़ उत्तर प्रदेश
18	पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, आर.वी. नगर, कालपेट, पांडिचेरी	प्रीक्लूशन टू इन्क्लूशनः एन अप्रैजल ऑफ़ वीमेन एम्पावरमेंट इन फीमेल इनफेंटिसाइड बेल्ट्स ऑफ रूरल तमिलनाडू
19	सेंटर फॉर विमेंस स्टडीज अलगप्पा यूनिवर्सिटी अलगप्पा पुरम करैकुदी शिवगंगा, तमिलनाडू	प्रिवेंशन एंड कण्ट्रोल ऑफ़ साइबरक्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्सः प्रोब्लेम्स, इश्यूज एंड स्ट्रेटेजीज
20	अकादमी ऑफ़ मेरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (अमेट) 135, ईस्ट कोस्ट रोड, कनाथुर, चेन्नई कांचीपुरम, तमिलनाडू	एम्पिरिकल स्टडी ऑफ़ प्रिवेंशन मेशर्ज अगेंस्ट विक्टिमिज़सन ऑफ़ इंडियन वीमेन इन साइबर स्पेस
21	विजयनगर श्रीकृष्णा देवराय यूनिवर्सिटी, विनायक नागरा, केन्टोनमेंट, अलीपुरा, बल्लारी, कर्नाटक	साइबर क्राइम अगेंस्ट वीमेन– मेशर्ज फॉर देयर प्रिवेंशन

भारत में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए लक्षित, घर पर रुकने के पर्यटन पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए तारीख 11 जून, 2018 को एआईआरबीएनबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 21 जून, 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के परिसर में ''अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस'' समारोह आयोजित किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग, फेसबुक और साइबर पीस फाउन्डेशन ने तारीख 18 जून, 2018 को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में डिजीटल साक्षरता और आनलाइन सुरक्षा कार्यक्रम की पहली प्रशिक्षण कार्यशाला।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 27 जुलाई, 2018 को ''परिप्रेक्ष्य: भारत में महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता और प्रतिनिधित्व'' विषय पर कार्यशाला आयोजित की।

स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर, तारीख 15 अक्टूबर, 2018 को इंडिया गेट, नई दिल्ली में श्रीमति रेखा शर्मा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग और आयोग के कर्मचारियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 17 नवम्बर, 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के परिसर में ''कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध ओर निवारण) अधिनियम 2013'' के संबंध में विधि का पुनर्विलोकन करने के बावत एक दिवस का परामर्श आयोजित किया।

सुश्री तिखाला इलाई, अध्यक्ष, सीडिसाईड जीएफआई द्वारा तारीख 13 दिसम्बर, 2018 को आयोग का दौरा किया गया।

तारीख 4 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेपाल के प्रतिनिधि–मंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग

प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया–110025
वेबसाइट : http://ncw.nic.in